रजिस्ट्री सं. डी एल—33001/98 REGISTERED NO. DL—33001/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 31] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 1, 1998 (श्रावण 10, 1920)
No. 31] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 1, 1998 (SRAVANA 10, 1920)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

औद्योगिक और निर्यात ऋण विभाग

(केन्द्रीय कार्यालय)

मुंबई–400001, दिनांक 17 जून 1998

सं॰ औनिऋवि–21/08–15–01/97–98—जबकि मानते हुए कि सरकारी प्रतिभूति बाजार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक है, भारतीय रिज़र्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूति बाजार में अनुषंगी व्यापारियों के पंजीकरण के लिए 31 दिसम्बर 1996 को अपने द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी के सिद्धांतों अनुसार अनुषंगी व्यापारियों के सूचीकरण की प्रणाली आरंभ की थी, जिसके उद्देश्य थे—(क) अच्छी वितरण सरणियों से युक्त मध्यवर्तियों को शामिल करते हुए सरकारी प्रतिभूति बाजार की आधारिक संरचना को मजबूत करना तथा इसके द्वारा द्वितीयक बाजार के व्यापार की गहराई बढ़ाना और निवेशक आधार को व्यापक बनाना, (ख) सरकारी प्रतिभूतियों में तरलता और आवर्त बढ़ाना एवं (ग) वितरण सरणियों को सुदृढ़ बनाना और सरकारी प्रतिभूतियों के लिए खुदरा दुकान की व्यवस्था करना, उसके द्वारा एक अपेक्षाकृत व्यापकतर निवेशक आधार के बीच सरकारी प्रतिभूतियों की स्वैच्छिक धारिता को प्रोत्साहित करना। समय-समय पर यथासंशोधित उपर्युक्त मार्गदर्शी सिद्धांत अनुषंगी व्यापारियों के कार्यकलापों को उक्त उद्देश्यों के दायरे में विनियमित करने के लिए उनकी पात्रता की शर्तों, दायित्वों, पूंजी पर्याप्तता मानकों, पंजीकरण संबंधी प्रक्रिया, विनियमों और अन्य मानदंडों को निर्धारित करते हैं।

और जबकि अनुषंगी व्यापारियों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए उन्हें वाणिज्यिक पत्र के निर्गम के जरिए वित्त जुटाने की अनुमति देना वांछनीय समझा गया है।

अतः अब भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, एतद्द्वारा, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45ट और 45ठ द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में इसे समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आगे विनिर्दिष्ट निदेश देता है।

भाग I : प्रारंभिक

1. निदेशावली का संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

यह निदेशावली "अनुषंगी व्यापारी (वाणिज्यिक पत्र के जरिए जमा राशियों का स्वीकरण) निदेशावली 1998" कहलाएगी। यह 17 जून 1998 से अमल में आएगी और इस निदेशावली में इसके प्रारम्भ होने के दिनांक का उल्लेख होने पर इसका संबंध उक्त दिनांक से माना जाएगा।

भाग II : निदेशावली का विस्तार

2. वाणिज्यिक पत्र पर निदेशावली की प्रयोज्यता

ये निदेश वाणिज्यिक पत्र के जरिए जमाराशियां जुटाने वाले प्रत्येक अनुषंगी व्यापारी पर लागू होंगे।

3. परिभाषाएं

इन निदेशों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "अनुषंगी व्यापारी" से अभिप्रेत है ऐसी वित्तीय संस्था, जिसके पास, समय-समय पर यथासंशोधित, दिनांक 31 दिसम्बर 1996 के, "सरकारी प्रतिभूति बाजार में अनुषंगी व्यापारियों के लिए दिशा-निर्देश" के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा, उसे अनुषंगी व्यापारी के रूप में जारी वैध प्राधिकरण-पत्र हो।

(ख) इसमें जो शब्द और अभिव्यक्तियां प्रयुक्त हैं, परन्तु परिभाषित नहीं हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) में परिभाषित हैं, उनका अर्थ वही होगा जो उनके लिए उस अधिनियम में निर्धारित है। यदि कोई अन्य शब्द या अभिव्यक्तियां इसमें अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) में परिभाषित नहीं है तो उनका अर्थ वही होगा जो कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में उनके लिए निर्धारित है।

4. वाणिज्यिक पत्र जारी करने की पात्रता

निम्नलिखित अपेक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक अनुषंगी व्यापारी वाणिज्यिक पत्र जारी करने का पात्र होगा, बशर्ते वह इन निदेशों में दी गई शर्तें भी पूरी करता हो :

अनुषंगी व्यापारी ने वाणिज्यिक पत्र जारी करने के लिए किसी ऐसी साख निर्धारण एजेंसी से, विनिर्दिष्ट न्यूनतम साख निर्धारण क्रम (रेटिंग) प्राप्त कर रखा है जिसके द्वारा किए गए साख-निर्धारण को भारतीय रिज़र्व बैंक ने वाणिज्यिक पत्र जारी करने के प्रयोजनार्थ अनुमोदित किया हुआ है। अनुषंगी व्यापारी यह सुनिश्चित करेगा कि वाणिज्यिक पत्र जारी करते समय उसके द्वारा प्राप्त साख-निर्धारण प्रचलन में है और उसे प्राप्त किये दो माह से अधिक समय नहीं हुआ है। भारतीय साख-निर्धारण सूचना सेवा लिमिटेड (क्रिसिल) द्वारा प्रदत्त क्रम पी—2, अथवा भारतीय साख-निर्धारण एजेंसी (इकरा) द्वारा प्रदत्त क्रम ए—2, अथवा साख विश्लेषण तथा अनुसंधान लिमिटेड (केयर) द्वारा प्रदत्त पी आर—2 अथवा डफ एंड फेल्प्स क्रेडिट रेटिंग इंडिया प्राईवेट लिमिटेड (डी सी आर इंडिया) द्वारा प्रदत्त क्रम डी—2 अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस प्रयोजनार्थ समय-समय पर निर्धारित क्रम को ही न्यूनतम विनिर्दिष्ट साख-निर्धारण क्रम माना जाएगा।

5. वाणिज्यिक पत्र की न्यूनतम और अधिकतम अवधि

(क) वाणिज्यिक पत्र निर्गम की तारीख से पन्द्रह दिन और उससे अधिक परन्तु एक वर्ष से कम के बीच की परिपक्वता अवधियों के लिए जारी किया जाएगा।

(ख) वाणिज्यिक पत्र के भुगतान के लिए कोई छूट अवधि नहीं होगी। यदि अवधि समाप्ति की तारीख को छुट्टी पड़ती हो तो अनुषंगी व्यापारी तत्काल पूर्वगामी कार्य दिवस को भुगतान करने के लिए बाध्य होगा।

(ग) वाणिज्यिक पत्र के प्रत्येक निर्गम (नवीकरण सहित) को नया निर्गम माना जाएगा।

स्पष्टीकरण

जहां नीचे पैरा 6 (ख) में उल्लिखित अपेक्षाओं के पालन के फलस्वरूप वाणिज्यिक पत्र की अवधि पन्द्रह दिन से कम होगी, वहां इन निदेशों के प्रयोजनार्थ उसे पन्द्रह दिन से अन्यून अवधि का माना जाएगा।

6. वाणिज्यिक पत्र का मूल्यवर्ग और न्यूनतम आकार

(क) वाणिज्यिक पत्र 5 लाख रुपए के गुणाजों में जारी किया जा सकता है किन्तु किसी भी एक निवेशकर्ता द्वारा निवेश की गई राशि 25 लाख रुपए (अंकित मूल्य) से कम नहीं होगी बशर्ते द्वितीयक (गौण) बाजार के लेन-देन 5 लाख रुपए अथवा उसके गुणजों में हों।

(ख) जारी किए जाने के लिए प्रस्तावित वाणिज्यिक पत्र की कुल राशि, इन निदेशों में दिए गए अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित किए जाने की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर जुटाई जाएगी तथा वाणिज्यिक पत्र को एक की तारीख को अथवा अंशों में अलग-अलग तारीखों को जारी किया जा सकता है, किन्तु शर्त यह होगी कि अंशों में अलग-अलग तारीखों को जारी किए जाने की स्थिति में उस वाणिज्यिक पत्र की परिपक्वता की तारीख एक ही होगी।

7. वाणिज्यिक पत्र के निर्गम की राशि की उच्चतम सीमा

वाणिज्यिक पत्र जारी करके अनुषंगी व्यापारी द्वारा एकत्रित की जाने वाली कुल राशि उसके निर्गम हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित राशि से अधिक नहीं होगी ।

8. जारी करने का तरीका और बट्टा-दर

वाणिज्यिक पत्र इससे संलग्न अनुसूची में 1 विनिर्दिष्ट फार्म के अनुसार पृष्ठांकन और हस्तांतरण द्वारा परक्राम्य मीयादी वचन-पत्र के रूप में होगा तथा उसे अंकित मूल्य पर जारी करने वाले अनुषंगी व्यापारी द्वारा निर्धारित बट्टा दर पर जारी किया जाएगा ।

9. निर्गम व्यय

वाणिज्यिक पत्र जारी करने वाला अनुषंगी व्यापारी उक्त निर्गम के व्यय वहन करेगा, जिनमें व्यापारियों का शुल्क, निर्धारण (रेटिंग) एजेंसी का शुल्क आदि शामिल हैं ।

10. वाणिज्यिक पत्र के निवेशकर्ता और पृष्ठांकन

(क) वाणिज्यिक पत्र व्यक्तियों, बैंकों, कम्पनियों और भारत में पंजीकृत या निगमित अन्य कम्पनी निकायों और अनिगमित निकायों सहित किसी भी व्यक्ति को जारी किया जा सकता है ।

बशर्ते कोई भी वाणिज्यिक पत्र अनिवासी भारतीय (एन आर आई) को अप्रत्यावर्तन के आधार से भिन्न किसी अन्य आधार पर और इस शर्त को छोड़कर कि वह हस्तांतरणीय नहीं होगा, किसी अन्य शर्त के अधीन जारी नहीं किया जाएगा ।

(ख) अनिवासी भारतीय (एनआरआई) को जारी किए गए वाणिज्यिक पत्र पर अप्रत्यवर्तनीयता और अहस्तान्तरणीयता से सम्बन्धित शर्तें निर्दिष्ट की जाएंगी ।

स्पष्टीकरण

उक्त अभिव्यक्ति "अनिवासी भारतीय" (नान-रेजिडेंट-इण्डियन) का अर्थ वही होगा जो विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 9 के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई दिनांक 9 अक्तूबर 1989 की अधिसूचना सं० फेरा 85/89-आरबी में उसके लिए निर्दिष्ट किया गया है ।

11. वाणिज्यिक पत्र जारी करने की कार्यविधि

(क) वाणिज्यिक पत्र जारी करने का प्रस्ताव करने वाला प्रत्येक अनुषंगी व्यापारी भारतीय रिजर्व बैंक को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा और समस्त ब्यौरा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित अनुसूची II के रूप में इस अधिसूचना में संलग्न फार्म में देगा ।

(ख) वाणिज्यिक पत्र जारी करने हेतु उक्त पैरा (क) में उल्लिखित प्रस्ताव प्राप्त होने पर भारतीय रिजर्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होने पर कि वाणिज्यिक पत्र के निर्गम के सम्बन्ध में निर्धारित पात्रता मानदण्ड तथा अन्य शर्तें पूरी हो गई हैं, अनुषंगी व्यापारी द्वारा वाणिज्यिक पत्र के जरिए एकत्रित की जाने वाली राशि का निर्धारण करेगा तथा अनुषंगी व्यापारी को इसकी सूचना देगा ।

(ग) उसके बाद प्रत्येक अनुषंगी व्यापारी निजी तौर पर निर्गम को प्रस्तुत करने की व्यवस्था करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि रिजर्व बैंक से सूचना मिलने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर, वाणिज्यिक पत्र के प्रस्तावित निर्गम का कार्य पूरा हो गया है ।

(घ) वाणिज्यिक पत्र में निवेश करने वाला प्रारम्भिक निवेशकर्ता वाणिज्यिक पत्र के बट्टागत मूल्य का भुगतान जारीकर्ता अनुषंगी व्यापारी के खाते में रेखित आदाता लेखा चेक द्वारा करेगा ।

(ङ) वाणिज्यिक पत्र जारी करने वाला प्रत्येक अनुषंगी व्यापारी निर्गम के पूरा होने की तारीख से तीन दिन के भीतर, भारतीय रिजर्व बैंक (औद्योगिक और निर्यात ऋण विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई) को, वास्तव में जारी किए गए वाणिज्यिक पत्र जारी की राशि सूचित करेगा ।

12. वाणिज्यिक पत्र के निर्गम को हामीदारी या सह-स्वीकृति पर प्रतिबन्ध

किसी भी अनुषंगी व्यापारी को वाणिज्यिक पत्र के निर्गम के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार से कोई भी हामीदारी अथवा सह-स्वीकृति प्राप्त करने की अनुमति नहीं होगी ।

13. वाणिज्यिक पत्र का भुगतान

वाणिज्यिक पत्र के परिपक्व होने पर वाणिज्यिक पत्र का धारक जारी करने वाले अनुषंगी व्यापारी को भुगतान के लिए उक्त लिखत प्रस्तुत करेगा ।

14. अतिरिक्त प्रलेखन

वाणिज्यिक पत्र जारी करने वाला प्रत्येक अनुषंगी व्यापारी समय-समय पर अपेक्षित सभी अतिरिक्त प्रलेख निष्पादित करेगा और पूर्व-सावधानी बरतेगा ।

15. जहां तक इन निदेशों के अनुसार वाणिज्यिक पत्र जारी करके जमा राशियां स्वीकार करने का संबंध है, गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी (रिजर्व बैंक) निदेशावली, 1998 और गैर-बैंकिंग कम्पनी (वाणिज्यिक पत्र के निर्गम द्वारा जमाराशियों की स्वीकृति) निदेशावली, 1989 में निहित कोई भी बात किसी भी अनुषंगी व्यापारी पर लागू नहीं होगी ।

वी० सुब्रह्मण्यम,
कार्यपालक निदेशक

अनुसूची I

परक्राम्य वाणिज्यिक पत्र

जारी करने वाले अनुषंगी व्यापारी का नाम

जिस राज्य में इसे जारी किया जाना है उस राज्य में लागू नियमों के अनुसार स्टाम्प–ड्यूटी लगायी जाये।

क्रम सं०

.... में जारी किया गया। जारी करने की तारीख ....

(स्थान)

छूट के दिनों को छोड़कर अवधि–समाप्ति की तारीख .... (यदि उस तारीख को छुट्टी हो तो भुगतान तत्काल पूर्वगामी कार्यदिवस को किया जाएगा)। ....

.... एतद्द्वारा प्राप्त मूल्य के लिए .... (जारी करने वाले अनुषंगी व्यापारी का नाम)

.... को अथवा आदेश पर ऊपर यथानिर्दिष्ट अवधि समाप्ति की (निदेशकर्ता का नाम)

तारीख को यह वाणिज्यिक पत्र ....

(निर्गमकर्ता और अदाकर्ता एजेंट का नाम)

को प्रस्तुत और अभ्यर्पित करने पर रु० .... (शब्दों में) राशि अदा करने का वचन देते हैं।

.... के लिए और उनकी ओर से।

(जारी करने वाले अनुषंगी व्यापारी का नाम)

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

इस वाणिज्यिक पत्र पर सभी पृष्ठांकन स्पष्ट तथा सुव्यक्त होने चाहिए। प्रत्येक पृष्ठांकन निर्धारित स्थान पर ही लिखा जाए।

1. .... को अथवा आदेश पर इसमें उल्लिखित राशि अदा करें।

हस्तांतरिती का नाम)

.... के लिए और उसकी ओर से

(हस्तांतरणकर्ता का नाम)

....

2. –

3. –

4. –

5. –

6. –

7. –

8. –

अनुसूची–II

गोपनीय

वाणिज्यिक पत्र के निर्गम हेतु जारीकर्ता अनुषंगी व्यापारी द्वारा अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन का प्रोफार्मा

सेवा में :

मुख्य महाप्रबंधक

भारतीय रिजर्व बैंक

औद्योगिक और निर्यात ऋण विभाग

केन्द्रीय कार्यालय

मुम्बई–400001

प्रिय महोदय,

वाणिज्यिक पत्र—जारी करने का कार्यक्रम

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक .... को जारी की गई, समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं० आई०ई०सी०डी० /08-15-01/97-98 के निदेशों के अनुसार हम नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार वाणिज्यिक पत्र जारी करने का प्रस्ताव करते हैं :

(1) जारीकर्ता का नाम

(2) पंजीकृत कार्यालय और पता :

(3) व्यावसायिक गतिविधियां :

(4) (क) जारी करने के लिए प्रस्तावित वाणिज्यिक पत्र की राशि (अंकित मूल्य) :

(ख) निर्गम की अवधि :

(5) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित साख निर्धारण एजेंसी से प्राप्त निर्धारण (रेटिंग) । (निर्धारण प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न की जाए) :

के लिए और की ओर से
(जारीकर्ता अनुषंगी व्यापारी का नाम)
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 29 जून 1998

सं० एन०-15/13/4/1/98-यो० एवं वि०—(2) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 जुलाई, 1998 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है कि जिससे उक्त विनियम-95-क तथा हिमाचल प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1977 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ हिमाचल प्रदेश राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे अर्थात् :-

"जिला सिरमौर की तहसील नाहन के राजस्व ग्राम खेड़ी हदबस्त संख्या-137 के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र।

हरचरण लाल
संयुक्त निदेशक (यो० एवं वि०)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (केन्द्रीय कार्यालय)

भविष्य निधि भवन, 14-भीकाजी कामा प्लेस,

नई दिल्ली-110066, दिनांक 2 जुलाई 1998

सं० के० भ० नि०आ० 1(4) डब्ल्यू० बी० (1627)/98/1329— केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें।

क्रम० सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1	2	3	4
1.	डब्ल्यू बी/सीए/33310	मै० स्पेस टेक इलैक्ट्रोनिक्स (प्रा०) लि०, पी-5, सी० आई० टी० रोड, एस० सी० एच०एल० बी०, चौथी मंजिल, कलकत्ता-700014.	1-12-1995
2.	डब्ल्यू बी/सीए/33454	मै० प्वांटीयेक लीजिंग लि०, 211 एण्ड 212, "लोर्डस", 7/1 लार्ड सिन्हा रोड, कलकत्ता-700071.	1-3-1996
3.	डब्ल्यूबी/सीए/33494	मै० शालीमार हैटचेरीज (प्रा०) लि०, 17 बी० एण्ड सी०, "एवरेस्ट", 16/सी, चौरंगी रोड, कलकत्ता-700071.	1-6-1996

1	2	3	4
4.	डब्ल्यूबी सीए/33496	मै० सुमीत सारीज प्रा० लि०, 113, पार्क स्ट्रीट, पोडार प्वाइंट, कलकत्ता–700015.	1–8–1996
5.	डब्ल्यूबी सीए/33344	मै० एलेन इंडिया लि०, आरनिका पल्स आपार्टमेंट, सील्दाह 35, ए० पी० सी० रोड, कलकत्ता–700009.	1–4–1995
6.	डब्ल्यूबी/एचएलओ/36036	मै० दि बक्सराह कोओपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लि०, बक्सराह फीडर रोड, हावड़ा–711306, वैस्ट बंगाल	1–3–1996
7.	डब्ल्यूबी/सीए/33311	मै० अनीता इंजीनियर्स (प्रा०) लि०, 55, बिपलाबी राश बिहारी बासू रोड, "बी" ब्लाक, दूसरी मंजिल, कलकत्ता–700001.	1–1–1996
8.	डब्ल्यूबी/सीए/33157	मै० विएन, 34 बी, शेक्सपीयर सरानी, कलकत्ता–17.	1–8–1995
9.	डब्ल्यूबी सीए/33388	मै० ट्रावेल एण्ड कार्गो सर्विस (वर्ल्ड) प्रा० लि०, 23, शेक्सपीयर सरानी, कलकत्ता–700017.	1–1–1996
10.	डब्ल्यूबी सीए/33472	मै० जालान कार्बन्स एण्ड कैमिकल्स लि०, 4, सर्कस एवेन्यू, "सर्कस प्लाजा", फ्लैट नं० 2 डी०, कलकत्ता–700017.	1–4–1996
11.	डब्ल्यूबी/33499	मै० ग्लैडस्टोन इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लि०, 41, सरत बोस रोड, कलकत्ता–700020.	1–7–1995
12.	डब्ल्यूबी/33406	मै० मोहता इलैक्ट्रो सिस्टम्स प्रा० लि०, "स्वायका सेंटर", 4 ए,पौल्लोक स्ट्रीट, कलकत्ता–700001	1–4–1996
13.	डब्ल्यूबी/सीए/33266	मै० रैपिड फोरम्स (प्रा०) लि०, 1, न्यू टाराटोला रोड, कलकत्ता–700088.	1–5–1995
14.	डब्ल्यूबी/सीए/33353	मै० साऊथ कलकत्ता डिजल्स, 225-डी, आचार्या जगदीश च० बोस रोड, कलकत्ता–700020	1–7–1995
15.	डब्ल्यूबी/सीए/29715	मै० गोरखा सिक्योरिटी एण्ड इंवैस्टीगेशंस, "सत्यम" 46 डी, रफी अहमद किदवई रोड, (ग्राऊंड फ्लौर), कलकत्ता–700016	1–10–1994
16.	डब्ल्यूबी/एचएलओ/36054	मै० ऊमा इंजीनियरिंग एन्टरप्राईज, 16/8, सीता नाथ बोस लेन, साल्किया, हावड़ा–711106	1–6–1996
17.	डब्ल्यूबी/सीए/33165	मै० डिवाईन मैडिकल स्टोर्स, 11ए, अविनाश चन्द्रा बैनर्जी लेन, बेलियाघाटा, कलकत्ता–700010	1–1–1995

1	2	3	4
18.	डब्ल्यूबी/एचएलओ/36020	मैं० एम० सी० टयूब्स (प्रा०) लि०, 7 एण्ड 9, माली पंचघरा लेन, लिलुआह, हावड़ा ।	1-2-1995
19.	डब्ल्यूबी/सीए/33095	मैं० एसके टेलिकॉम लि०, 49, गनेश चन्द्रा एवेन्यू, दूसरी मंजिल, कलकत्ता-700013.	1-4-1995
20.	डब्ल्यूबी/सीए/33403	मैं० टेक्कॉन इंस्ट्रूमेंटस प्रा० लि०, 198 ए' ब्लॉक "जे", न्यू अलीपोर, कलकत्ता-700053.	28-2-1995
21.	डब्ल्यूबी/सीए/29800	मैं० कैपिटल लि०, 19, आर० एन० मुखर्जी रोड, कलकत्ता-700001.	1-3-1995
22.	डब्ल्यूबी/सीए/33351	मैं० सैफरॉन एजेंसीज लि०, 2, वाटरलू स्ट्रीट, कलकत्ता-700069.	1-9-1995

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी हैं ।

के० सी० पाण्डेय,
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के० भ० नि० आ० 1(4) एच० आर० (1634)/98/1330—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें :—

क्र०सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1	2	3	4
1.	एच० आर०/6573	मैं० मैट्रो पोलीमर इंडस्ट्रीज, ओ-25, ओल्ड इंडस्ट्रीयल एरिया, बहादुरगढ़ ।	1-4-1992
2.	एच० आर०/7565	मैं० डायमण्ड कमर्शियल सर्विसिज (रजि०), चांद प्लेस महावीर चौक नियर-बस स्टैण्ड, गुड़गांव-121001 ।	2-5-1994
3.	एच० आर०/10816	मैं० चौधरी वेल्ड आर इंडस्ट्रीज (प्रा०) लि०, दिल्ली रोड, हिसार ।	1-9-1988
4.	एच आर०/11695	मैं० ताज सर्विसिज लि०, विल्लेज मंडार्का पी० ओ तौरू, डिस्ट्रीक्ट गुड़गांव, (हरियाणा) ।	1-7-1987
5.	एच० आर०/12692	मैं० मदन ट्रेडर्स, हाऊस नं० 198, रामस्वरूप कालोनी, मजेसर, पी० ओ० सैक्टर-22, फरीदाबाद ।	1-6-1991

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी हैं।

के० सी० पाण्डेय
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के० भ० नि० आ० 1 (4) आर० जे० (1636)/98/1331—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें :—

क्र० सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1	2	3	4
1.	आर० जे०/4332	मै० ऊनी पैच रब्बर लि०, ई-89, 90-ए, भिवाड़ी इंडस्ट्रीयल एरिया, भिवाड़ी, अलवर-301019 (राजस्थान)।	1-10-1986
2.	आर० जे०/4564	मै० हाई-टैक गीयर्स लि०, ए-589, इंडस्ट्रीयल एरिया, भिवाड़ी, अलवर।	1-11-1987
3.	आर० जे०/6192	मै० केयरवेल डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा० लि०, 7 किलोमीटर एस० विधान सिंह कामर्शियल कॉम्पलैक्स, वो-नागोरिया गोनेर रोड, जयपुर।	1-7-1992
4.	आर० जे०/6515	मै० क्लाईमेट कंट्रोल इंडिया लि०, एस० पी०-812-ए०, इंडस्ट्रीयल एरिया, फेज-II, भिवाड़ी 301019, (राजस्थान)	1-[illegible]-1992
5.	आर० जे०/8103	मै० जीवन बीमा निगम कर्मचारी साख आवास बचत सहकारी समिति, जीवन प्रकाश एल० आई० सी० ऑफ इंडिया, भिवानी सिंह मार्ग, जयपुर।	1-4-1996

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी है।

के० सी० पाण्डेय,
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के० भ० नि० आ० 1(4) बी०आर०(1637)/98/1332—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें।

क्र० सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1	2	3	4
1.	बी आर०/3721	मैं० संधू रोड़वेज, न्यू कालीमति रोड़, साक्ची, जमशेदपुर ।	1-10-1980
2.	बी आर०/3722	मैं० एपैक्स एन्टरप्राईजिज, 14 टाटा नगर, फाऊंड्री बुरामाईन्स, पी ओ० जमशेदपुर ।	1-10-1980
3.	बी० आर०/3754	मैं० प्रेम इलैक्ट्रीकल्स, रासबिहारी पेठ ऊलियां कदमा, जमशेदपुर-5	1-11-1980
4.	बी० आर०/3757	मैं० टी० डी० एन्टरप्राईजिज, 52 अडजई रोड़, बुरामाईन्स, जमशेदपुर-531007 ।	1-2-1981

अत: केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी अभागे तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गई हैं।

के० सी० पाण्डेय,
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

दिनांक 3 जुलाई 1998

सं. 2/1959/डी. एल. आई./भाग-1/1337—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) की धारा की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है) जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) ।

अत: उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि में उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक ने स्कीम की धारा 28 (7) के अंतर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन की छूट प्रदान कर दी है ।

अनुसूची

क्र० सं०	स्थापना का नाम एवं पता	कोड सं०	छूट की प्रभावी तिथि	के० भ० नि० आ० फाइल सं०
1.	मैं० पद्मश्री हास्पिटल एंड रिसर्च सैंटर प्रा० लि०, कादरी हिल्स पोस्ट कुलाशेखर, मैंगलौर—575005 ।	के०एन०/एम०एन० 12742	1-3-94 से 28-2-97	6(40) डी० एल० आई०/के० एन०
2.	मैं० जयलक्ष्मी काश्यू इंडस्ट्रीज, पो० आ० काल्वेट्—574273, कारकाला तालुक ।	के०एन०/20040	1-2-97 से 31-1-2000	6(35) डी० एल० आई०/के० एन०
3.	मैं० फोरेक्शन सर्जेशन प्रोडक्टस प्रा० लि०, 122 इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू मैंगलौर—575011 ।	के०एन०/12355	1-10-93 से	6(36) डी० एल० आई०/के० एन०
4.	मैं० ऐस०फूडस प्रा० लि०, सी-30 इंडस्ट्रियल स्टेट येडाडी, मैंगलौर—575008 ।	के०एन०/एम०एन०जी० 12533	1-2-97 से 31-1-2000	6(37) डी एल० आई०/के० एन०

अनुसूची-1

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड क के अधीन समय-समय पर निर्देश करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर के बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली राशि उस राशि से कम हो जाए तो स्कीम रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर बीमा निगम नियत करें प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

एस. भट्टाचार्जी
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी. एल. आई./भाग-1/1347—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा उपधारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं और कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क), प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटक ने स्कीम की धारा 28 (7) के अन्तर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन की छूट प्रदान कर दी है।

अनुसूची—1

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड सं०	छूट की प्रभावी तिथि	के० भ० आ० फा० सं०
1.	मै० माइक्रोफिनिश पम्पस प्रा० लि० स्पेशल प्लोट, इन्डस्ट्रीयल स्टेट, गोकुल मार्ग, हुबली—580030।	के०एन०/14729	1-7-93 से 30-6-96	6/24/96/डी० एल० आई०
2.	मै० न्यू मंगलोर प्रार्ट सिप वाचमेन्स एसोसिएसन, पोस्ट पानामपुर, मंगलोर—575010।	के०एन०/एम०एन०जी 12818	1-11-93 से 31-10-96	6/16/97/डी० एल० आई०
3.	मै० तुलनाडु फाइनेंश एण्ड डवलपमेन्टस लि० श्री विधारतथना बिल्डिंग पो० आ० नं०-68, ऊडपी—576101 तथा शाखाएं।	के०एन०/एम०एल० जी०/12330	1-12-93 से 30-11-96	6/17/97/डी० एल० आई०
4.	मै० कुमार इंटरप्राइजेज मवाटो पो० ओ० अम्बारबेल—576227, कुण्डापुरा डी० के।	के०एन०/एम०एन० जी०/12900	1-12-96 से 30-11-99	6/18/97/डी० एल० आई०
5.	मै० दक्षिण कन्नाडा सहकारी सक्कारे कारखाने लि०, पो० ओ० बकनावाडा—576213, ऊडपी तालुक, डी० के० जिला।	के०एन०/एम०एन० जी०/12183	1-5-96 से 30-4-99	6/19/97/डी० एल० आई०
6.	मै० टी० ए० पाई मैनेजमेन्ट इन्स्टीटयूट, पो० ओ० मनिपाल, उडुपी, तालुक—576119।	के०एन०/12332	1-1-97 से 31-12-99	6/20/97 डी० एल० आई०
7.	मै० जे० एम० जे० डाइग्नो रिसर्च सेन्टर एण्ड सुपर स्पेशलिटी हास्पिटल चर्च मार्ग-ऊडपी—576101।	के०एन०/एम०एन० जी०-12979	1-3-96 से 28-2-99	6/21/97 डी० एल० आई०
8.	मै० ओला रघविन्द्रा कामथ एण्ड सन्स, पो० ओ० कुकुन्डुर, कर्नाटक—576117।	के०एन०/एम०एल० जी०-2055	1-3-94 से 28-2-97	6/22/97 डी० एल० आई०
9.	मै० साऊथ कनारा एग्रीकल्चर डवलपमैन्ट को० पे० सोसायटी लि०, एस० सी० डी० सी० सी० बैंक बिल्डिंग, मैंगलोर—575003 तथा शाखाएं।	के० एन०/4624	1-3-94 से 28-2-97	6/24/97 डी० एल० आई०
10.	मै० हिन्दुस्तान लिवर लि०, सुलतान बेट्री मार्ग बोलुर मैंगलोर—575003।	के०एन०/12195	1-8-93 से 31-7-96	6/25/97 डी० एल० आई०
11.	मै० श्रीरामाकृष्णा हाई स्कूल, एस० आर० एस० होम, बोलुर मैंगलोर—575003।	के०एन०/12711	1-8-93 से 31-7-96	6/26/97 डी० एल० आई०
12.	मै० मेटा-लास्ट इंजीनियरिंग वर्क, प्लोट नं० 152 बी, इन्डस्ट्रीयल एरिया, बैकमपाडी, मैंगलोर—575011।	के०एन०/20004	1-11-96 से 31-10-99	6-27/97 डी० एल० आई०

अनुसूची II

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचनापट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपबंध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले ही अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाते या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाए तो रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत प्राप्त राशि तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

एस. भट्टाचार्जी
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

भारतीय विधिज्ञ परिषद

भारतीय विधिज्ञ परिषद ने 21 और 22 मार्च 1998 को हुई अपनी बैठक में संकल्प सं० 12/1998 के अनुसार पांच वर्षीय और तीन वर्षीय विधि पाठ्यक्रम से सम्बन्धित क्रमशः खण्ड 'क' में नियम 18 (1) और खण्ड 'ख' में नियम 13 (1) (एक समान नियम) को संशोधित किया है। विद्यमान नियम निम्नानुसार है :—

"यदि परिषद की राय है कि किसी महाविद्यालय की संबद्धता को अनुमोदित किया जाए तो वह प्रस्तावित कार्रवाई की सूचना महाविद्यालय के प्राचार्य और विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को सूचना प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर कारण बताने के लिए, देगी और परिषद अन्तिम आदेश करने के पूर्व, प्राप्त उत्तर पर विचार करेगी।"

संशोधित नियम इस प्रकार पढ़ा जाएगा :—

"यदि परिषद की राय है कि किसी ऐसे महाविद्यालय की जिसकी संबद्धता को अनुमोदित किया जा चुका है, सम्बद्धता को अनुमोदित किया जाना चाहिए तो वह प्रस्तावित कार्रवाई की सूचना महाविद्यालय के प्राचार्य और विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को सूचना प्राप्ति के 30 दिन के भीतर, कारण बताने के लिए देगी और परिषद अन्तिम आदेश करने के पूर्व प्राप्त उत्तर पर विचार करेगी।"

उपरोक्त संशोधन 22-3-1998 से प्रवृत्त हो गया है।

सी० एम० बलरामन,
सचिव

तारीख 23-5-1998

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

मुंबई दिनांक 29 जून, 1998

सं० यूटी/डीबीडीएम/आर-119/एसपीडी/71-यू/97-98 भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 (1963 का 52) की धारा 19 (1) (8) सी के अन्तर्गत बनाए गए मासिक आय प्लान 1998 (II) जो कथित अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गत बनाई गई यूनिट योजना, जो मासिक आय योजना 1998 (II) से सम्बन्धित है, का पेशकश दस्तावेज, जिसे 24-2-1998 को हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक में अनुमोदित किया गया, इसके नीचे प्रकाशित किया जाता है।

ए० जी० जोशी,
महाप्रबन्धक
व्यवसाय विकास एवं विपणन

भारतीय यूनिट ट्रस्ट
मासिक आय प्लान 1998 (II)
पेशकश (ऑफर) दस्तावेज

पेशकश 12 मई 1998 से 25 जून 1998 तक खुली है

मासिक आय प्लान 1998 (II) भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 (1963 का 52) की धारा 19 (1)(8)(सी) के अंतर्गत बनाया गया है जो कथित अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत यूटीआई के न्यासी मंडल द्वारा बनाई गई यूनिट योजना, मासिक आय योजना 1998 (II) के संबंध में है। यह पेशकश दस्तावेज योजना के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करता है जो भावी निवेशक निवेश करने के पहले जानना चाहते हैं। पेशकश दस्तावेज भविष्य के संदर्भ हेतु रखे जाने चाहिए।

योंजना के विवरण भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड) विनियम,1996 के अनुसार तैयार किए गए हैं यथा तिथि तक संशोधित एवं सेबी के पास पंजीकृत है और जन साधारण के अभिदान हेतु पेश किए गए यूनिट सेबी द्वारा न तो अनुमोदित अथवा अननुमोदित किए गए हैं न ही सेबी ने पेशकश दस्तावेज की यथार्थता अथवा पर्याप्तता को ही प्रमाणित किया है।

प्लान का उद्देश्य

यह एक आयोन्मुख प्लान है । प्लान का उद्देश्य या तो मासिक/वार्षिक आधार पर नियमित आय प्रदान कर अथवा 5 वर्षों की अवधि के दौरान निवेश की संवृद्धि को उपलब्ध करा कर निवेशकों की आवश्यकताओं को पूरा करना है।

विशिष्टताएं

* यह पांच वर्ष का नियत कालिक प्लान है।
* इस प्लान के तहत तीन विकल्प हैं : 1) मासिक आय विकल्प 2) वार्षिक आय विकल्प एवं 3) संचयी विकल्प।
* यूनिट का अंकित मूल्य रु. 10/- है एवं यूनिटों की बिक्री सम-मूल्य पर की जाएगी।
* ट्रस्ट प्लान के सभी 5 वर्षों के लिए मासिक आय विकल्प के तहत 12.5% प्र.व. की दर से मासिक रूप से देय एवं वार्षिक आय विकल्प के तहत 13.25% प्र.व. की दर से वार्षिक रूप से देय आश्वासित आय का भुगतान करेगा।
* मासिक आय विकल्प के अन्तर्गत, मार्च 1999 तक की अवधि के लिए आय वितरण वारंट सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र के साथ भेजे जाएंगे। तदुपरांत, प्रत्येक अप्रैल-मार्च अवधि के लिए मासिक रूप से देय आय वारंट अग्रिम रूप से भेजे जाएंगे।

वार्षिक आय विकल्प के अंतर्गत जुलाई, 1998 से जून, 1999 (दिनांकित 1 जुलाई 1999) तक की अवधि के लिए आय वितरण वारंट माह जून, 1999 में भेजे जाएंगे। तदुपरांत, प्रत्येक जुलाई-जून अवधि के लिए आय वितरण वारंट जून में भेजे जाएंगे। फिर भी, निवेश की तिथि पर निर्भर करते हुए, चेक के जरिए, मासिक आय विकल्प के अन्तर्गत सदस्यों पर लागू सीमा में, 12.50% प्र.व. की दर से 30 जून, 1998 तक की अवधि के लिए, निवेशक की क्षतिपूर्ति की जाएगी। चेक सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र के साथ भेजा जाएगा।

संचयी विकल्प के अंतर्गत रु. 5000/- परिपक्वता पर कम से कम रु. 9314/- हो जाएंगे (प्राप्ति 13.25%)। तथापि, वर्ष में रु.10,000/- से अधिक आय पर, आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार स्रोत पर कर काटा जाएगा।

सभी तीनों विकल्पों के अन्तर्गत पुनर्खरीद की अनुमति 1 जुलाई 2001 से एनएवी आधारित पुनर्खरीद मूल्य पर होगी।

अभिदान बंद होने के छः माह के भीतर योजना को एनएसई के थोक ऋण खंड पर सूचीबद्ध कराया जाएगा।

यह गारंटी दी जाती है कि योजना में निवेशित पूंजी परिपक्वता पर सुरक्षित रहेगी अर्थात् यूनिटें सम-मूल्य से नीचे विमोचित नहीं की जाएंगी। ट्रस्ट का विकास प्रारक्षित निधि (डीआरएफ) इस पूंजी सुरक्षा की गारंटी देगा। समयपूर्व पुनर्खरीद के लिए ऐसी कोई गारंटी नहीं है तथा ऐसे मामलों में पुनर्खरीद मूल्य प्रचलित शुद्ध आस्ति मूल्य के अनुसार होगी। निवेश का एक भाग इक्विटी में होने के कारण पूंजी वृद्धि की संभावना है।

आय और पुनर्खरीद/प्रतिदान प्राप्तियां एनआरआई तथा ओसीबी के लिए पूर्णतया प्रत्यावर्तनीय हैं जहां निवेश विदेशों में विप्रेषण के माध्यम से या एनआरई खाते को नामे करके अथवा एफसीएनआर जमाओं की राशि से चेक/ड्राफ्ट जारी करके किया जाता है।

वितरित आय और पूंजी वृद्धि से पूंजीगत अभिलाभ पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80एल एवं धारा 48 तथा 112 के अंतर्गत कर लाभ। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 54ईए के अंतर्गत पूंजीगत अभिलाभ कर से छूट, बशर्ते अवरुद्ध अवधि स्वीकृति तिथि से तीन वर्ष की हो।

विषय-सूची

मद सं.	विषय-सूची	पृष्ठ सं.
I.	मुख पृष्ठ	1
II.	परिभाषा	3-5
III.	जोखिम तत्व	5
IV.	यूनिट एवं पेशकश	5-11
V.	आय	11-13
VI.	यूनिटों की बिक्री	13-17
VII.	यूनिटों की पुनर्खरीद	17-20
VIII.	आय एवं वितरण	20-24
IX.	निवेश उद्देश्य, नीतियां एवं स्टॉक प्रदान करना	24-25
X.	अंतरयोजना अंतरण	26
XI.	संयुक्त सौदे एवं उधार	27

XII.	एनएवी निर्धारण एवं आस्तियों का मूल्यांकन	28-29
XIII.	लेखा-नीतियां	29-32
XIV.	निवेशों का कर-निरूपण	32-34
XV.	निवेशकों के अधिकार एवं सेवाएं	34
XVI.	यूटीआई की स्थापना एवं प्रबंधन	34-36
XVII.	योजना के लिए अन्य सेवा प्रदान करने वाले	37-39
XVIII.	निवेशकों की शिकायतों का निवारण	39-42
XIX	जुर्माना, लंबित मुकदमों, निरीक्षण/जाँच-पड़तालों का महत्वपूर्ण निर्णय	42
XX.	संक्षिप्त वित्तीय जानकारी	43-46
XXI.	देय अध्यवसाय	47
XXII.	उन योजनाओं का विवरण जिनके प्रतिलाभ की गारंटी डीआरएफ द्वारा दी गई है	48

II. परिभाषाएं

इस योजना और इसके अंतर्गत बने प्लान में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) "स्वीकृति तिथि" का अर्थ ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की बिक्री या पुनर्खरीद के लिए किसी आवेदक द्वारा ट्रस्ट को प्रेषित आवेदन पत्र के संदर्भ में वह तिथि है जब ट्रस्ट संतुष्ट होकर समझता है कि आवेदन सही है और उसे स्वीकार करता है;

(ख) "अधिनियम" का तात्पर्य भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) से है;

(ग) "वैकल्पिक आवेदक" का अर्थ नाबालिग के मामले में माता-पिता के अलावा उस माता-पिता से है जिन्होंने नाबालिग की ओर से आवेदन किया हो।

(घ) "आवेदक" का अर्थ है वह व्यक्ति जो योजना और उसके अंतर्गत बनाए गए प्लान में शामिल होने के लिए पात्र होगा, जो अवयस्क नहीं होगा और आवेदन पत्र में उल्लिखित वैकल्पिक आवेदक सहित जब मानसिक विकलांग व्यक्ति के लाभ के लिए यूनिटो की बिक्री की गयी हो और प्लान के खण्ड IV के अंतर्गत आवेदन करता हो।

(ड.) "पात्र संस्था" का अर्थ भारतीय यूनिट ट्रस्ट सामान्य विनियमावली 1964 में यथापरिभाषित कोई पात्र ट्रस्ट है।

(च) "फर्म", "भागीदार" और "भागीदारी" के अर्थ भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) में दिए गए अर्थ हैं, परंतु अभिव्यक्त भागीदार मे कोई भी व्यक्ति सम्मिलित हो सकता है, जो नाबालिग हो और जिसे भागीदारी के लाभ प्राप्त करने के लिए शामिल किया गया हो।

(छ) "सूचीबद्धता" का अर्थ एनएसई के थोक ऋण खंड पर व्यवसाय करने के प्रयोजन से यूनिटों का सूचीबद्ध किया जाना है।

(ज) योजना और उसके अन्तर्गत बने प्लान में "सदस्य" के रूप में प्रयुक्त अभिव्यक्ति का अर्थ और इसमें शामिल उस आवेदक से है, जिसे इस योजना में यूनिट आबंटित किए गए हों।

(झ) "मानसिक विकलांग व्यक्ति" का अर्थ वह व्यक्ति, जो ऐसी मानसिक अक्षमता से ग्रस्त हो, जो उसे जीवन के सामान्य कार्य करने से वंचित रखती हो।

(ञ) "अनिवासी भारतीय (एनआरआई)" का तात्पर्य भारतीय राष्ट्रीयता/मूल के अनिवासियों से है। जैसा कि मूलत: अधिनियमित भारत सरकार अधिनियम, 1935 में परिभाषित है, किसी भी व्यक्ति को "भारतीय मूल का व्यक्ति" माना जाएगा यदि वह या उसके माता-पिता या पितामह-पितामही में से कोई भी, श्रेणी अथवा पूर्वज के रूप में कितना ही बड़ा क्यों न हो, चाहे पितृपक्ष या मातृपक्ष से हो, भारत में जन्मा हो/जन्मी हो।

(ट) "जारी समझे जानेवाले यूनिटों की संख्या" का अर्थ बेचे गए और बकाया यूनिटों की कुल संख्या है।

(ठ) "विदेशी निगमित निकाय" (ओसीबी) के अंतर्गत विदेशी कंपनियां, भागीदारी फर्म, समितियां और अन्य निगमित निकाय जिनका कम से कम 60% तक की सीमा का स्वामित्व प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत के बाहर रहने वाले भारतीय राष्ट्रीयता अथवा मूल के व्यक्तियों का हो तथा विदेशी ट्रस्ट जिनमें कम से कम 60% लाभप्रद हित अप्रतिसंहरणीय रूप से ऐसे व्यक्तियों द्वारा धारित हों, शामिल हैं।

(ड) "व्यक्ति" में ऊपर यथापरिभाषित पात्र संस्था शामिल है।

(ढ) "रजिस्ट्रार" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी सेवाएं ट्रस्ट द्वारा योजना के अंतर्गत समय-समय पर रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करने के लिए ली जा सकें।

(ण) "विनियमावली" का अर्थ अधिनियम की धारा 43 (1) के अन्तर्गत बनी भारतीय यूनिट ट्रस्ट सामान्य विनियमावली 1964 है।

(त) "सेबी" का अर्थ है भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड अधिनियम 1992 (1992 का 15) के अंतर्गत बनाया गया भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड।

(थ) "समिति" का अर्थ समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत स्थापित समिति या फिलहाल प्रवृत्त राज्य या केन्द्रीय विधि के अन्तर्गत स्थापित अन्य कोई समिति है।

(द) "ट्रेडींग" का तात्पर्य यूनिटों के पहले आबंटन के बाद राष्ट्रीय शेयर बाजार (एनएसई) के थोक ऋण खंड के जरिए यूनिटों के खरीद अथवा बिक्री में व्यवहार से है।

(ध) "यूनिट" का अर्थ यूनिट पूंजी में दस रुपये के अंकित मूल्य का एक अविभक्त शेयर है।

(न) "यूनिट पूंजी" का तात्पर्य फिलहाल यूनिट योजना के अंतर्गत निर्गत और शेष यूनिटों के अंकित मूल्य के योग से है।

(प) "यूनिट ट्रस्ट" या "ट्रस्ट" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट से है।

(फ) इसमें अपरिभाषित लेकिन अधिनियम/विनियमावली में परिभाषित अन्य सभी अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम/विनियमावली में दिये गये हैं।

(ब) एक वचन वाले शब्दों में बहुवचन शामिल हैं और सभी पुल्लिग संदर्भों में स्त्रीलिंग तथा एक में दूसरे के विपर्यय शामिल हैं।

III. जोखिम के तत्व

- म्यूचुअल फंड एवं प्रतिभूतियों में निवेशों पर बाजार का जोखिम होता है। पूंजी की सुरक्षा की गारंटी उन निवेशकों को उपलब्ध नहीं होगी जो योजना की परिपक्वता से पहले पुनर्खरीद करते हैं तथा ऐसे मामलों में पुनर्खरीद मूल्य शुद्ध आस्ति मूल्य पर निर्भर होगा ।

- जैसे प्रतिभूतियों में किए जाने वाले किसी भी निवेश में होता है, योजना के अंतर्गत जारी यूनिटों का एनएवी पूंजी बाजार को प्रभावित करनेवाली शक्तियों एवं कारकों पर निर्भर करते हुए ऊपर या नीचे जा सकता है।

- पूर्व योजनाओं का कार्यनिष्पादन आवश्यक रूप से भावी परिणामों का द्योतक नहीं है।

- मासिक आय प्लान 1998 (II) केवल प्लान का नाम है और यह किसी भी प्रकार से प्लान की गुणवत्ता का संकेत नहीं देता है।

- नियतकालिक योजनाओं के समान इसमें विरल सौदे को जोखिम एवं यूनिटों के बाजार मूल्य के एनएवी पर बट्टा काटे जाने की संभावना होती है।

- ट्रस्ट की विकास प्रारक्षित निधि (डीआरएफ) द्वारा गारंटी प्रदान करने के आधार पर इस योजना के अंतर्गत आय का आश्वासन दिया गया है। डीआरएफ की गारंटी के साथ आश्वासित आय वाली 8 योजनाओं के अंतर्गत रु.5378.69 करोड़ की निवेश योग्य निधियों के प्रति 31.12.97 को डीआरएफ की मात्रा रु.574.41 करोड़ है। डीआरएफ की आस्तियों का करीब 62% इक्विटियों में है जबकि 26% आस्तियां मुद्रा बाजार लिखतों में एवं शेष ऋण लिखतों में हैं।

IV. यूनिट एवं पेशकश

1. यह योजना मासिक आय योजना 1998 (II) [एमआईएस '98 (II)] कही जाएगी और इस योजना के अंतर्गत बनाया गया प्लान मासिक आय प्लान 1998 (II) कहा जाएगा।

2. यह योजना पांच वर्षों के लिए अर्थात् 1 जुलाई 1998 से 30 जून 2003 तक के लिए होगा।

3. यूनिटों की बिक्री 12 मई 1998 से 25 जून 1998 तक 45 दिनों के लिए होगी। बशर्ते यूनिट ट्रस्ट के न्यासी मंडल की कार्यकारिणी समिति/अध्यक्ष किसी भी समय युद्ध या युद्ध जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होने पर, स्टाक एक्सचेंजों में व्यवसाय न होने पर या अन्य सामाजिक-आर्थिक कारणों से अखबारों में 7 दिनों की नोटिस देने के बाद या ऐसी पद्धति से जैसा ट्रस्ट द्वारा निश्चय किया जाए, योजना के अंतर्गत यूनिटों की बिक्री स्थगित कर सकते हैं।

4 इस योजना के अंतर्गत जारी किए गए प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य दस रुपए होगा।

5. **यूनिटों के लिए आवेदन :**

यूनिटों के लिए आवेदन निवासियों और अनिवासियों द्वारा भी किये जा सकते हैं।

निवासी

(i) व्यक्ति, एकल या अन्य व्यक्ति के साथ या दो व्यक्तियों तक संयुक्त।

(ii) नाबालिग निवासी की ओर से माता-पिता, सौतेले माता-पिता या अन्य विधिक अभिभावक। बालिग और नाबालिग संयुक्त रूप से आवेदन नहीं कर सकते हैं।

(iii) योजना में यथापरिभाषित पात्र संस्था, जिसमें अप्रतिसंहरणीय और लिखत द्वारा निर्मित निजी न्यास शामिल है।

(iv) मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लाभ के लिये कोई व्यक्ति।

(v) योजना में यथापरिभाषित कोई समिति।

(vi) पंजीकृत सहकारी समिति।

(vii) कंपनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत निर्मित कंपनी सहित अन्य निगमित निकाय एवं बैंक।

(viii) हिन्दू अविभक्त परिवार।

(ix) सेना/नौसेना/वायु सेना/पैरामिलिट्री निधियां।

(x) भागीदारी फर्म*।

अनिवासी पूर्णतया प्रत्यावर्तनीय आधार पर :

(i) अनिवासी वयस्क व्यक्ति या तो एकल या अन्य व्यक्ति के साथ या दो व्यक्तियों तक संयुक्त ।

(ii) नाबालिग अनिवासी की ओर से पिता/माता/सौतेले माता-पिता/विधिक अभिभावक।

(iii) अनिवासी हिंदू अविभक्त परिवार।

(iv) अनिवासी कंपनी/विदेशी निगमित निकाय जिनमे अनिवासी भारतीयो का स्वत्वाधिकार कम से कम 60% तक हो।

*भागीदारी फर्म द्वारा आवेदन, फर्म के अनधिक तीन सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए तथा ट्रस्ट सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए प्रथम नामित सदस्य को ही सदस्य के रूप में मान्यता देगा।

6 **न्यूनतम निवेश राशि**

मासिक एवं वार्षिक आय विकल्प के अंतर्गत आवेदन न्यूनतम रु. 10,000/- और संचयी विकल्प के अंतर्गत न्यूनतम रु. 5000/- के लिए किया जाना चाहिए। कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी। रु. 10/- के गुणकों में नहीं रहने वाले निवेश के लिए यूनिटों का आबंटन भिन्नांक में दशमलव के बाद तीन अंकों तक किया जाएगा। रु. 50,000/- और उससे अधिक निवेश के मामले में, निवेशक को सलाह दी जाती है कि यदि उसका आयकर पीएएन/जीआईआर संख्या है तो वह उसे तथा संबंधित आयकर सर्किल के पते का उल्लेख करे।

7. **एकत्र की जानेवाली न्यूनतम लक्ष्य राशि**

योजना के अंतर्गत एकत्र की जानेवाली लक्ष्य राशि 100 करोड़ रुपए होगी। एकत्रित की जानेवाली अधिकतम राशि रु.1000 करोड़ है। रु.1000 करोड़ से अधिक का अत्यभिदान, सेबी (म्यूचुअल फंड) अधिनियम, 1996 का विनियम 35 की शर्तों के अनुसार लौटा दिया जाएगा।

यदि 100 करोड़ रुपये की लक्ष्य राशि का अभिदान न हो, तो योजना के अंतर्गत एकत्र की गई सम्पूर्ण राशि को यूनिटों की बिक्री बंद होने की तिथि से छः सप्ताह के भीतर ट्रस्ट द्वारा खाते में देय चेक/प्रत्यर्पण आदेश द्वारा धन वापस किया जाएगा।

उक्त अनुबद्ध अवधि के भीतर राशि वापस न करने की स्थिति में यूनिटों की बिक्री बंद होने की तिथि से छः सप्ताहों की समाप्ति पर ट्रस्ट आवेदक को 15% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने का जिम्मेदार होगा।

8. **सूचीबद्धता**

अभिदान बंद होने की तारीख से छः माह के भीतर इस योजना के अंतर्गत जारी यूनिट एनएसई के थोक ऋण खंड पर सूचीबद्ध किए जाएंगे। सेबी (म्यूचुअल फंड) अधिनियम, 1996 के विनियम 32 के अनुसार सेबी से योजना का अनुमोदन प्राप्त होने के तुरंत बाद शेयर बाजार को सूचीबद्धता के लिए आवेदन किया जाएगा।

9. **सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र**

ट्रस्ट, प्लान के अंतर्गत यूनिटों की बिक्री बंद होने की तिथि से छः सप्ताहों के भीतर सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र भेजेगा। ट्रस्ट आवेदक का सदस्य के विकल्प पर, सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र जारी करेगा।

यूनिट प्रमाणपत्र अंतरणीय है जबकि सदस्यता सूचना नहीं। हालांकि, निवेशक के प्लान में शामिल होने के संबंध में दोनों समान रूप से वैध साक्ष्य हैं। निवेशक, आवेदन पत्र में उपयुक्त स्थान पर निशान लगा करके सदस्यता सूचना या यूनिट प्रमाणपत्र में से कोई एक प्राप्त करने का चयन कर सकते हैं। सामान्यतया, ऐसे निवेशक जो योजना के सूचीबद्ध होने पर शेयर बाजारों में लेन-देन करना चाहते हैं वे यूनिट प्रमाणपत्र का चुनाव विकल्प हैं। तथापि, यदि आवेदन पत्र में कोई वरीयता न दी गई हो तो निवेशक को सदस्यता सूचना भेजी जाएगी।

अनिवासी भारतीय सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र के प्रेषण के लिए निम्नलिखित में से किसी एक तरीके का चयन कर सकता है :

(i) आवेदक के भारतीय/विदेशी पते पर

या

(ii) आवेदक के भारत में स्थित रिश्तेदार के पते पर

10. **यूनिटों का अंतरण/गिरवी रखा जाना/समनुदेशन :**

इस योजना के अंतर्गत जारी यूनिटें निम्नलिखित शर्तों के अधीन अंतरणीय/गिरवी रखे जाने योग्य/समनुदेशनीय होंगी :

(i) इस योजना के प्रावधानों के अनुसार जारी यूनिट प्रमाणपत्र (सदस्यता सूचना नहीं) परक्राम्य है और जैसा कि मद 5 "यूनिट एवं पेशकश" में उल्लेख किया गया है इसे व्यक्तिगत, व्यक्त या अन्य श्रेणियों को अंतरित किया जा सकता है।

(ii) यूनिटधारण करने की क्षमता रखनेवाले अंतरणकर्ता और अंतरिती के द्वारा और बीच अंतरण प्रभावकारी होगा। किसी अन्य अंतरण को मान्यता देने के लिए ट्रस्ट बाध्य नहीं होगा।

(iii) संबंधित यूनिट प्रमाणपत्रों के साथ अंतरण दस्तावेज और अंतरण माह सहित और तक अनभुनाये गए वारंट (मासिक आय विकल्प के मामले में) तथा ट्रस्ट द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क इस कार्य हेतु नियुक्त किए गए रजिस्ट्रार के किसी भी कार्यालय में प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

(iv) ट्रस्ट के किसी भी कार्यालय में प्रस्तुत या कार्यालय द्वारा स्वीकृत अंतरण संलेख नजदीक के रजिस्ट्रार के कार्यालय में अग्रेषित किए जाएंगे।

(v) प्रत्येक अंतरण लिखत पर अंतरणकर्ता तथा अंतरिती के हस्ताक्षर होंगे और रजिस्ट्रार द्वारा अंतरिती का नाम सदस्यों के रजिस्टर में दाखिल करने तक अंतरणकर्ता को ही यूनिट का धारक समझा जाएगा।

(vi) अंतरणकर्ता के स्वत्वाधिकार या उसके यूनिटों का अंतरण करने के अधिकार के समर्थन में रजिस्ट्रार ऐसा कोई सबूत मांग सकते हैं जो उन्हें आवश्यक लगे।

(vii) यदि यूनिट प्रमाणपत्र खो गया हो, चुरा लिया गया हो, नष्ट हो गया हो तो कुछ अपेक्षाओं, जिन्हें रजिस्ट्रार जरुरी समझे, को पूरा करने के बाद मूल यूनिट प्रमाणपत्र की प्रस्तुति के संबंध में रजिस्ट्रार छूट देंगे।

(viii) यूनिटों के अंतरण का पंजीकरण होने पर अंतरण के सभी लिखत और यूनिट प्रमाणपत्र रजिस्ट्रार के पास रहेंगे।

(ix) अंतरण को मान्यता देने वाले तथा पंजीकृत करनेवाले रजिस्ट्रार, उक्त अंतरण एवं प्रमाणपत्रों तथा वारंटों को जारी करने के संबंध में देय प्रभारों की अदायगी तथा वसूली के बाद, मूल या नया यूनिट प्रमाणपत्र और आय वितरण वारंट, यदि कोई हों (मासिक आय विकल्प के मामले में) अंतरिती को जारी करेंगे।

(X) यदि कोई अंतरिती अधिकारिक क्षमता के कारण विधि के परिचालन से या गिरवी लागू होने पर अनुसूचित बैंक यूनिटों का धारक बन जाता है तो इच्छुक अंतरिती यूनिटों के धारण के लिए अन्यथा पात्र होने पर रजिस्ट्रार ऐसे साक्ष्य जिसे पर्याप्त समझें, के प्रस्तुतीकरण के अधीन अंतरण प्रभावी करेंगे।

(xi) इसमें ऊपर उल्लिखित प्रावधानों के अधीन ट्रस्ट अंतरण को पंजीकृत करेगा और यूनिट प्रमाणपत्र दाखिल करने की तिथि से 30 दिनों के भीतर अंतरिती को आय वारंट, यदि कोई हो, सहित यूनिट प्रमाणपत्र अंतरण संबंधी सभी लिखतों के साथ वापस करेगा।

11. **योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान की समाप्ति :**

(i) प्लान 30-06-2003 को पूर्ण रूप से समाप्त किया जाएगा, सदस्यों के बकाया यूनिटों की पुनर्खरीद की जाएगी और सदस्यों को उनके यूनिटों के मूल्य की अदायगी उक्त अवधि के दौरान अंतिम पुनर्खरीद के लिए निर्धारित पुनर्खरीद मूल्य पर की जाएगी। निर्धारित पुनर्खरीद मूल्य की प्राप्ति के अलावा बाद की किसी अवधि के लिए पुनर्खरीद मूल्य में वृद्धि या आय के रूप में किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त लाभ उपचित नहीं होगा। फिर भी, ट्रस्ट, सेबी की पूर्व अनुमति से इस योजना को 5 वर्षों से आगे बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ऐसी स्थिति में सदस्यों को विकल्प दिया जाएगा कि या तो वे यूनिटों को वापस ट्रस्ट को बेच दें अथवा इस योजना में बने रहें। ट्रस्ट द्वारा निवेशक को यह विकल्प भी दिया जा सकता है कि वह पुनर्खरीद की राशि को आरंभ की गई अथवा उस समय परिचालन में रहने वाली किसी भी योजना में परिवर्तित कर सके।

योजना अवधि का 5 वर्षों के बाद विस्तार विनियम 33 के उपविनियम 4 के अनुसार होगा। उपविनियम के प्रावधान हैं :
एक नियतकालिक योजना परिपक्वता अवधि के उपरांत पूरी तरह उन्मोचित होगी।

बशर्ते नियतकालिक योजना को रोल-ओवर की अनुमति दी जाएगी यदि रोल-ओवर के उद्देश्य, अवधि एवं अन्य शर्तें एवं रोल-ओवर के तुरंत पहले आस्तियों का संभावित निपटान सहित योजना की महत्वपूर्ण जानकारियां, शुद्ध आस्तियां एवं योजना के शुद्ध आस्ति मूल्य का प्रकटीकरण यूनिटधारकों को और इसकी एक प्रति सेबी को भेजी गई हो।

बशर्ते इसके आगे, केवल उन्हीं यूनिटधारकों के मामले में रोल-ओवर की अनुमति दी जाए जिन्होंने लिखित में अपनी सहमति दी हो एवं जो यूनिटधारक रोल-ओवर का विकल्प नहीं चुनते हैं या लिखित सहमति नहीं देते हैं उन्हें शुद्ध आस्ति मूल्य पर अपनी धारिताओं का मोचन करने की अनुमति दी जाए।

(ii) ट्रस्ट योजना और उसके अंतर्गत बनाए गए प्लान को निम्नलिखित परिस्थितियों में समाप्त कर सकता है :

(क) प्लान के पांच वर्ष पूरे होने पर अर्थात् 30 जून, 2003 को अथवा 5 वर्ष के आगे ऐसी तारीख की समाप्ति पर जो ट्रस्ट द्वारा यथानिर्धारित हो।

(ख) कोई ऐसी घटना घटित होने पर जिससे ट्रस्ट की राय में योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान की समाप्ति आवश्यक हो, या

(ग) योजना के 75% सदस्यों द्वारा योजना को समाप्त करने का संकल्प पारित करने पर, या

(घ) सदस्यों के हित में सेबी ऐसा करने के लिए निर्देश दें।

(iii) जहां उपर्युक्त उप खण्ड (ii) के अनुसरण में योजना की समाप्ति की जाती है, तो ट्रस्ट को योजना को समाप्त करने वाले कारणों की सूचना, समापन के कम से कम एक सप्ताह पहले सेबी को और अखिल भारतीय स्तर पर परिचालित होनेवाले दो दैनिक समाचार पत्रों में और मुंबई में एक स्थानीय भाषा के समाचार पत्र में देनी होगी।

(iv) योजना की समाप्ति संबंधी विज्ञापन की तिथि को और उस तिथि से ट्रस्ट -

(क) इस योजना से संबंधित कोई भी व्यावसायिक क्रियाकलाप नहीं करेगा।

(ख) इस योजना के अंतर्गत यूनिटों को उत्पन्न और रद्द करना बंद करेगा।

(ग) इस योजना में यूनिटों को जारी करना और यूनिटों का प्रतिदान भी बंद करेगा।

(v) न्यासी मंडल सदस्यों की एक बैठक बुलाएगा जिसमें उपस्थित सदस्यों द्वारा विचार किया जाएगा तथा साधारण बहुमत से आवश्यक संकल्प पारित किया जाएगा और मतदान द्वारा न्यासियों अथवा किसी अन्य व्यक्ति को योजना की समाप्ति हेतु कदम उठाने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा।

परन्तु यदि योजना परिपक्वता अवधि के पूरा होने पर समाप्त की जाती है तो बैठक आवश्यक नहीं होगी।

(vi) (क) न्यासी मंडल या योजना के उप खंड (v) के अन्तर्गत प्राधिकृत व्यक्ति योजना से संबंधित आस्तियों को योजना के सदस्यों के सर्वोत्तम हित में निपटाएगा।

(ख) ऊपर दिए गए खण्ड (vi)(क) के अनुसार की गई बिक्री की राशि को पहले दृष्टान्त में, योजना के अंतर्गत ऐसी देयताओं के उन्मोचन के लिए उपयोग किया जाएगा जो उचित रूप से देय हों और ऐसी समाप्ति से संबंधित व्ययों को चुकाने के लिए उचित प्रावधान करने के बाद समाप्ति का निर्णय लेने वाली तिथि को योजना की आस्तियों में यूनिट धारकों के हित के समानुपात में उन्हें शेष राशि का भुगतान किया जाएगा।

(vii) समाप्ति पूरी होने पर, ट्रस्ट सेबी और सदस्यों को समाप्ति के बारे में एक रिपोर्ट प्रेषित करेगा जिसमें ऐसी परिस्थितियां, जिनके कारण योजना समाप्त हुई, समाप्ति से पूर्व आस्तियों के निपटान के लिए उठाए गए कदम, समाप्ति के लिए की गई योजना का व्यय, सदस्यों को वितरण के लिए उपलब्ध शुद्ध आस्तियों के विवरण और योजना के लेखा परीक्षकों से प्राप्त एक प्रमाण पत्र भेजेगा।

(viii) इसमें ऊपर दी गई किसी भी बात के बावजूद, सेबी [म्यूचुअल फंड] विनियम 1996 के प्रावधान, अर्धवार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट के प्रकटीकरण के लिए लागू रहेंगे।

(ix) खण्ड (vii) में संदर्भित रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद यदि सेबी संतुष्ट हो जाती है कि योजना समाप्त करने की सारी कार्यवाही पूरी हो गयी है तो योजना समाप्त हो जाएगी।

(x) ट्रस्ट द्वारा पुनर्खरीद के लिए अनुरोध पत्र के साथ सदस्यता सूचना/विधिवत् रूप से उन्मोचित यूनिट प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर और अन्य प्रक्रिया और परिचालन संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने पर यथाशीघ्र पुनर्खरीद मूल्य का भुगतान किया जाएगा। सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र पुनर्खरीद के लिए प्राप्त अनुरोध पत्र और अन्य फार्म, यदि कोई हों, ट्रस्ट द्वारा रद्दकरण के लिए रख लिए जाएंगे।

(xi) अनिवासी निवेशकों के मामले में पुनर्खरीद/परिपक्वता राशि निवेश के स्रोत पर निर्भर करते हुए निम्नानुसार विप्रेषित की जाएगी :

क. जब यूनिटों की खरीद विदेश से विप्रेषित विदेशी मुद्रा से की गई हो अथवा सदस्य की एफसीएनआर जमाओं की राशि से की गई हो अथवा सदस्य के भारत में स्थित अनिवासी (बाह्य) खाते में धारित निधियों से की गई हो तो प्राप्तियां, सदस्य को विदेशी मुद्रा में विप्रेषित की जा सकती हैं।

ख. जब यूनिटों की खरीद सदस्य के अनिवासी (सामान्य) खाते में धारित निधियों से की गई हो तो परिपक्वता चेक भारत में निवेशक के रिश्तेदार को प्रेषित किया जाएगा, जिसे सदस्य के एनआरओ खाते में जमा किया जाएगा ।

V. व्यय

क. पेशकश की अवधि के दौरान यूनिटें सम-मूल्य पर बेची जाएंगी।

पुनर्खरीद के लिए एनएवी पर भार 5% से अधिक नहीं होगा।

ख) (i) योजना के अंतर्गत एकत्र निधि का निर्गम पूर्व व्यय 6% से अधिक नहीं होगा। योजना के प्रारंभिक निर्गम खर्चों का अनुमान निम्नानुसार है :

व्यय	%
मुद्रण और डाक	1.50
प्रचार और मार्केटिंग	1.75
एजेंटों को कमीशन	1.50
रजिस्ट्रारों का प्रभार	0.50
बैंक प्रभार	0.25
स्टाम्प शुल्क	0.50
योग	**6.00**

इस प्रकार किसी निवेशक द्वारा निवेश किए गए प्रत्येक रुपये में से कम से कम 94 पैसे का इस योजना में निवेश किया जाएगा।

(ii) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान प्रारंभ की गई योजनाओं का प्रारंभिक निर्गम व्यय इस प्रकार है :

योजना	व्यय (एकत्रित निधि का %)
एमएमएमएफ	-
एमआईपी-96(II)	2.51
एमआईपी-96(III)	2.93
एमआईपी-96(IV)	2.61
एमआईपी-97	2.57
डीआईपी-91	3.00
ईओएफ	3.76
एमईपी-97	5.56
आईआईएसएफयूएस-96	0.31

पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान प्रारंभ की गई योजनाओं के संबंध में ट्रस्ट द्वारा वहन किए गए व्यय (डीआरपी द्वारा प्रभारित) इस प्रकार है :

योजना	व्यय (एकत्रित निधि का %)
एमएमएमएफ	0.002
ईओएफ	6.33
एमईपी-97	3.13

ग) आरंभिक निर्गम व्ययों के अतिरिक्त आवर्ती आधार पर योजना का निम्नलिखित व्यय होगा। अनुमानित आवर्ती व्यय निम्नानुसार हैं :

व्यय	%
प्रशासनिक व्यय	0.90
अभिरक्षण शुल्क	0.50
विकास प्रारक्षित निधि	0.25
कर्मचारी कल्याण न्यास	0.10
रजिस्ट्रारों के लिए शुल्क	0.50
योग	**2.25**

उपरोक्त व्यय अनुमानित हैं और वास्तविक रूप से किए गए व्ययों के साथ परिवर्तित किए जाने के अधीन हैं। फिर भी, सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 के अनुसार कुल आरंभिक निर्गम व्ययों के रूप में कुल व्यय एकत्र निधि की 6% की सीमा के भीतर होंगे।

योजना का कुल वार्षिक आवर्ती व्यय, आरंभिक निर्गम व्ययों एवं प्रतिदान व्ययों को छोड़कर परंतु प्रशासनिक व्ययों, विकास प्रारक्षित निधि और कर्मचारी कल्याण न्यास में अंशदान को सम्मिलित करते हुए निम्नलिखित सीमा के अधीन होंगे :

(i) प्रथम 100 करोड़ रुपये की औसत मासिक शुद्ध आस्तियों पर - 2.25%

(ii) अगले 300 करोड़ रुपये की औसत मासिक शुद्ध आस्तियों पर - 2.00%

(iii) अगले 300 करोड़ रुपये की औसत्त मासिक शुद्ध आस्तियों पर - 1.75%

(iv) आस्तियों के शेष पर - 1.50%

प्रशासनिक व्यय, विकास प्रारक्षित निधि में अंशदान एवं कर्मचारी कल्याण न्यास में अंशदान, सेबी (एमएफ) विनियम, 1996 के विनियम 52 के खण्ड 2 के अंतर्गत उल्लिखित सीमा से अधिक नहीं होंगे। नामत:

i) योजना के लिए प्रत्येक लेखा वर्ष में बकाया मासिक औसत शुद्ध आस्तियों का 1.25%, जब तक कि शुद्ध आस्तियाँ 100 करोड़ से अधिक नहीं हो जातीं, और

ii) 100 करोड़ से ऊपर की अतिरिक्त राशि का एक प्रतिशत, जहाँ इस प्रकार परिगणित शुद्ध आस्तियाँ 100 करोड़ से अधिक हों।

सेबी (म्यूचुअल फंड) अधिनियम, 1996 के अनुसार, यूटीआई निवेश प्रबंधन एवं परामर्श शुल्क पर कोई प्रभार नहीं लेता है। तथापि, यूटीआई द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निर्गम पूर्व व्यय एवं वार्षिक आवर्ती व्यय सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 के विनियम 52 के अंतर्गत दर्शाए गए सीमा के भीतर ही होंगे।

घ) विकास प्रारक्षित निधि (डीआरएफ) में अंशदान

प्रत्येक वर्ष मासिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य का 0.25% ट्रस्ट के डीआरएफ में अंशदान के रूप में रखा जाएगा। डीआरएफ अंशदान आवर्ती व्यय का अंश होगा।

डीआरएफ की गारंटी द्वारा आश्वासित आय के साथ शुरु की गई योजनाओं के 5378.69 करोड़ रुपए की निवेश योग्य निधियों की तुलना में 31 दिसंबर 1997 को विकास प्रारक्षित निधि का परिमाण 574.41 करोड़ रुपए है। इन योजनाओं का कार्यनिष्पादन संतोषजनक है। एमआईपी 98(II) एवं अन्य आश्वासित आय योजनाओं की कमी को पूरा करने के लिए विकास प्रारक्षित निधि का परिमाण पर्याप्त समझा जाता है। अन्य आश्वासित आय योजनाओं की संख्या एवं स्थायी निधि पृष्ठ संख्या 48 पर दी गई है।

ट्रस्ट ने इस निधि की स्थापना एक सामान्य निधि के रूप में 1983-84 में की थी ताकि ट्रस्ट नई योजनाओं को लागू करने के संबंध में अनुसंधान एवं विकास कार्यों को करने, नई पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अवधारणा के स्तर पर प्रवर्तन करने तथा उत्पादन एवं विकास से संबंधित ऐसे बहुत से अन्य कार्यों जो किसी विशेष योजना से जुड़े अथवा संबंधित न हों, पर होने वाले व्ययों को पूरा कर सके। इस निधि का उपयोग आर्थिक और पूंजी बाजार अनुसंधान, प्रबंधन और व्यावसायिक प्रशिक्षण, ट्रस्ट के लिए सर्वेक्षण एवं बाजार अनुसंधान, मार्केटिंग और कार्पोरेट के छवि निर्माण संबंधी ऐसे प्रयासों जो किसी विशेष योजना से जुड़े हुए न हों तथा मानव संसाधन विकास संबंधी प्रयासों जिनका दीर्घकालिक प्रभाव हो और जो ट्रस्ट के भविष्य के कार्यकलापों से संबंधित हों, तथा ट्रस्ट की किसी भी योजनाओं में दिए गए आश्वासित प्रतिफल की दर में कमी होने पर उनकी पूर्ति करने साथ ही भारित न की गई योजनाओं के लिए भी किया जा सकता है।

ङ) कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट में अंशदान

प्रत्येक वर्ष मासिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य का 0.10% कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट में अंशदान के रूप में रखा जाएगा। ट्रस्ट ने कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट की स्थापना अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए की है जिसमें विपत्ति में सहायता, चिकित्सा सहायता, स्वास्थ्य सहायता अथवा इसी प्रकार के अन्य प्रयोजन शामिल हैं।

VI. यूनिटों की बिक्री

1. पेशकश की अवधि के दौरान यूनिटों की बिक्री सममूल्य पर होगी। ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की बिक्री-संविदा, स्वीकृति तिथि को पूरी हुई समझी जाएगी। बिक्री-संविदा पूर्ण होने पर ट्रस्ट यथा शीघ्र आवेदक को उसके विकल्प के अनुसार सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र जारी करेगा। ट्रस्ट द्वारा पात्र संस्था, फर्म या निगमित निकाय को जारी सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र पात्र संस्था/फर्म/निगमित निकाय के नाम से जारी करेगा। इस प्रकार प्रेषित सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र के खो जाने, क्षतिग्रस्त हो जाने, गलत डिलिवरी या डिलिवरी नहीं होने का कोई दायित्व ट्रस्ट पर नहीं होगा।

   ट्रस्ट प्लान के अंतर्गत यूनिटों की बिक्री की समाप्ति तिथि से 6 हफ्तों के भीतर सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र भेजने का प्रयास करेगा।

2. भुगतान विधि

(i) किसी आवेदक द्वारा आवेदित यूनिटों के लिए भुगतान आवेदन पत्र के साथ नकद, चेक या ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा। यदि आवेदन यूटीआई के शाखा कार्यालयों में जमा किए जाएं, तो चेक या ड्राफ्ट उसी शहर में स्थित बैंकों की शाखा पर आहरित किए जाएं, जिस शहर में स्थित शाखा कार्यालय में आवेदन जमा किया जाता है।

लेकिन, जहां आवेदक ट्रस्ट के शाखा कार्यालय/संग्रहण केंद्र/विशेष अधिकृत कार्यालय वाले स्थान से भिन्न स्थान से आवेदन करना चाहे तो आवेदित यूनिटों के लिये आवेदन पत्र के साथ देय बैंक ड्राफ्ट के लिये देय बैंक प्रभार घटाकर भारतीय बैंक संघ के दिशानिर्देश के अनुसार बैंक ड्राफ्ट ट्रस्ट को भेजते हुए ऐसा कर सकता है। संग्रहण केन्द्रों/विशेष बिक्री कार्यालयों को, स्थानीय देय चेक अथवा उन स्थानों में जहां तक योजना विकेन्द्रीकृत है, देय मांग पत्र के साथ, जिसमें आवेदक, भारतीय बैंक संघ के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रभार कम कर सकता हो, आवेदन स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है। उदाहरणार्थ, यदि आवेदन राशि रु.10,000/- है तथा बैंक ड्राफ्ट प्रभार इस राशि के लिए रु.20/- है। इस तरह, ड्राफ्ट रु.9,980/- (रु.10,000/- में से रु. 20/- घटाकर) के लिए बनवाया जा सकता है। ड्राफ्ट कमीशन प्रभार प्लान के आरंभिक निर्गम व्ययों का एक अंश होगा।

किंतु, जहां ट्रस्ट का कार्यालय/संग्रहण केंद्र/विशेष बिक्री कार्यालय है और आवेदन स्थानीय बैंक ड्राफ्ट के साथ मिला है तो बैंक ड्राफ्ट कमीशन निवेशक को ही वहन करना होगा।

(ii) यदि भुगतान चेक द्वारा किया जाए तो स्वीकृति तिथि, ट्रस्ट के शाखा कार्यालय या प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र द्वारा चेक प्राप्ति की तिथि होगी, बशर्ते चेक की वसूली हो।

यदि भुगतान ड्राफ्ट द्वारा किया जाए तो स्वीकृति तिथि, ऐसे ड्राफ्ट की निर्गम तिथि होगी, बशर्ते ड्राफ्ट की वसूली हो। लेकिन, आवेदन ट्रस्ट के शाखा कार्यालय या प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र में ड्राफ्ट जारी होने की तिथि से 7 दिनों के भीतर प्राप्त हो जाए। यदि इस प्लान के अंतर्गत आवेदन राशि न्यूनतम निवेश से कम है, तो सम्पूर्ण राशि ट्रस्ट द्वारा यथोचित रीति से आवेदक को उसके खर्चे पर वापस लौटा दी जाएगी।

(iii) *प्रत्यावर्तन लाभों के साथ निवेश की विधि*

एनआरआई/ओसीबी द्वारा किए गए निवेश पर प्रत्यावर्तन का अधिकार निवेशित पूंजी और उस पर अर्जित आय तथा पूंजी वृद्धि (यदि लागू हो) पर तब तक होगा जब तक निवेशक भारत के बाहर का निवासी बना रहेगा। इन स्थितियों में निवेश निम्नलिखित विधियों में से किसी एक के माध्यम से किया जा सकता है।

(क) विदेशी मुद्रा में ड्राफ्ट

(ख) विदेशी बैंकों/विनिमय गृह द्वारा यूटीआई के पक्ष में रुपये में जारी किया गया ड्राफ्ट जो उनके भारतीय संपर्ककर्ता बैंकों पर आहरित हो।

(ग) भारत स्थित बैंक में निवेशक द्वारा कायम रखे गए एनआरई खाते पर आहरित चेक द्वारा।

(घ) एफसीएनआर जमाओं की राशि से जारी किए गए चेक/ड्राफ्ट द्वारा।

इसके अलावा, नेपाल और भूटान की मुद्राओं में अदायगी स्वीकार नहीं की जाती है। यूनिटों में निवेश रुपये में किया जाता है, विदेशी मुद्रा के सभी ड्राफ्टों को उस दर पर रुपये में परिवर्तित किया जाता है जो परिवर्तन के समय प्रचलित हो।

यदि कोई कमी पड़ती हो, तो उसे एनआरआई निवेशक द्वारा विप्रेषित किया जाएगा।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए यह सलाह दी जाती है कि एनआरआई/ओसीबी निवेशक उपर्युक्त (ख) और (ग) में उल्लिखित लिखतों के द्वारा अदायगी करें।

(iv) *प्रत्यावर्तन लाभों के बिना निवेश विधि*

जहां एनआरओ खाते में धारित निधियों का उपयोग यूनिटों की खरीद के लिए किया जाता है तो इस प्रकार निवेश की गई निधियां और उन पर अर्जित आय तथा पूंजी वृद्धि (यदि लागू हो) भारत के बाहर प्रत्यावर्तन के लिए योग्य नहीं होगी।

तथापि भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 19 अगस्त, 1994 के परिपत्र ए.डी. (एम.ए.शृंखला) सं. 18 के अनुसार वित्तीय वर्ष 1996-97 के.दौरान और उसके उपरांत अर्जित सम्पूर्ण आय पूर्ण प्रत्यावर्तन के योग्य होंगी।

जबकि इन मामलों में यूटीआई-एनआरओ खाते में जमा करने के लिए रुपये में अदायगी करेगा, निवेशकों को यह सूचना दी जाती है कि यदि वे यूनिटों पर आय का प्रेषण प्राप्त करना चाहते हों तो अपने बैंक/कर सलाहकार से संपर्क करें।

3. पात्र संस्थाओं, नाबालिगों और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति आदि के लाभ के लिए किसी आवेदक का आवेदन और पंजीकरण :

(i) पात्र संस्थाएं, निगमित निकाय और समितियां (सहकारी समितियों के साथ) सदस्य के रूप में पंजीकृत की जाएंगी।

(ii) कोई भी वयस्क, जो किसी नाबालिग का माता-पिता हो, सौतेला माता-पिता हो या विधिक अभिभावक हो, अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (2ए) के अनुसार और उपबंधित सीमा तक यूनिट रख सकता है और क्रय-विक्रय कर सकता है। अपेक्षानुसार ऐसा वयस्क ट्रस्ट द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से नाबालिग की उम्र और नाबालिग की ओर से यूनिट रखने तथा क्रय-विक्रय करने की क्षमता का प्रमाणपत्र ट्रस्ट के समक्ष पेश करेगा। आवेदन में ऐसे वयस्क द्वारा किये गये कथन के अनुसार बिना किसी अतिरिक्त प्रमाण के ट्रस्ट को कार्य करने का अधिकार होगा।

(iii) जहां किसी अन्य व्यक्ति, जो मानसिक रूप से विकलांग है, के लाभ के लिये किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन किया जाए वहां ट्रस्ट प्रस्तुत कथन के आधार पर कार्य करेगा और ऐसा करने में यह समझा जाएगा कि ट्रस्ट सद्भावपूर्वक कार्य कर रहा है। ट्रस्ट को हक होगा कि वह केवल आवेदक के साथ व्यवहार करे और उसकी मृत्यु की स्थिति में सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए वैकल्पिक आवेदक के साथ व्यवहार करे तथा उक्त आवेदक या वैकल्पिक आवेदक को ट्रस्ट द्वारा यूनिट के सम्बंध में किया गया भुगतान ट्रस्ट के लिए सही उन्मोचन माना जाएगा।

(iv) पात्र संस्थाओं, निगमित निकायों या समितियों से जब कभी अपेक्षा की जाएगी, उन्हें यूनिट में निवेश करने की आवेदक की क्षमता से संबंधित सभी दस्तावेज, जैसे संस्था के अंतर्नियम और बहिर्नियम उप-विधियां आदि, प्रबंध निकाय द्वारा पारित संकल्प की प्राधिकृत प्रति और अपेक्षित मुख्तारनामा की प्रति ट्रस्ट के समक्ष पेश करनी होगी।

(v) फर्म को सदस्य के रूप में पंजीकृत किया जाएगा और सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र फर्म के नाम से बनाया जाएगा।

4. **आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत करने का ट्रस्ट का अधिकार :**

ट्रस्ट को यह अधिकार होगा कि वह अपने विवेक के अनुसार योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान में यूनिट जारी करने के लिए आवेदन स्वीकृत और/या अस्वीकृत कर सके। ट्रस्ट निम्नलिखित परिस्थितियों में यूनिटें जारी करने हेतु आवेदन अस्वीकृत कर सकता है :

i. यदि आवेदन यथास्थिति रु. 10,000/- या रु. 5,000/- की न्यूनतम निवेश राशि से कम के लिए प्राप्त हुआ हो,

ii. यदि आवेदन पहले आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित न हो और

iii. यदि आवेदक, योजना में निवेश करने के लिए पात्र न हो। योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान में आवेदन करने के संबंध में किसी व्यक्ति की पात्रता या अन्यथा के बारे में ट्रस्ट का निर्णय अंतिम होगा।

आवेदन अपूर्ण पाये जाने पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा और बिना किसी ब्याज या अन्य राशि के, चाहे जो भी हो, आवेदन राशि ट्रस्ट द्वारा यथाशीघ्र वापस कर दी जाएगी ।

अपेक्षित परिचालनगत और प्रक्रियागत औपचारिकताएं पूरी होने के बाद राशि वापस की जाएगी।

5. **यूनिट जारी होने से पहले आवेदक को योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान से संबंधित अपेक्षाओं को पूरा करना होगा**

नाबालिग/मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति की तरफ से योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान में यूनिटों के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों पर, आवेदन करने की अपनी पात्रता के बारे में संतुष्ट करना होगा और ट्रस्ट की सभी अपेक्षाएं जैसे नाबालिग की ओर से प्राप्त आवेदन पत्र के मामले में जन्म प्रमाणपत्र/मानसिक विकलांगता के मामले में मनोचिकित्सक या नेत्र चिकित्सक का प्रमाणपत्र।

भागीदारी/न्यासों/सहकारी समितियों/निगमित निकायों/कंपनियां जैसे निकायों की तरफ से यूनिटों के लिए आवेदन के साथ भागीदारी की भागीदारी संलेख की प्रमाणित प्रति/न्यासा का न्यास संलेख/समिति के उप-नियम/निगमित निकायों को शासित करने वाला अधिनियम/योजना में निवेश करने हेतु प्रबंध समिति का संकल्प के साथ कंपनी के अंतर्नियम एवं बहिर्नियम। यूनिटों की पुनर्खरीद के समय, पुनर्खरीद हेतु अधिकृत प्रबंध करने वाला समिति का संकल्प एवं औपचारिकताओं को अनुपालन के लिए निकाय के संबंधित अधिकारी/(अधिकारियों) पुनर्खरीद चेक को स्वीकार करने का प्राधिकरण को प्रस्तुत करना होगा।

गलत घोषणा करके यूनिट रखने वाला व्यक्ति अपनी सदस्यता के निरस्तीकरण का भागी होगा और उसका नाम सदस्यों की पंजी से काट दिया जाएगा।

ट्रस्ट को अधिकार होगा कि वह ऐसी स्थिति में 25% दण्ड के तौर पर घटाने के बाद सममूल्य पर या ट्रस्ट द्वारा निर्धारित मूल्य पर यूनिटों की पुनर्खरीद करे और गलती से भुगतान किये गये आय वितरण की वसूली पुनर्खरीद राशि से करे और शेष वापस करे।

पुनर्खरीद करने और आवेदक को पुनर्खरीद राशि भेजने में ट्रस्ट को जो भी समय लगेगा उसके लिये राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

6. **सदस्यों द्वारा नामांकन :**

(i) नामांकन सुविधा केवल अपनी ओर से आवेदन करने वाले व्यक्तियों अर्थात् एकल या संयुक्त रूप से दो तक के लिए उपलब्ध है। आवेदक एक व्यक्ति को नामित कर सकते हैं । अवयस्क तथा अनिवामी भारतीय भी नामित किए जा सकते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गये दिशानिर्देशों के अनुसार अनिवासी भारतीय नामित किए जा सकते हैं। प्लान के चालू रहने के दौरान आवेदक किसी भी समय नामांकन में परिवर्तन कर सकता है।

(ii) सदस्यों को, जो नाबालिग की ओर से माता-पिता हों या विधिक अभिभावक हों तथा पात्र संस्था, समिति, निगमित निकाय और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लाभ के लिए यूनिट हेतु आवेदन करने वाले आवेदक को नामांकन करने का अधिकार नहीं होगा।

अन्य प्रावधान विनियमों में उपलब्ध कराई गई सीमा तक रहेंगे।

VII. यूनिटों की पुनर्खरीद

1. प्लान के आरंभ होने के तीन वर्ष के बाद अर्थात् 1 जुलाई, 2001 से प्लान के सभी तीनों विकल्पों के अंतर्गत पुनर्खरीद आरंभ होगी। योजना और उसके अंतर्गत बनाए प्लान के अंतर्गत पहले तीन वर्ष के दौरान मृत्यु संबंधी दावों के निपटान के मामले छोड़कर कोई पुनर्खरीद नहीं की जाएगी। पुनर्खरीद मूल्य यूनिटों के एनएवी पर (पूर्ववर्ती आधार पर) आधारित होगा और उसे प्लान के आरंभ होने की तारीख से छ: माह पश्चात् अर्थात् 01.01.1999 को तथा उसके बाद 30.06.2001 तक त्रैमासिक आधार पर समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु जारी किया जाएगा। 01.07.2001 से एक माह के अनधिक अंतराल पर पुनर्खरीद मूल्य की घोषणा की जाएगी। किसी माह के लिए मान्य पुनर्खरीद मूल्य पिछले माह के आखिरी मूल्यांकन दिवस पर तय किए गए एनएवी पर आधारित है। पुनर्खरीद मूल्य परिकलित करते समय ट्रस्ट को प्रशासकीय व्यय और अन्य प्रभार, जो प्रति यूनिट एनएवी के 5% से अधिक न हों, की कटौती करने की स्वतंत्रता होगी।

इसके अतिरिक्त, निवेश का एक भाग इक्विटी में होने के कारण पूंजी वृद्धि की संभावना है।

2. **मासिक आय विकल्प :**

ट्रस्ट योजना और उसके अंतर्गत बनाए गए प्लान के आरंभ होने की तारीख के तीन वर्ष के बाद से यूनिटों की पुनर्खरीद की पेशकश करेगा। पुनर्खरीद पूर्ववर्ती एनएवी पर आधारित होगा और प्लान के प्रारंभ होने के छः माह के पश्चात् अर्थात् 01.01.99 को तथा उसके पश्चात् 30.06.2001 तक त्रैमासिक आधार पर समाचार पत्रों में प्रकाशन के लिए जारी करेगा। 01.07.2001 से एक माह के अनधिक अंतराल पर पुनर्खरीद मूल्य की घोषणा की जाएगी। पुनर्खरीद, सदस्यता सूचना एवं सादे कागज पर अनुरोध पत्र के साथ जो सभी सदस्यों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित हो, एवं अन्य व्यक्ति, जिसका नाम, पेशा और पता दिया गया हो, के साक्ष्य सहित, सदस्यता सूचना/विधिवत् उन्मोचित यूनिट प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर, प्रभावी होगी। आंशिक पुनर्खरीद की अनुमति होगी, बशर्ते सदस्य द्वारा न्यूनतम शेष.रु.10,000/- (अंकित मूल्य) कायम रखा जाए। पुनर्खरीद के लिए आवेदन करते समय सदस्य को पुनर्खरीद माह सहित तथा उसके बाद के महीनों के बचे हुए शेष अनभुनाए हुए आय वितरण वारंट ट्रस्ट को सौंपने होंगे।

पूर्ण रूप से पुनर्खरीद की स्थिति में, ट्रस्ट पुनर्खरीद के अनुरोध पत्र सहित सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र विधिवत् उन्मोचित प्राप्त होने पर भावी महीने के लिए यूनिट पर आय वितरण का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं होगा और न ही पुनर्खरीद की प्राप्तियों पर कोई ब्याज देय होगा।

प्राप्त सभी दस्तावेज और अदत्त आय वितरण वारंट, यदि हों, निरस्तीकरण के लिये ट्रस्ट द्वारा रख लिये जाएंगे।

आंशिक पुनर्खरीद की स्थिति में अपने पास रखे जानेवाले यूनिटों की संख्या पर निर्भर करते हुए सदस्य को नयी सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र और स्वीकृति माह सहित शेष अवधि के लिए आय वितरण वारंटों का नया सेट जारी किया जाएगा। पुनर्खरीद राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

(i) पूर्ववर्ती उप-खण्डों में अन्तर्विष्ट किसी बात के बावजूद, ट्रस्ट यूनिट की पुनर्खरीद करते समय, सदस्य द्वारा उस समय तक बकाया आय वितरण वारंटों को अभ्यर्पित नहीं करने की स्थिति में ट्रस्ट ऐसे आय वितरण वारंटों की भविष्य में देय राशि पुनर्खरीद मूल्य में से घटाकर सदस्य को शेष राशि का भुगतान करने के लिए स्वतंत्र होगा। ट्रस्ट को सदस्यता सूचना और पुनर्खरीद का अनुरोध पत्र/यूनिट प्रमाणपत्र विधिवत् उन्मोचित प्राप्त हो जाने के बाद तथा पूर्ण पुनर्खरीद की स्थिति में सदस्य को स्वीकृति माह के आय वितरण सहित भावी आय वितरण प्राप्त करने का अधिकार नहीं रह जायेगा और ऐसे बकाया आय वितरण की राशि का दावेदार ट्रस्ट होगा।

(ii) मासिक आधार पर प्रदत्त पूरे वर्ष के आय वितरण के हकदार बनने के लिए सदस्य को यूनिट पूरे वर्ष तक रखने होंगे। वर्ष के किसी भाग के लिये यूनिट रखनेवाला सदस्य केवल धारण अवधि के लिये, जो हमेशा पूर्ण अंग्रेजी कैलेन्डर मास की होगी, आनुपातिक आय वितरण प्राप्त करने का हकदार होगा और माह के भाग को, चाहे वह कितने भी दिन का क्यों न हो, हमेशा छोड़ दिया जाएगा।

(iii) सदस्य की मृत्यु हो जाने की स्थिति में विधिक प्रतिनिधि या नामिती द्वारा सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र, पुनर्खरीद के लिए अनुरोध पत्र और बकाया अदत्त आय वितरण वारन्ट ट्रस्ट को सौंपे जाने के बाद वह (ट्रस्ट) दावे की मान्यता संबंधी निर्धारित आवश्यकता पूरी होने पर अपने नियमों और दिशा-निर्देशों के अनुसार इसमें ऊपर उपखण्ड (i) और (ii) में यथावर्णित रूप में यूनिट की पुनर्खरीद करेगा और दावे की निपटान तिथि तक के बकाया मासिक आय वितरण का आनुपातिक भुगतान करेगा।

3. **वार्षिक एवं संचयी विकल्प**

वार्षिक एवं संचयी विकल्प के अंतर्गत जारी यूनिटों के मामले में ट्रस्ट और योजना और उसके अंतर्गत बनाए गए प्लान के आरंभ होने की तारीख से तीन वर्ष के बाद अर्थात् 1 जुलाई, 2001 से यूनिटों के पुनर्खरीद की पेशकश करेगा। पुनर्खरीद मूल्य यूनिटों के एनएवी पर (पूर्ववर्ती आधार पर) आधारित होगा और उसे प्लान के आरंभ होने की तारीख से 6 माह पश्चात अर्थात 01/01/99 को तथा उसके बाद 30/06/2001 तक त्रैमासिक आधार पर समाचार-पत्र में प्रकाशन हेतु जारी किया जाएगा। 01/07/2001 से एक माह के अनधिक अंतराल पर पुनर्खरीद मूल्य की घोषणा की जाएगा। पुनर्खरीद मूल्य परिकलित करते समय ट्रस्ट प्रति यूनिट एनएवी के 5% तक प्रशासकीय व्यय और अन्य प्रभार काटने के लिए स्वतंत्र होगा।

आंशिक पुनर्खरीद की अनुमति होगी, बशर्ते सदस्य द्वारा वार्षिक आय विकल्प के अंतर्गत न्यूनतम शेष रु. 10,000/- (अंकित मूल्य) एवं संचयी विकल्प के अंतर्गत न्यूनतम शेष रु. 5000/- (अंकित मूल्य) कायम रखा जाए।

4. ट्रस्ट द्वारा कटौती, यदि कोई हो, करने के बाद पुन:खरीदे गए यूनिटों के लिए भुगतान, सदस्यता सूचना के साथ पुनर्खरीद हेतु अनुरोध पत्र/विधिवत् रूप से उन्मोचित यूनिट प्रमाणपत्र तथा लाभांश वारंट, यदि कोई हो, के प्राप्त होने के 10 दिन के भीतर ऐसे केन्द्र पर किया जाएगा जहां पुनर्खरीद अनुरोध संसाधित किए जाते हैं।

आवेदक को देय राशि पर किसी भी कारण से कोई ब्याज देय नहीं होगा तथा ट्रस्ट द्वारा प्रेषित चेक या ड्राफ्ट का प्रेषण (डाक खर्च सहित) या वसूली खर्च आवेदक द्वारा वहन किया जाएगा।

5. अनिवासी निवेशकों के मामले में पुनर्खरीद राशियां निवेश के स्रोत पर निर्भर रहते हुए निम्नानुसार प्रेषित की जाएंगी :

(i) जब यूनिट विदेश से भेजी गई विदेशी मुद्रा/सदस्य की एफसीएनआर जमाओं की राशियों से या सदस्य के भारत में रखे अनिवासी (बाह्य) खाते में रखी निधियों से जारी चेक/ड्राफ्ट द्वारा खरीदे गए हों तो सदस्य को राशियां विदेशी मुद्रा में (विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का वहन सदस्य को करना होगा) प्रेषित की जा सकती हैं या सदस्य के भारत स्थित संबंधी को सदस्य के अनिवासी (बाह्य) खाते में जमा करने के लिए भेजी जा सकती हैं बशर्ते सदस्य विदेश में रह रहा हो। यदि सदस्य चाहे तो इन राशियों को उसके अनिवासी (सामान्य) खाते में जमा करने के लिए भी भेजा जा सकता है।

(ii) जब यूनिट सदस्य के अनिवासी (सामान्य) खाते में रखी निधियों से खरीदे गए हों तो राशियां सदस्य के भारत स्थित संबंधी को सदस्य के अनिवासी (सामान्य) खाते में जमा करने के लिए भेजी जाएंगी।

6. **यूनिटों की पुनर्खरीद पर प्रतिबंध :**

योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के किसी भी उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के होने के बावजूद ट्रस्ट यूनिट की पुनर्खरीद के लिए बाध्य नहीं होगा :

(i) ऐसे दिन, जो कार्य-दिवस नहीं हों; और

(ii) ट्रस्ट द्वारा यथाधिसूचित किसी भी उद्देश्य के लिए सदस्यों की पंजी बंद हो, ऐसी (ट्रस्ट द्वारा यथाधिसूचित) अवधि के दौरान।

स्पष्टीकरण : इस योजना और इसके अंतर्गत बने प्लान के प्रयोजनार्थ शब्द "कार्य दिवस" का अर्थ वह दिन है, जो न तो

(i) महाराष्ट्र राज्य या ऐसे अन्य राज्यों में, जहां ट्रस्ट के कार्यालय हों, सार्वजनिक अवकाश के रूप में परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के अंतर्गत अधिसूचित हो और न ही

(ii) भारत के राजपत्र में ट्रस्ट द्वारा ऐसे दिवस के रूप में अधिसूचित किया गया हो कि उस दिन ट्रस्ट का कार्यालय बंद रहेगा।

VIII. आय एवं वितरण

सदस्य को निम्नलिखित में से किसी विकल्प में भाग लेने का अधिकार होगा :

1) मासिक आय

2) वार्षिक आय या

3) संचयी विकल्प

यह योजना में निवेश के समय किया जाएगा और एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा। रु 10,000/- या उस अधिक के निवेश के लिए निवेशक द्वारा विकल्प नही दिए जाने के मामले में उसे मासिक आय विकल्प समझा जाएगा एवं तदनुसार ही कार्रवाई की जाएगी।

प्लान के अंतर्गत सुनिश्चित प्रतिलाभ एवं परिपक्वता पर निवेशित पूंजी की सुरक्षा की गारंटी ट्रस्ट की विकास प्रारक्षित निधि द्वारा दी गई है। सदस्य यूनिट पूंजी में से आय का भुगतान करने का अनुसरण कर रहा है एवं सदस्य जो परिपक्वता से पहले प्लान से निकास कर रहे हैं इस आचरण के कारण निम्न एनएवी प्राप्त करेंगे।

योजना एवं उसके अंतर्गत बने प्लान के प्रावधान दोनों विकल्पों के लिए लागू होंगे और जहां प्रावधानों में हेरफेर है, वहां संबंधित ब्यौरे तदनुसार दिए गए हैं।

1. **मासिक आय विकल्प**

(i) इस विकल्प के अंतर्गत, ट्रस्ट 12.50% प्र.व. की दर से सुनिश्चित लाभांश प्लान के पांचों वर्षों के लिए उत्तर दिनांकित मासिक वारंटों द्वारा अदा करेगा।

निवेश उद्देश्यों और प्लान की प्रचलित नीतियों तथा लिखतों से अनुमानित लाभ, जिन योजना की निधियों का निवेश किया जाएगा, के आधार पर योजना को प्लान के अंतर्गत 12.50% प्रति वर्ष की दर से मासिक रूप से देय न्यूनतम आश्वासित आय अदा करने के लिए पर्याप्त आय प्राप्त हो सकेगी।

(ii) प्रत्येक माह के लिये आय वितरण अगले महीने के प्रारंभ में देय होगा और पूर्व भुगतान व्यवस्था के अंतर्गत ट्रस्ट द्वारा भुगतान ट्रस्ट द्वारा विनिर्दिष्ट बैंक की शाखाओं पर सममूल्य पर देय आय वितरण वारंट या किसी लिखत के माध्यम से किया जाएगा।

ऐसे यूनिट जिनकी बिक्री किसी महीने की 15 तारीख को या उसके पहले ट्रस्ट द्वारा स्वीकृत आवेदन के अंतर्गत की जा चुकी है, पूरे महीने के आय वितरण के पात्र होंगे और जो यूनिट महीने की 15 तारीख के बाद बेचे गए हों वे उस आधे महीने के आय वितरण के पात्र होंगे।

आय की हकदारी निम्न रूप से होगी :

12.05.1998 से 15.05.1998	-	पूरे महीने की आय
16.05.1998 से 31.05.1998	-	आधे महीने की आय
01.06.1998 से 15.06.1998	-	पूरे महीने की आय
16.06.1998 से 25.06.1998	-	आधे महीने की आय

(iii) निवेश की तिथि पर निर्भर करते हुए , एक आय वितरण वारंट, 1 जुलाई, 1998 से 30 सितंबर, 1998 (दिनांकित 1 अगस्त, 1998) तक की अवधि के लिए एवं 6 उत्तर दिनांकित वारंट अक्तूबर '98 से मार्च '99 तक की अवधि के लिए सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र के साथ भेजे जाएंगे।

उसके बाद के वर्षों के लिए आय वितरण वारंट, कर-कानूनों में हुए परिवर्तनों पर निर्भर करते हुए, प्रत्येक वष मार्च/अप्रैल महीने में जारी किया जाएगा और उसे अग्रिम रूप से भेजा जाएगा। उसके बाद के वर्षों के लिए वारंटों का प्रेषण निम्नलिखित सारणी के अनुसार होगा :

अवधि	वारंटों का प्रेषण
01.04.1999 से 31.03.2000	मार्च-अप्रैल 1999
01.04.2000 से 31.03.2001	मार्च-अप्रैल 2000
01.04.2001 से 31.03.2002	मार्च-अप्रैल 2001
01.04.2002 से 31.06.2003	मार्च-अप्रैल 2002

प्रत्येक वर्ष मार्च माह के लिए आय वितरण वारंट पर तारीख 31 मार्च होगी।

(iv) उप खण्ड (iii) के उपबंधों के अधीन मासिक आधार पर आय वितरण के भुगतान के लिए वारन्ट सदस्य को अग्रिम रूप से भेजे जाएंगे।

वारंट को इस प्रकार दिनांकित किया जाएगा कि सदस्य भुगतान के लिए परिपक्व होने पर प्रत्येक वारन्ट को भुना सके। हरेक वारंट तीन महीने के लिए वैध रहेगा। वैध अवधि पूरी होने के पहले सदस्य के पास कोई वारंट नहीं पहुंचने या उनके पुराने हो जाने की स्थिति में ट्रस्ट ब्याज का भुगतान करने के लिये बाध्य नहीं होगा।

(v) पुनर्खरीद की स्थिति में अदत्त वारंटों को अभ्यर्पित नहीं करने पर सदस्य अगले महीने देय और परिपक्वता तिथि को सदस्य की अभिरक्षा में शेष वारंटों को भुनाने का हकदार होगा और ऐसे आय वितरण वारंट की राशि पुनर्खरीद की राशि से काट ली जाएगी।

(vi) सदस्य की मृत्यु की स्थिति में, यदि एकमात्र नामिती/विधिक उत्तराधिकारी यूनिट रखने का पात्र है और आगे भी यूनिट रखना चाहता है, तो ऐसा नामिती/विधिक उत्तराधिकारी आवश्यक सुधार के लिए भावी महीनों के अनभुनाए सभी वारन्ट वापस करने के लिए बाध्य होगा।

तथापि, आगे यूनिट रखने के इच्छुक नामिती/विधिक उत्तराधिकारी मृत सदस्य के पक्ष में पहले से जारी वारन्ट को सुधार करके नये प्रविष्ट सदस्य के पक्ष में करने में लगनेवाले समय के लिये कोई ब्याज या मुआवजा प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

(vii) किसी आवेदक की मृत्यु की स्थिति में, जहां मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लाभ के लिये आवेदक द्वारा आवेदन किया गया है, वहां वैकल्पिक आवेदक को आवश्यक सुधार के लिये भावी महीनों के अनभुनाए सभी आय वितरण वारंट वापस करने होंगे। लेकिन, ऐसा वैकल्पिक आवेदक मृत आवेदक के पक्ष में पहले से जारी वारंट को सुधार करके नये प्रविष्ट आवेदक के पक्ष में करने में लगनेवाले समय के लिये कोई ब्याज या मुआवज़ा प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

2. वार्षिक आय विकल्प

(i) इस विकल्प के अंतर्गत, ट्रस्टसभी 5 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से देय 13.25% प्र.व. की दर से आश्वासित आय का भुगतान करेगा।

(ii) पहला आय वितरण वारंट जुलाई, 1998 से जून, 1999 (दिनांकित 1 जुलाई 1999) की अवधि के लिए जून, 1999 में भेजा जाएगा। बाद के आय वितरण वारंट, प्रतिवर्ष जुलाई-जून की अवधि के लिए निम्नलिखित सूची के अनुसार भेजे जाएँगे। हालाँकि निवेश की तिथि पर निर्भर करते हुए, निवेशकों को मासिक आय विकल्प के सदस्यों पर लागू सीमा तक 12.50% प्र.व. की दर से 30 जून, 1998 तक की अवधि के लिए सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र के साथ भेजे जानेवाले चैक के जरिए मुआवजा अदा किया जाएगा।

अवधि	**वारंटों के प्रेषण**
01.07.1999 से 30.06.2000	जून, 2000
01.07.2000 से 30.06.2001	जून, 2001
01.07.2001 से 30.06.2002	जून, 2002
01.07.2002 से 30.06.2003	जून, 2003

3. संचयी विकल्प

इस विकल्प के अन्तर्गत कोई आय वितरित नहीं की जाएगी। प्रतिलाभ 13.25% प्र.व की दर से संचयित किया जाएगा ताकि इस विकल्प के अंतर्गत निवेशित रु. 5000/-, पाँच वर्षों के बाद प्रतिदान के समय कम से कम रु. 9314/- हो जाएं। तथापि, निवेश की तिथि पर निर्भर करते हुए ,मासिक आय विकल्प के अंतर्गत सदस्यों को लागू सीमा तक, निवेशक को 12.50% प्र.व.की दर से 30 जून, 1998 तक मुआवजा दिया जाएगा और उसे चेक के माध्यम से यूनिट प्रमाणपत्रों/सदस्यता सूचना के साथ भेजा जाएगा।

प्लान के अंतर्गत 12.50% प्र.व. प्रतिलाभ का औचित्य

मान लीजिये कि यह योजना 100 करोड़ रुपये एकत्रित करती है। आरंभिक व्यय 3% हैं और उन्हें 3 वर्षों की अवधि के पश्चात् अपलिखित किया जाता है (यह इसलिए कि 3 वर्षों के बाद पुनर्खरीद शुरू हो जाती है)। पहले वर्ष में उपलब्ध निवेश योग्य निधियां 97 करोड़ रुपये होंगी।

फंड ऋण लिखतों में 75%, एवं इक्विटी में 25% निवेश करेगा।

योजना,ऐसे डिबेंचर/बॉण्ड में निवेश करेगी, जिसका जोखिम तत्व न्यून से मध्यम हो। इन लिखतों में वाईटीएम 14.50% से 16.50% की सीमा में हैं। इसका अर्थ है कि ऋण लिखतों की औसत भारित आय 15.30% होगी।

इक्विटी पर वार्षिकीकृत प्रतिलाभ, लाभांश आय, मूल्य वृद्धि/मूल्यह्रास और अंकित लाभ के अनुसार करीब 15% होगी।

लिखतें	पोर्टफोलियो का प्रतिशत	निवेश योग्य निधि	आय प्रतिशत
डिबेंचर	75	72.75	15.30
इक्विटी	25	24.25	15.00

पोर्टफोलियो पर औसत भारित आय = $\frac{72.75 * 15.30 + 24.25 * 15}{100} = 14.77\%$

वार्षिक व्यय एवं प्रावधानों को 1.5% मानते हुए, वितरण के लिए उपलब्ध आय 13.27% होगा। यह मासिक रूप से 12.50% प्र.व. की दर के भुगतान के लिए पर्याप्त होगी।

उपरोक्त निदर्शी है और प्लान के शुरूआत के समय बाजार की स्थितियों पर आधारित है।

4. निवेशकों के बैंक विवरण

इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा :

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक ने समाशोधन गृह के जरिए एक नई अवधारणा इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस) आरंभ की है जिससे कागज के लिखतों को जारी करने तथा उनको संभालने की आवश्यकता का निराकरण किया जाए और इस प्रकार ग्राहक सेवा में सुधार करके उसे सुविधाजनक बनाया जा सके। ट्रस्ट द्वारा यह मुख्य रूप से कलकत्ता/चेन्नई/मुंबई/नई दिल्ली में ऐसे निवेशकों की सहायता करने हेतु आरंभ किया गया है जिनकी लाभांश से होनेवाली आय एक लिखत के अनुसार रु. 1,00,000/- से कम है।

इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशक से अपेक्षित है कि वह ईसीएस हेतु अपना अधिदेश आवेदन पत्र में दिए गए प्रारूप के अनुसार उसमें सभी विवरण पूरा करके प्रस्तुत करें। इससे ट्रस्ट को निवेशक के संबंधित बैंक खाते में आय की राशि अतिशीघ्र जमा करने में सहायता मिलेगी तथा आय वारंट के मुद्रण एवं प्रेषण संबंधी कार्य नहीं रहेंगे और वह निवेशकों को बेहतर सेवा प्रदान कर सकेगा। बैंक शाखा सदस्य के खाते में क्रेडिट करेगी तथा पासबुक/खाता विवरण में क्रेडिट प्रविष्टि को "ईसीएस" से निर्दिष्ट करेगी। जो आवेदक यह सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं वे आवेदन पत्र में अपने बैंक का नाम और पता, खाते का प्रकार और नंबर, 9 अंकों वाली बैंक एवं शाखा कूट संख्या इत्यादि भरें।

यद्यपि इस सुविधा का लाभ प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है।

यदि इस सुविधा पर मिली प्रतिक्रिया इसके संचालन हेतु पर्याप्त नहीं है या कोई अन्य कारण से इसका संचालन नहीं किया जा सके तो "ईसीएस" के अंतर्गत आय का भुगतान करने के बजाय ट्रस्ट उपरोक्तानुसार आय वारंट जारी करके आय की अदायगी कर सकता है।

आय वितरण वारंटों के खो जाने/गलत स्थान पर पहुंचने के कारण उनके संभावित कपटपूर्ण नकदीकरण के विरुद्ध सावधानी के तौर पर उपरोक्त सुविधा का लाभ नही उठाने वाले तथा कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई एवं नई दिल्ली नगरों से बाहर रहने वाले आवेदकों से अनुरोध किया जाता है कि वे रिकार्ड के लिए आवेदन फार्म में उपयुक्त स्थान पर तथा पावती रसीद वाले भाग पर अपने बैंक खाते का पूरा विवरण (अर्थात् खाते का प्रकार एवं खाता संख्या, बैंक का नाम) दें। तब आय वितरण वारंट इस प्रकार से निर्दिष्ट किए गए उनके खाते में जमा करने के लिए बैंक के पक्ष में तैयार कर उन्हें भेजे जाएंगे। सदस्य कथित बैंक में अपने खाते में जमा (क्रेडिट) करने हेतु उस आय वितरण वारंट को प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि बैंक संबंधी पूरा विवरण नहीं दिया जाता है तो आय वितरण वारंट सदस्य के नाम से जारी किया जाएगा।

आय वितरण वारंट/पुनर्खरीद चेक/परिपक्वता चेक के कपटपूर्ण नकदीकरण से बचने के लिए निवेशकों को यह सलाह दी जाती है कि अपनी सुविधा के लिए आवेदन पत्र में उपयुक्त स्थान पर बैंक - ब्यौरा भर दें।

अनिवासी भारतीय निवेशक को आय वितरण

प्लान के अंतर्गत आय मुद्रा नियंत्रण विनियमों के अनुसार अदा की जाएगी। आय के भुगतान की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :

i) वारंट निवेशक के नाम जारी किया जा सकता है तथा सदस्य के एनआरई/एनआरओ खाते में जमा करने के लिए उसके किसी ऐसे रिश्तेदार को भेजा जा सकता है जो भारत का निवासी हो।

अथवा

ii) वारंट किसी ऐसे रिश्तेदार के नाम जारी किया जा सकता है जो भारत का निवासी हो तथा उसे भेजा जा सकता है ताकि वह अपने खाते में जमा कर सके।

IX. निवेश उद्देश्य, नीतियां एवं स्टॉक उधार देना

1. निवेश उद्देश्य :

योजना का निवेश उद्देश्य मुख्यत: ग्राहक को नियमित आय उपलब्ध कराना तथा योजना की परिपक्वता पर ग्राहक की पूंजी में वृद्धि के लिए प्रयत्न करना भी है।

योजना के अंतर्गत संग्रहीत निधियों का सभी प्रारंभिक परिचालन पूर्व और परिचालनगत खर्चों का प्रावधान करने के बाद सामान्यत: निम्न रूप में निवेश किया जाएगा :

(i) निधियों का कम से कम 70% ऋण लिखतों में निवेश किया जाएगा। निवेश का जोखिम तत्व न्यून से मध्यम होगा।

(ii) निधियों का 30% से अनधिक इक्विटी और इक्विटी संबंधी लिखतों में निवेश किया जाएगा। जोखिम तत्व इक्विटी निवेश में उच्च हो सकता है।

न्यूनतम एवं अधिकतम आस्ति निर्धारण :

ऋण : न्यूनतम 70% अधिकतम 100%

इक्विटी : अधिकतम 30%

मुद्रा बाजार लिखतों के लिए सामान्यत: कोई नियत निर्धारण नहीं है।

मुद्रा बाजार लिखतों में निवेश न्यूनतम रखा जाएगा ताकि प्लान के तरलता की आवश्यकताएं पूरी हो सकें।

ट्रस्ट, सुरक्षा के ख्याल से अल्प अवधि के लिए आस्ति निर्धारण के विकल्प को बदलने का विकल्प रखता है।

ऊपर बताए गए निवेश उद्देश्यों के अनुसार योजना की निधियों के प्रतिभूतियों में विनियोजन किए जाने तक ट्रस्ट योजना की निधियों का निवेश अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के अल्पावधि जमाओं में कर सकता है।

2. मूल विशेषताएं

"मूल विशेषताओं" का अर्थ निम्नलिखित हैं।

क) योजना का प्रकार : मासिक आय प्लान 1998 (II) एक नियतकालिक आय फंड है।

ख) निवेश उद्देश्य : जैसा कि इस पेशकश दस्तावेज के खंड IX के अंतर्गत बताया गया है।

ग) निर्गम की शर्तें : सूचीबद्धता, यूनिटों की पुनर्खरीद/प्रतिदान, व्यय एवं दी गई गारंटी के संबंध में इस पेशकश दस्तावेज में प्रावधान है।

योजना की मूल विशेषताओं में कोई भी परिवर्तन कम से कम तीन चौथाई सदस्यों की सहमति से किया जाएगा। आगे मूल विशेषताओं में कोई परिवर्तन होने पर जो अपनी सहमति न दें उन्हें योजना से अपनी यूनिटधारिताओं का मोचन करने की अनुमति होगी।

बोर्ड समय-समय पर योजना और इसके अंतर्गत बने प्लान से परिवर्धन या अन्यथा उसमें संशोधन कर सकता है तथा ऐसा कोई संशोधन/परिवर्धन सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा। किसी संशोधन के मामले में सेबी का पूर्व अनुमोदन लिया जाएगा।

3. निवेश नीतियां

(i) सभी ऋण लिखतें जिनमें योजना द्वारा निवेश किया जाता है, उनके निवेश दर्जे का निर्धारण समय-समय पर मान्यता प्राप्त किसी क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी द्वारा किया जाएगा, बशर्ते यदि ऋण लिखत का निर्धारण नहीं किया गया हो, तो निवेश के लिए ट्रस्ट के न्यासी मंडल से विशिष्ट अनुमोदन लिया जाएगा।

(ii) इस योजना द्वारा कोई सावधि ऋण नहीं दिये जाएंगे।

(iii) ट्रस्ट प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय सुपुर्दगियों के आधार पर करेगा और खरीद के सभी मामलों में संबंधित प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी लेगा और बिक्री के सभी मामलों में प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी करेगा और किसी भी मामलों में खुद को ऐसी स्थिति में नहीं डालेगा जिससे इसे मंदड़िया बिक्री करनी पड़े या सौदे का वायदा (कैरी फारवर्ड) करना पड़े या बदला वित्त में लिप्त होना पड़े ।

(iv) ट्रस्ट प्रतिभूतियों की खरीद या अंतरण ट्रस्ट के नाम से करवाएगा।

(v) योजना सेबी की स्टॉक उधार देने की योजना के अनुसार प्रतिभूतियों को उधार दे सकता है।

(vi) योजना इनमें से किसी में निवेश नहीं करेगी ;

क) ट्रस्ट की समूह या सहायक कंपनी की कोई असूचीबद्ध प्रतिभूति ; या
ख) ट्रस्ट की समूह या सहायक कंपनी द्वारा निजी नियोजन के माध्यम से जारी की गई कोई प्रतिभूति ; या
ग) ट्रस्ट की समूह कंपनी की सूचीबद्ध प्रतिभूतियां जो ट्रस्ट की सभी योजनाओं के शुद्ध आस्तियों के 25% का आधिक्य है।

(vii) प्लान की प्रतिभूतियों के लेन देन के लिए शेयर-दलाली फर्म और यूटीआई की सहायक संस्था यूटीआई सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज लिमिटेड (यूटीआई-एसईएल) की सेवाएं ली जा सकती हैं जो नीतियों के अनुसार हों और ट्रस्ट के न्यासी मंडल द्वारा तय की गई सीमाओं के अधीन हों। यूटीआई एसईएल 1994 में स्थापित की गई थी। यह निवेशकों की आवश्यकताओं के अनुरूप उचित, पारदर्शी और कुशल सेवाएं प्रदान करने वाली उच्च तकनीकी कंपनी है। इसका पंजीकृत कार्यालय मुंबई में है।

(viii) जनता को पेश न किए गए ऋण लिखतों में निवेश, उपलब्ध आय पर निर्भर करते हुए योजना जनता को पेश न किए गए प्रतिभूतियों में निवेश कर सकता है।

(ix) योजना का सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की सीमा का कोई बंधन नहीं है, तरलता आवश्यकता के आधार पर, योजना भारत सरकार/राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश कर सकती है।

4. तथापि, ऊपर खण्ड IX (3), XII (1) और XII (2) के संबंध में किसी भी बात के होते हुए, आस्तियों का मूल्यांकन, शुद्ध आस्ति मूल्य का अभिकलन, पुनर्खरीद मूल्य और उनके प्रकटीकरण का अंतराल सेबी द्वारा समय-समय पर जारी सेबी (एमएफ) विनियमों के प्रावधानों/दिशा निर्देशों/निदेशों के अनुसरण में होगा ।

X. अंतर योजना अंतरण

इस योजना से दूसरी योजना/प्लान में अंतरण केवल तभी किया जाएगा जब -

(क) उधृत लिखतों के लिए प्रचलित बाजार मूल्य पर ऐसे अंतरण स्पॉट आधार पर किए गए हों।

स्पष्टीकरण :"स्पॉट आधार" का अर्थ स्टॉक एक्सचेंज द्वारा स्पॉट लेन-देन हेतु दिए गए अर्थ है।

(ख) ऐसी अंतरित प्रतिभूतियां उस योजना/प्लान के निवेश उद्देश्यों के अनुरूप हों जिनमें ऐसे अंतरण किए जाते हैं।

(ग) प्लान की असूचीबद्ध या उधृत न किए गए निवेशों का ट्रस्ट की अन्य योजना/प्लान में अंतरण यटीआई के न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार किया जाएगा।

XI. संयुक्त सौदे एवं उधार

1. योजना ट्रस्ट या किसी दूसरे म्यूचुअल फंड की किसी अन्य योजना/प्लान में कोई शुल्क प्रभारित किए बिना निवेश कर सकती है, बशर्ते ट्रस्ट की सभी योजनाओं द्वारा किया गया कुल अन्तरयोजना निवेश या किसी दूसरी आस्ति प्रबंधन कंपनी द्वारा प्रबंधित योजनाओं में किया गया निवेश ट्रस्ट के शुद्ध आस्ति मूल्य के 5% से अधिक न हो।

2. योजना यूनिटों की पुनर्खरीद, प्रतिदान या ब्याज की अदायगी या सदस्यों को आय अदा करने के लिए नकदी की अस्थाई जरूरतों को पूरा करने के लिए उधार लेने के सिवा उधार नहीं लेगी।

परन्तु उधार योजना की शुद्ध आस्ति के 20% से अधिक नहीं लिया जाएगा और इस तरह के उधार की अवधि छ: माह से अधिक नहीं होगी।

3. भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 की धारा 20 के अनुसार ट्रस्ट को निम्नलिखित उधार लेने की शक्तियां प्राप्त है :

(i) ट्रस्ट, भारत या भारत से बाहर के किसी प्राधिकरण या व्यक्ति जो सरकार या रिज़र्व बैंक न हो, ऐसी प्रतिभूति के प्रति एवं ऐसी शर्तों एवं परिस्थितियों पर जिस पर वे आपस में सहमत हो,उधार ले सकता है।

(ii) ट्रस्ट रिज़र्व बैंक से उधार ले सकता है -

(क) भारत में इस समय लागू किसी कानून द्वारा जिससे न्यासी ट्रस्ट का धन निवेश करने हेतु प्राधिकृत है, स्टॉक, निधियों एवं प्रतिभूतियों के प्रति (अचल संपत्तियों के अतिरिक्त) मांग पर या नियत अवधि की समाप्ति पर प्रतिदेय जो इस प्रकार ली गई राशि की तिथि से नब्बे दिन से अधिक न हो।

(ख) केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से बांडों की प्रतिभूति के प्रति जिसे ट्रस्ट जारी कर सकता है मांग या जिस तिथि से ऐसी राशि उधार ली गई है, उस तिथि से अठ्ठारह महीनों की अवधि के भीतर प्रतिदेय है।

(ग) प्रथम यूनिट योजना के अतिरिक्त किसी अन्य योजना के प्रयोजन हेतु जिसे इस संदर्भ में रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है ट्रस्ट को ऐसी अन्य संपत्तियों की प्रतिभूति के प्रति या ऐसी शर्तों एवं नियमों पर :

बशर्ते कि इस खंड के अंतर्गत उधार ली गई कोई राशि एवं किसी समय बकाया इससे ज्यादा न हो -

(क) ऐसी प्रत्येक योजना के संबंध में पांच करोड़ रुपए से ज्यादा न हो, एवं

(ख) समग्र रूप से ऐसी समस्त योजनाओं के संबंध में दस करोड़ रुपए।

(iii) ट्रस्ट द्वारा उप धारा (ii) के अंतर्गत जारी बॉंड के मूल राशि की अदायगी की गारंटी केंद्रीय सरकार द्वारा दी जाएगी एवं ब्याज का भुगतान बॉंड जारी करते समय केंद्रीय सरकार द्वारा निश्चित दर पर किया जाएगा।

XII. एनएवी निर्धारण एवं आस्तियों का मूल्यांकन

1. शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) का परिकलन और प्रकटीकरण :

योजना के अंतर्गत जारी यूनिटों के शुद्ध आस्ति मूल्य का परिकलन योजना के उपचयों और उपबंधों को ध्यान में रखते हुए योजना की आस्तियों के मूल्य को निर्धारित कर और योजना की देयताओं को घटाकर किया जाएगा। प्रति यूनिट शुद्ध आस्ति मूल्य का परिकलन योजना के एनएवी में उस तिथि को जारी और बकाया यूनिटों की कुल संख्या से भाग दे कर किया जाएगा। योजना का एनएवी मासिक आय विकल्प, वार्षिक आय विकल्प और संचयी विकल्प के लिए अलग-अलग निर्धारित किया जाएगा। प्लान के आरंभ होने के छ: माह के बाद और उसके बाद मासिक आधार पर शुद्ध आस्ति मूल्य (पूर्ववर्ती आधार पर) समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु जारी किया जाएगा।

2. इस योजना की आस्तियों का मूल्यांकन

(i) अवरुद्ध अवधि के अधीन वाले निवेशों सहित उधृत निवेशों का मूल्यांकन, मूल्यांकन की तारीख को बाजार में बंद मूल्य पर या मूल्यांकन की तारीख से साठ दिन पूर्व की अवधि में बिल्कुल हाल ही की उपलब्ध दर पर किया जाता है। यदि मूल्यांकन की तारीख से साठ दिनों पूर्व की अवधि हेतु, कोई भाव उपलब्ध नहीं है तो उसे अनोधृत निवेश माना जाता है।

(ii) उधृत निवेशों और बांडों के मामले में, बाजार दर, जो ब्याज सहित है उसे ब्याज तत्त्व यदि कोई हो, के लिए समायोजित किया जाता है।

(iii) अनोधृत/गैर-व्यापारिक ईक्विटी शेयरों का मूल्यांकन प्राप्तियों के पूंजीकरण और बही मूल्य (विश्लेषित मूल्य) के औसत में से 10% घटाकर किया जाता है।

(iv) अनोधृत डिबेंचर, बॉण्ड एवं अंतरणीय नोट परिपक्वता पर प्रतिफल के आधार पर जैसा कि ट्रस्ट के न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित हो, मूल्यांकित किए जाते हैं।

(v) अनोधृत वारंट, पड़े हुए शेयरों की बाजार दर पर, आय तत्त्व, यदि कोई हो, के लिए बट्टा काटकर तथा देय प्रायोगिक मूल्य से कम करके, लिए जाते हैं। जिन मामलों में इस तरह लिए गए मूल्य से प्रायोगिक देय मूल्य ज्यादा हो, वहां वारंटों का मूल्य शून्य लिया जाता है।

(vi) परिवर्तनीय डिबेंचर एवं बॉण्ड, जहां मिश्र बाजार भाव उपलब्ध न हो, वहां परिवर्तनीय भाग का मूल्यांकन, संबंधित इक्विटी शेयरों, जिनमें आय तत्त्व, यदि कोई हो, के लिए बट्टा काट कर किया जाता है। ऐसे डिबेंचरों एवं बॉण्डों का अपरिवर्तनीय भाग, यदि कोई हो, का मूल्यांकन, परिपक्वता पर प्रतिफल के आधार पर, जैसा कि ट्रस्ट के न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित हो, किया जाता है। जहां परिवर्तनीय भाग के लिए परिवर्तन की शर्तें विनिर्दिष्ट न हों, वहां उन्हें लागत पर लिया जाता है।

(vii) मांग मुद्रा में निवेश, बट्टा योजना के अंतर्गत खरीदे गए बिलों एवं बैंक की अल्प अवधि जमाओं का मूल्यांकन लागत और प्रोद्भवन पर किया जाएगा। अन्य मुद्रा बाजार लिखतों का मूल्यांकन उस मूल्य पर किया जाएगा जिस पर इनका इन दिनों कारोबार किया जाता है। इसी उद्देश्य से गैर व्यापारिक लिखतें अर्थात् वैसी लिखतें, जिनका सात दिनों तक व्यापार नहीं किया जाता है, का मूल्यांकन लागत और दिन के आरंभ तक उपचित ब्याज तथा प्रतिदान मूल्य एवं लिखतों की शेष परिपक्वता अवधि पर एक समान विभाजित लागत के बीच के अंतर के आधार पर किया जाता है।

(viii) सरकारी प्रतिभूतियों के अंतर-योजना अंतरण/मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित नीति स्वीकृत किया जाता है :

(क) एनएसई पर उधृत सरकार प्रतिभूतियां मूल्यांकन तिथि के बंद-मूल्य पर मूल्यांकित की जाती है। यदि प्रतिभूति उस दिन उधृत नहीं की जाती है तो मूल्यांकन तिथि से 7 दिन पहले तक के उद्धरणों पर विचार किया जाता है। यदि प्रतिभूति 7 दिनों की अवधि तक उधृत नहीं की जाती तो, तो उन्हें अनोधृत मान लिया जाता है।

(ख) अनोधृत सरकारी प्रतिभूतियां प्रतिफल वक्र के आधार पर निर्धारित परिपक्वता पर प्रतिफल (वायटीएम) के आधार पर की जाती है।

(ix) उपरोक्त (i) से (viii) तक के अनुसार परिकलित निवेशों के कुल मूल्य की तुलना ऐसे निवेशों की कुल लागत से की जाती है और परिणामी मूल्यह्रास, यदि कोई हो, को राजस्व लेखे से प्रभारित किया जाता है।

XIII. लेखा नीतियां

1. आय की मान्यता

(i) सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों पर लाभांश आय भूतपूर्व लाभांश तिथि पर प्रोद्‌भूत की जाती है। असूचीबद्ध इक्विटी शेयरों एवं अधिमान शेयरों पर लाभांश आय का हिसाब पावती आधार पर किया जाता है।

(ii) निवेशों पर ब्याज का हिसाब प्रोद्‌भवन आधार पर किया जाता है।

(iii) निवेशों की बिक्री पर लाभ या हानि की पहचान भारित औसत लागत के आधार पर व्यापार तिथियों पर की जाती है।

(iv) प्रतिबद्धता प्रभार का हिसाब प्रोद्‌भवन आधार पर किया जाता है।

(v) जब कोई विकास नहीं हो तो हामीदारी कमीशन को नकदी आधार पर राजस्व माना जाता है। विकास के मामले में, पूर्ण हामीदारी कमीशन ऐसे निवेशों की लागत में से कम किया जाता है।

(vi) शेयरों एवं डिबेंचरों में किए गए निवेशों से प्राप्त ऋण संबंधी प्रारंभिक शुल्क ऐसे निवेशों की लागत में से कम कर दिया जाता है। वितरण के प्रथम वर्ष में ऋण से प्राप्त ऋण संबंधी प्रारंभिक शुल्क की पहचान आय के रूप में की जाती है।

(vii) डिबेंचरों, बॉण्डों के प्रतिदान पर प्रीमियम/मुनाफा एवं अन्य विविध आय का हिसाब पावती आधार पर किया जाता है।

(viii) पिछली दो या अधिक तिमाहियों से बकाया ब्याज आय के संदर्भ में प्रावधान किया जाता है। एक से अधिक लेखा वर्षों से बकाया लाभांश पूर्ण रूप से प्रदान किया जाता है।

2. व्यय

(i) व्यय की गणना प्रोद्भवन आधार पर की जाती है।

(ii) भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 25(4) के प्रावधानों द्वारा दी गई शक्तियों के अनुसार न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित आधार पर यूनिट योजना 1964 के अंतर्गत किए गए खास सामान्य खर्चों का विनिधान अन्य योजनाओं पर किया जाता है।

(iii) नियत आस्तियों वाली यूनिट योजना, 1964 कथित आस्तियों के उपयोग के लिए न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित पट्टा किराया अन्य योजनाओं से वसूल करती है।

3. **आस्थगित राजस्व व्यय**

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 25(3) के प्रावधानों के अंतर्गत दी गई शक्तियों के अनुसार , न्यासी मंडल द्वारा कुछ खास व्ययों को आस्थगित किया गया है, जो निम्नानुसार है -

नियत कालिक योजनाएं :

(i) नियत कालिक योजनाओं द्वारा की गई आरंभिक/अधिकार निर्गम व्यय एवं एजेंटों को कमीशन संबद्ध योजनाओं की समयवधि पर समान रूपसे बट्टे खाते डाल दी जाती है।

(ii) जब यूनिटों की पुनर्खरीद की जाती है/यूनिटें पुन:क्रय किए जाते है,तब उस वर्ष प्रभारित एवं असमाप्त अवधि के लिए आस्थगित राजस्व व्यय उचित रूप से समायोजित किया जाता है।

4. **निवेश**

(i) निवेशों का विवरण लागत पर या अवलिखित लागत पर दिया जाता है।

(ii) द्वितीयक बाजार कारोबार के मामले में निवेश को व्यापार तिथियों पर किया गया माना जाता है।

(iii) आबंटन पर प्राथमिक बाजार निर्गमों में अभिदान को निवेश माना जाता है।

(iv) बोनस/अधिकार पात्रताओं को पूर्ववर्ती-बोनस/पूर्ववर्ती अधिकार तिथियों पर माना जाता है।

(v) निवेश की लागत में दलाली एवं सेवा - कर शामिल हैं लेकिन स्टाम्प कर शामिल नहीं है, जिसे राजस्व में प्रभारित किया जाता है।

5. **निवेश के मूल्य में मूल्यह्रास**

(i) जहां, न्यासी मंडल की राय में, अनोधृत इक्विटी या अधिमान शेयरों के मूल्य में महत्त्वपूर्ण कमी होती हो, वहां ऐसे शेयरों की लागत, मामले के अनुरूप, यूनिट प्रीमियम/सामान्य आरक्षित निधि/राजस्व लेखा के बट्टे खाते में डाल दी जाती है।

ऐसे मामले, जहां न्यासी मंडल की राय में, पिछले वर्षों में बट्टे खाते में, डाल गए निवेश की गुणवत्ता में महत्त्वपूर्ण सुधार हुआ हो इसे फिर से मूल बही मूल्य में प्रतिलेखित कर दिया जाता है।

(ii) अन्य सभी निवेशों, जैसे डिबेंचरों एवं बॉण्डों, प्रतिभूत/अप्रतिभूत अंतरणी नोटों, सावधिक ऋणों एवं जमाओं जिन्हें अनुपयोज्य आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, के मामले में यदि पिछले 180 दिन या उससे अधिक से ब्याज की अदायगी नहीं की गई हो, तो राजस्व लेखा से प्रावधान किए जाएंगे। ये प्रावधान प्रत्येक अनुपयोज्य आस्ति के लिए अलग-अलग बनाया जाता है न कि उसी कंपनी की अन्य उपयोगी आस्तियों के लिए।

(iii) अनुपयोज्य आस्तियों का प्रावधान आस्तियों के अनुपयोज्य रहने की अवधि के आधार पर निम्नलिखित रूप में किया जाता है :

आस्ति के अनुपयोज्य रहने की अवधि	प्रावधान का प्रतिशत	
	प्रतिभूत आस्ति	अप्रतिभूत आस्ति
दो वर्षों तक	10%	10%
दो वर्षों से अधिक तीन वर्षों तक	20%	100%
तीन वर्षों से अधिक पांच वर्षों तक	30%	100%
पांच वर्षों से अधिक	50%	100%

(iv) जहां मूलधन की वापसी अदायगी (i) सावधि ऋणों के मामले में दो किस्तों तक, और (ii) अन्य ऋण निवेशों/जमाओं के मामले में एक किस्त तक बकाया रहती है, ऐसे बकाया किस्तों के लिए प्रावधान उपरोक्त सारणी में उल्लिखित प्रतिशत तक या भुगतान नहीं की गई राशि (अप्रतिभूत आस्तियों के लिए 100% तक एवं प्रतिभूत के लिए 50% तक) जो भी अधिक हो, तक सीमित है।

(v) बकाया ब्याज के पूंजीकरण के जरिए, ब्याज के निधीयन के मामले में, निधिक ब्याज, बाकीदारी की अवधि से असंबद्ध रूप से पूरी तरह अदा कर दी जाती है।

(vi) उपरोक्त (iii), (iv) एवं (v) के संदर्भ में अनुपयोज्य आस्तियों का प्रावधान, मामले के अनुसार, यूनिट प्रीमियम/सामान्य आरक्षित निधियां/राजस्व लेखा में प्रभारित कर के किया जाता है।

6. नियत आस्तियां :

(i) नियत आस्तियां का विवरण पूर्ववर्ती लागत में से संचित मूल्य ह्रास घटाकर दिया जाता है।

(ii) लेखा वर्ष में छः माह से कम अवधि से धारित आस्तियों, जहां मूल्य ह्रास निम्नलिखित दरों के आधे पर किया जाता है, के अतिरिक्त मूल्य ह्रास मूल्य ह्रासित विधि से निम्नलिखित दरों पर प्रदान किया जाता है -

(क)	भवन एवं परिसर	5%
(ख)	फर्नीचर एवं जुड़नार	10%
(ग)	कार्यालय उपकरण, भवन विकास, कंप्यूटर एवं मोटर सवारी	33.33%

(घ) पट्टाधृति भूमि पट्टे की अवधि पर समान रूप से परिशोधित किया जाता है।

(ङ) 8 वर्षों से अनधिक अवधि के लिए पट्टा पर लिए गए परिसर में भवन - विकास को असमाप्त अवधि पर समान रूप से परिशोधित किया जाता है और अन्य मामलों में 33.33% की दर से मूल्य ह्रास किया जाता है।

नियत आस्तियां, जिन्हें इंस्टाल किया जाता है और जिनका उपयोग किया जाता है का विवरण देयताओं के अंतिम निपटारे के लंबित रहने पर, अनुमानित आधार पर दिया जाता है।

7. यूनिटों का पुनःक्रय :

शेयर बाजार में सूचीबद्ध एवं खुले बाजार के क्रियाकलाप के जरिए प्रतिदान के लिए पुन:क्रय की गई योजनाओं की यूनिटें व्यापार-तिथियों पर हिसाब में ली जाती है। अभिग्रण लागत एवं अंकित मूल्य के बीच के अंतर को राजस्व विनियोग लेखा से प्रभारित किया जाता है। रजिस्ट्रारों से सूचना की प्राप्ति पर शोधित यूनिटों का अंकित मूल्य यूनिट पूंजी में से घटा दिया जाता है।

8. आय वितरण :

न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित विधि से आय वितरण का प्रावधान किया जात है।

वे योजनाएं, जिनके अंतर्गत यूनिटें प्रीमियम पर या अंकित मूल्य पर बट्टा देकर बेची जाती है, को छोड़कर सभी योजनाओं के अंतर्गत पूंजीकरण के लंबित रहने पर आवेदन राशि पर आय वितरण के लिए प्रावधान किया जाता है।

XIV. निवेशों का कर - निरूपण

1. कर रियायतें

प्लान के अंतर्गत आय और पूंजी वृद्धि पर कराधान प्रचलित कर कानूनों के अधीन होगा। वर्तमान कराधान कानूनों के अनुसार "एमआईपी-98(II)" सहित ट्रस्ट की सभी योजनाओं के अंतर्गत सभी निवासियों और अनिवासियों (यदि यूनिटों की खरीद अनिवासी खाते से अदायगी के जरिए की गई हो, व्यक्तियों एवं एचयूएफ को हुई आय से हो) को यूनिटों से प्राप्त आय पर आयकर अधिनियम, 1961की धारा 80 एल के अंतर्गत रु. 15,000/- तक की कुल सीमा तक आय से कटौती उपलब्ध होगी।

इस प्लान के अंतर्गत होने वाला कोई भी दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ आयकर अधिनियम 1961 की धारा 48 और 112 में दिए गए निर्देशों के अधीन होगा।

इस प्लान के अंतर्गत यूनिटों में किए गए निवेश का मूल्य धनकर से मुक्त है।

2. धारा 54 ईए के अंतर्गत पूंजीगत अभिलाभ कर छूट

दीर्घावधि पूंजीगत आस्तियों के अंतरण से प्राप्त होने वाली सम्पूर्ण या आंशिक शुद्ध राशि का एमआईपी-98 (II) में किया गया निवेश आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54 ईए के अंतर्गत पूंजीगत अभिलाभ कर छूट के लिए पात्र होगा, बशर्ते पुनर्खरीद/अंतरण/गिरवीकरण, यूनिटों की आबंटन तिथि से तीन वर्षों के बाद किया जाए/रखे जाएं।

3. पात्र ट्रस्टों के लिए

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11(2)(बी) के अंतर्गत यूनिट स्वीकृत प्रतिभूतियां हैं। अत: यूनिटों में निवेश कर रहे पात्र ट्रस्ट आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 और 13 के अंतर्गत आय और निधि के लिए आवश्यक कर छूट के योग्य होंगे।

4. स्रोत पर कर की कटौती

निवासी

वर्तमान कराधान कानूनों के अनुसार धारा 194के, के अधीन ट्रस्ट द्वारा इस प्लान के सभी तीनों विकल्पों के अंतर्गत व्यक्तिगत सदस्यों, एचयूएफ, भागीदारी फर्मों और अन्य निवेशक जो कंपनी नहीं हों को देय आय पर 15% की दर से स्रोत पर आयकर की कटौती की जाएगी बशर्ते, तीनों विकल्पों के अन्तर्गत यह आय वित्तीय वर्ष के दौरान रु. 10,000/- से अधिक हो।

इसी प्रकार, कंपनियों को देय आय से स्रोत पर 20% की दर से कर की कटौती की जाएगी यदि यह आय वित्तीय वर्ष के दौरान रु.10,000/- से अधिक हो।

अनिवासी

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 196ए को अनिवासी द्वारा यूटीआई की किसी भी योजना के यूनिटों के संदर्भ में प्राप्त आय पर 20% की दर से स्रोत पर कर की कटौती किए जाने हेतु प्रतिस्थापित कर दिया गया है जिन्हें उन्होंने अनिवासी (सामान्य) खाते से अदायगी करके अर्जित किया हो।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, द्वारा जारी दिनांक 24 जनवरी, 1996 के परिपत्र सं. 734 एफ सं. 500/4/96-एफटीडी के अनुसार यूएई में रहने वाले अनिवासी सदस्यों को दोहरे कराधान से बचाव हेतु, जहां निधि का स्रोत एनआरओ खाता है, स्रोत पर 15% की रियायती दर से कर कटौती की जाएगी।

5. कर कटौती नहीं

निवासी :

सदस्य (कंपनी या फर्म को छोड़कर) जो स्रोत पर कर की कटौती के बिना आय चाहते हैं उन्हें ट्रस्ट को लिखित रूप से निर्धारित फार्म सं. 15 एच पर दो प्रतियों में घोषणा प्रस्तुत करनी चाहिए और उसे इस आशय की निर्धारित रीति से सत्यापित किया जाना चाहिए कि उसकी गत वर्ष की अनुमानित कुल आय पर कर शून्य होगा। स्रोत पर कर की कटौती नहीं करने संबंधी निर्धारित फार्म आवेदन पत्र के साथ तथा उत्तरवर्ती वर्षों के लिए आय वितरण वारंटों के भेजे जाने के कम से कम तीन माह पूर्व प्रस्तुत किए जाने चाहिए, ऐसा न करने पर प्रचलित कराधान कानूनों के अनुसार कर कटौती की जाएगी।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 अथवा 12 अथवा 10(22) अथवा 10(22ए) अथवा 10(23) अथवा 10 (23एए) अथवा 10(23सी) के अंतर्गत आनेवाले पात्र ट्रस्टों द्वारा आवेदन पत्र में उपलब्ध कराए गए प्रारूप में घोषणा किए जाने के आधार पर उन पर कर की कटौती नहीं की जाएगी।

अनिवासी

अनिवासियों के मामले में, यदि यूनिटों की खरीद सीधे विदेशी मुद्रा के विप्रेषण के जरिए अथवा भारत में रखे गए अनिवासी (बाह्य) खाते के जरिए अथवा एफसीएनआर जमाओं की राशि से की गई है तो ऐसे यूनिटों से प्राप्त आय पूर्णतया आयकर से मुक्त है।

उपरोक्त मामले में यूटीआई स्रोत पर कर की कटौती नहीं करेगा, भले ही आय की राशि कितनी भी हो।

आयकर/धन-कर/उपहार-कर/पूंजीगत अभिलाभ कर, अनिवासी भारतीयों/ओसीबी/ एफआईआई द्वारा किए गए निवेशों के संबंधित प्रकटीकरण प्रचलित आयकर अधिनियम, फेरा और रिज़र्व बैंक के निदेशों और अनुमतियों के अनुरूप हैं।

XV. निवेशकों के अधिकार एवं सेवाएं

1. प्लान के अधीन सदस्यों को प्लान की आस्तियों के लाभकारी स्वामित्व तथा प्लान द्वारा घोषित आय में समानुपातिक अधिकार है।

2. सदस्यों को न्यासियों से ऐसी कोई भी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है जो उनके निवेशों पर प्रतिकूल प्रभाव रखती हो तथा सदस्यों को ऐसी जानकारी देने के लिए न्यासी बाध्य होंगे।

3. सदस्यों को यूनिटों की बिक्री बंद होने की तिथि से 6 सप्ताहों के भीतर यूनिट प्रमाणपत्र/सदस्यता सूचना जारी किए जाने का अधिकार है।

4. सदस्यों को अधिकार है कि जिस कार्यालय में पुनर्खरीद आग्रह संसाधित किए जाते हैं वहां आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 10 कार्य दिवसों के भीतर (बशर्ते कि आवेदन सही हो) पुनर्खरीद/प्रतिदान प्राप्तियां उन्हें भेजी जाए।

5. सदस्यों को केंद्रीय निवेशक संपर्क कक्ष, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय, बेसमेंट द्वार नं. 1, सर विट्ठलदास ठाकरसी मार्ग, मुंबई-400 020 में रखे निम्नलिखित दस्तावेजों के निरीक्षण का अधिकार है :

- यूटीआई अधिनियम
- सामान्य विनियम
- अभिरक्षक, रजिस्ट्रार और संग्रहणकर्ता बैंकों के साथ किए गए करार
- पेशकश दस्तावेज एमआईपी 98 (II) की प्रति

XVI. भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना एवं प्रबंधन

यूटीआई की स्थापना

यूटीआई अधिनियम, 1963 के अंतर्गत भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना की गई थी जिसका उद्देश्य बचत एवं निवेश को प्रोत्साहन देने तथा प्रतिभूतियों के अर्जन, धारण, प्रबंधन और निपटान से ट्रस्ट को प्रोद्भूत होनेवाली आय, लाभों और अभिलाभों में सहभागिता थी। इसने 1 जुलाई, 1964 से कार्य करना आरंभ किया।

यूटीआई का प्रबंधन

ट्रस्ट के कार्यों एवं व्यवसाय का प्रबंधन न्यासी मंडल में निहित है, जिसका भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है।

मंडल के अलावा, एक सांविधिक कार्यकारिणी समिति होती है जिसमें अध्यक्ष, कार्यपालक न्यासी तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा नामित दो अन्य न्यासी होते हैं। यह समिति मंडल की कार्यक्षमता के अंतर्गत आने वाले किसी भी मामले पर कार्य करने के लिए सक्षम है।

न्यासी मंडल

1.	श्री जी.पी. गुप्ता	अध्यक्ष, भारतीय यूनिट ट्रस्ट
2.	डॉ पी.जे. नायक	कार्यपालक न्यासी, भारतीय यूनिट ट्रस्ट
3.	श्री एस गुरुमूर्ति	कार्यपालक निदेशक, रिज़र्व बैंक
4.	श्री एस.एच. खान	अध्यक्ष, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
5.	श्री एन.एस. सेखसरिया	प्रबंध निदेशक, गुजरात अंबुजा सिमेन्ट्स लि.
6.	श्री पी.आर. खन्ना	सनदी लेखाकार
7.	श्री जी. कृष्णमूर्ति	अध्यक्ष, भारतीय जीवन बीमा निगम
8.	श्री एम. एस. वर्मा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक
9.	श्री एन. वाधुल	अध्यक्ष, आईसीआईसीआई लि.
10.	श्री रशीद जिलानी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पंजाब नेशनल बैंक

* **वर्तमान में न्यासियों की अन्य निदेशिकाएं इस प्रकार है :**

1. **श्री जी. पी. गुप्ता -** (i) नियंत्रण समिति के अध्यक्ष - यूटीआई - इन्स्टीट्यूट ऑफ कैपीटल मार्केट (ii) अध्यक्ष एवं निदेशक - भारतीय यूनिट ट्रस्ट ,निवेशक सलाह सेवाएं लिमिटेड, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, निवेशक सेवाएं लिमिटेड,इंडिया फंड, इंडिया ग्रोथ फंड, इंडिया एक्सेस लि., ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया (ओटीसी) एवं इंडिया पब्लिक सेक्टर फंड लि. (iii) निदेशक - यूटीआई बैंक लि., भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम एवं भारतीय मितीकाटा और वित्त गृह लि. (iv) अध्यक्ष - यूटीआई सिक्यूरिटीज़ एक्सचेंज लि. एवं कोलंबस इंडिया फंड (v) सदस्य - भारतीय जीवन बीमा निगम।

2. **डॉ पी.जे. नायक -** (i) नियंत्रण समिति के सदस्य - यूटीआई इन्स्टीट्यूट ऑफ कैपीटल मार्केट यूटीआई,(ii) निदेशक - भारतीय यूनिट ट्रस्ट आईएसएल, यूटीआई आईएएस लि., भारतीय म्यूचुअल फंड संघ एवं नेशनल सिक्यूरिटीज़ डिपॉजीटरी लि.

3. **श्री एस. एच. खान -** निदेशक - भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, आईडीबीआई बैंक लि. एवं बोर्ड ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट फाइनेंस कं. लि.।

4. **श्री एन.एस. सेखसरिया -** निदेशक - श्री अरबुदा मिल्स लि., गुजरात वेंचर फाइनेंस लि., राधा माधव इन्वेस्टमेंट लि. एवं गृह फाइनेंस लि.।

5. **श्री पी.आर. खन्ना -** निदेशक - एसबीआई कैपिटल मार्केट लि., गोपी रब्बर लि., टेलिमैकनिक एवं कंट्रोल (इंडिया) लि., डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज लि., गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लि., इंडैग रब्बर लि., टोयो प्राइ. लि., मार्केटिंग रिसर्च ग्रुप प्राइ. लि. एवं सीता हॉलिडे रिसोर्ट लि.।

6. **श्री जी. कृष्णमूर्ति -** (i) अध्यक्ष - एलआईसी (अंतर्राष्ट्रीय).ईसी, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि. एवं जीवन बीमा सहयोग आस्ति प्रबंधन कंपनी (ii) अध्यक्ष - भारतीय साधारण बीमा निगम, केनइंडिया एन्श्यूरेंस कं. लि., भारतीय मितीकाटा और वित्त गृह, भारतीय रेल वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम एवं राष्ट्रीय आवास बैंक।

7. **श्री एम.एस. वर्मा -** (i) अध्यक्ष - एसबीआई कैपीटल मार्केट लि., एसबीआई फंड मैनेजमेंट (प्रा.) लि., एसबीआई गिल्ट्स लि., एसबीआई सिक्यूरिटीज़ लि., एसबीआई यूरोपियन बैंक लि., एसबीआई फैक्टर्स एवं कमर्शियल सर्विसेज़ प्रा. लि.,स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफार्निया) एवं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कनाडा) (ii) उपाध्यक्ष - भारतीय बैंकर संस्थान (नियंत्रण समिति), (iii) निदेशक - राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त बैंक एवं साधारण बीमा निगम, (iv) सदस्य - राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान (नियंत्रण समिति के सदस्य एवं कैंपस समिति एवं वित्त समिति के अध्यक्ष), बैंकिंग कर्मचारी चयन समिति (नियंत्रण समिति के सदस्य, वित्त समिति के अध्यक्ष) एवं भारतीय बैंक संघ (प्रबंधन समिति के सदस्य)।

8. **श्री एन वाघुल -** (i) अध्यक्ष - भारतीय तकनीकी विकास सूचना कंपनी लि. बंगलोर,भारतीय साख निर्धारण सूचना सेवा लि., भारतीय विदेश प्रशिक्षण संस्थान, कंसबहल एवं 20 सेंचुरी वेंचर कैपिटल कार्पोरेशन, (ii) निदेशक - भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक कलकत्ता, आवास विकास वित्त निगम एवं भारतीय मितीकाटा एवं वित्त गृह लि.।

9. **श्री रशीद जिलानी -** (i) निदेशक - भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि., निक्षेप बीमा एवं प्रत्यय गारंटी निगम, भारतीय आयात निर्यात बैंक. भारतीय कृषि वित्त निगम लि., पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम लि., ओरिएंटल इन्श्यूरेंस कं. लि., भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संस्थान, नई दिल्ली, राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्था, पुणे, भारतीय बैंक संस्थान एवं भारतीय निवेश केंद्र, नई दिल्ली, (ii) अध्यक्ष - भारतीय बैंक संघ, (iii) अध्यक्ष - स्विफ्ट यूसर्स ग्रुप - इंडिया, (iv) सदस्य - स्विफ्ट-एशिया पैसेफिक एडवायज़री फंड काउंसिल।

निधि का प्रबंधन - निधि प्रबंधक श्रीमती प्रेमा मधुप्रसाद, महाप्रबंधक, होंगी।

योग्यता : सनदी लेखाकार - बी.एस.सी., ए.सी.ए.

अनुभव एवं पृष्ठभूमि - वर्तमान में निधि प्रबंधन विभाग में कार्यरत हैं, देशी आय वाली योजनाओं का निधि प्रबंधन कर रही है। साथ ही ट्रस्ट का कोष प्रबंधन भी देखती हैं।

पदनाम/विभाग/अवधि	**दायित्व**
उप महा प्रबंधक/लेखा विभाग/जन '96 से सितं '97	प्रभारी सभी घरेलू योजनाओं की इक्विटी निवेशों का निवेश लेखा, सुरक्षा परिचालन, बाजार परिचालन का सहयोगी कार्यालय क्रियाकलाप एवं मुद्रा बाजार परिचालन।
उप महा प्रबंधक/लेखा विभाग/जन '93 से दिसं '95	विदेशी निधियों जैसे इंडिया फंड, इंडिया ग्रोथ फंड, कोलंबस फंड आदि के प्रबंधन का अनुभव
उप महाप्रबंधक/बाजार परिचालन विभाग	देशी निधियों के इक्विटी निवेश की मुख्य व्यापारी। इक्विटी आधारित निधियों में अनुभव है।
1984 को प्रबंधक (वित्त) के रूप में प्रवेश	प्राथमिक बाजार निवेशों जैसे कार्पोरेट को डिबेंचर एवं अन्य ऋणों का नियोजन की देख-रेख।
1979 से 1984 तक एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में वित्तीय विश्लेषक	

XVII. योजना के लिए अन्य सेवाएं देने वाले

1. अभिरक्षक

भारतीय स्टाक धारिता निगम के साथ 17 जनवरी 1994 को हुए करार के अनुसार हमारी सभी योजनाओं और प्लानों का अभिरक्षक भारतीय स्टाक धारिता निगम है जिसका कार्यालय मित्तल कोर्ट, बी विंग, नरीमन प्वाइंट, मुंबई -400 021 में स्थित है।

अभिरक्षकों से यह अपेक्षा है कि वे ट्रस्ट की योजनाओं/फ़ंडों/प्लानों की सभी प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी लें और उन्हें अपनी अभिरक्षा में रखें। अभिरक्षक प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी केवल ट्रस्ट के अनुदेशों के अनुसार और प्रतिफल प्राप्त करने पर ही करेंगे। जब तक ट्रस्ट द्वारा अन्यथा निर्देश न दिया गया हो, अभिरक्षक, एजेंट के रूप में उसके द्वारा धारित प्रतिभूतियों, अन्य आस्तियों की बिक्री, खरीद, अंतरण एवं अन्य लेन-देन से संबंधित अभिरक्षा संबंधी सामान्य कार्यों का पालन करने के लिए सभी गैर विवेकाधीन एवं प्रक्रियात्मक ब्यौरों के लिए सामान्यतया प्राधिकृत होगा।

अभिरक्षक सभी सूचनाएं रिपोर्टें अथवा ट्रस्ट की योजनाओं/फ़ंडों/प्लानों से संबंधित प्रतिभूतियों के वास्तविक रूप से सत्यापन एवं मिलान और लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु ट्रस्ट अथवा ट्रस्ट के लेखा परीक्षकों द्वारा मांगा गया कोई भी स्पष्टीकरण उपलब्ध करायेंगे।

भारतीय स्टॉक धारिता निगम लि (एसएचसीआईएल)ने रजिस्ट्रेशन नंबर हेतु आवेदन किया है।

सुरक्षा प्रभार इस प्रकार है :

बाजार परिचालन रु. 100/- प्रति सौदे की दर से (बिक्री, खरीद एवं प्राथमिक बाजार)

सुरक्षा शुल्क की दर इस प्रकार है :

धारित आस्तियों का मूल्य	पाइंट आधार
रु. 2000 करोड़ तक	12
रु. 2000 करोड़ से रु. 3000 करोड़ के बीच	11
रु. 3000 करोड़ से रु. 4000 करोड़ के बीच	10
रु. 4000 करोड़ से रु. 5000 करोड़ के बीच	9
रु. 5000 करोड़ से अधिक	8

यूटीआई के लिए प्रभावी दर, इसके धारण करने की तिथि से कम हो गई है जो रु. 5000 करोड़ से अधिक के लिए प्रति वर्ष 8 आधार पॉइंट की दर से है। सुरक्षा एवं सौदों के कारण देय कुल सेवा प्रभार रु. 35 करोड़ की उच्चतम सीमा है।

2. लेखा परीक्षक

मेसर्स एस के कपूर एण्ड कं.16/98, एलआईसी बिल्डिंग, दी माल, कानपुर-208001 और मेसर्स चतुर्वेदी एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, 60 बेंटिक स्ट्रीट, कलकत्ता 700 069। योजना के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति आईडीबीआई द्वारा की जाती है, और वे प्रत्येक वर्ष बदले जाने के अधीन हैं।

3. रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट

यूटीआई निवेशक सेवाएं लिमिटेड - सेबी रजिस्ट्रेशन सं. आईएनआर000001211 - रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट को कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है ।

यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि रजिस्ट्रार के पास आवेदन पत्रों, अंतरण फार्मों एवं पुनर्खरीद आग्रहों की प्रोसेसिंग करने, यूनिट प्रमाणपत्रों एवं लाभांश वारंटों को निर्धारित समय के भीतर प्रेषित करने और निवेशक की शिकायतों को दूर करने जैसी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की पर्याप्त क्षमता है।

आवेदन पत्रों की प्रोसेसिंग और बिक्री के पश्चात् सेवाएं रजिस्ट्रार की निम्नलिखित कार्यालयों द्वारा प्रदान की जाएंगी :

पश्चिमी अंचल : प्लॉट नं. 369, मरोल मरोशी रोड, मरोल के समीप - मरोल बस डेपो, विजय नगर, अंधेरी (पू), मुंबई 400 059.

पूर्वी अंचल : 2, फेयरली प्लेस, पहली मंज़िल, पी बी सं. 60, कलकत्ता 700 001.

दक्षिणी अंचल : जस्टीस बशीर अहमद सैय्यद बिल्डिंग, 45, दूसरी लाइन बिच, चेन्नई 600 001 अभियांत्रिकी

उत्तरी अंचल : (उत्तर प्रदेश छोड़कर) : कांचनजंगा बिल्डिंग, अप्पर भूतल, 18, बारा खंबा रोड, नई दिल्ली

लखनऊ (केवल उत्तर प्रदेश राज्य के लिए) : शॉप सं. 8 एवं 9, दूसरी मंज़िल,सरन चेम्बर्स सं. 5, पार्क रोड, लखनऊ 226 001.

4. संग्रहणकर्ता एवं भुगतानकर्ता बैंक

अखिल भारतीय आधार पर भारतीय स्टेट बैंक संग्रहणकर्ता एवं भुगतानकर्ता बैंक के रूप में कार्य करेगा साथ ही यूटीआई बैंक लि. स्थानीय भुगतानों का संग्रह करेगा। दक्षिण अंचल में केरल एवं कर्नाटक राज्य के लिए संग्रहणकर्ता एवं भुगतानकर्ता बैंक के रूप में केनरा बैंक कार्य करेगा। आवेदन यूटीआई शाखा कार्यालयों, सीआर संग्रहण केंद्रों एवं विशेष अधिकार प्राप्त कार्यालय भी स्वीकार करेंगे। यूटीआई शाखा कार्यालयों के पते अंतिम पृष्ठ में दिए गए है। सीआर संग्रहण केंद्रों एवं विशेष अधिकार प्राप्त कार्यालयों के पते आवेदन पत्र में दिए गए है।

ओमान सल्तनत में ओमान अंतर्राष्ट्रीय बैंक एवं यूएई में अबूधाबी वाणिज्यिक बैंक की चुनी हुई शाखाएं, अनिवासियों से आवेदन पत्र संग्रह करने हेतु नियुक्त की गई है।
बैंकों के मुख्य व्यापार के पते :

भारतीय स्टेट बैंक
(विकास एवं कार्मिक बैंकिंग)
स्थानीय मुख्य कार्यालय, मादाम कामा रोड, पो. बॉ. नं 10003, मुंबई - 400 021

ओमान अंतर्राष्ट्रीय बैंक एस.ए.ओ.जी
1-ए, मित्तल कोर्ट
नरीमन पॉइंट,
मुंबई - 400 021

केनरा बैंक
तंबूचेट्टी स्ट्रीट
चेन्नई - 600 001

अबू धाबी वाणिज्यिक बैंक लि.
75बी, वीर नरीमन रोड, पोस्ट बॉक्स 11248
मुंबई - 400 020

यूटीआई - बैंक लि.
केंद्रीय कार्यालय, मेकर टावर - 'एफ'
13वीं मंज़िल, कफ परेड, कोलाबा,
मुंबई - 400 005.

XVIII निवेशक शिकायत निवारण

1. सभी निवेशक अपनी शिकायतें निवेश संबंधी पूर्ण विवरण देते हुए सम्बंधित निवेशक संपर्क कक्ष को निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं :

पश्चिमी अंचल :
श्रीमती तन्वी उपाध्ये
श्री मृदुल मुखोपाध्याय
भारतीय यूनिट ट्रस्ट
निवेशक संपर्क कक्ष, कामर्स सेंटर I,
28वीं मंजिल, विश्व व्यापार केंद्र, जी डी सोमानी मार्ग, कफ परेड, मुंबई-400 005
टेली : 218 0172/2153846

पूर्वी अंचल :
श्री एस एल चक्रवर्ती
भारतीय यूनिट ट्रस्ट
निवेशक संपर्क कक्ष,
2, फेयरली प्लेस, 2री मंजिल,
कलकत्ता-700 001
टेली : 243 4575/81

दक्षिणी अंचल :
सुश्री शिरिन रामप्रसाद/सुश्री हरी प्रिया एस.
भारतीय यूनिट ट्रस्ट
निवेशक संपर्क कक्ष,
यूटीआई हाऊस, 29, राजाजी सालै,
चेन्नई-600 001
टेली : 5260146

उत्तरी अंचल :
सुश्री अंजू कृष्णान
भारतीय यूनिट ट्रस्ट
निवेशक संपर्क कक्ष,
हेरॉल्ड हाऊस, 2री मंजिल,
5ए, बहादुरशाह ज़फर मार्ग,
नई दिल्ली 110 002
टेली : 332 9860/3311225

2. निवेशकों की शिकायतें जिनका निवारण किया गया का रिकॉर्ड

पिछले तीन वर्षों की दौरान प्राप्त शिकायतें, जिनका निवारण किया गया और जो निवारणाधीन हैं, इस प्रकार हैं :

अवधि	शिकायतों की संख्या			कुल प्राप्त में से निवारणाधीन शिकायतें
	प्राप्त शिकायतें	जिनका निवारण किया गया	निवारणाधीन	
01-07-95 से 30-04-96	685997	651813	34184	4.98%
01-04-96 से 31-03-97	470169	447495	22675	4.82%
01-04-97 से 31-03-98	551929	539318	12611	2.28%

01-04-97 से 31-03-98 तक की अवधि के लिए प्राप्त शिकायतों की संख्या, जिनका निवारण किया गया और जो निवारणाधीन हैं, उन्हें नीचे दिया गया है :

योजना का नाम	शिकायतों की संख्या			कुल प्राप्त में से निवारणाधीन शिकायतें
	प्राप्त शिकायतें	जिनका निवारण किया गया	निवारणाधीन	
सीसीसीएफ	874	812	62	7.09%
सीजीजीएफ	6391	6138	253	3.96%
सीजीएस-83	351	275	76	21.65%
सीजीयूएस-91	2471	2449	22	0.89%
सीआरटीएस	239	225	14	5.86%
डीआईपी-91	3111	3094	17	0.55%
डीआईयूपी-93	521	510	11	2.11%
डीआईयूपी-95	1396	1388	8	0.57%
डीआईयूएस-90	1656	1637	19	1.15%
डीआईयूएस-91	1599	1565	34	2.13%
डीआईयूएस-92	2080	2028	52	2.50%
ईओएफ	527	518	9	1.71%
जीसीजीआई	20747	20699	48	0.23%
जीएमआईएस-91	6104	5987	117	1.92%
जीएमआईएस-92	7966	7776	190	2.39%
जीएमआईएस-92(II)	1506	1157	349	23.17%
जीएमआईएस-बी-92	1891	1706	185	9.78%
जीएमआईएस-बी-92 (II)	2079	1989	90	4.33%
ग्रैंडमास्टर-93	1348	1337	11	0.82%
गृहलक्ष्मी यूनिट प्लान	1756	1661	95	5.41%
आवास यूनिट योजना	308	278	30	9.74%
आईआईएसएफयूएस	7	6	1	14.29%
आईईएफ-97	107	87	20	18.69%
मास्टरगेन-92	106189	105573	616	0.58%
मास्टरग्रोथ-93	8829	8783	46	0.52%
मास्टरप्लस-91	13079	12704	375	2.87%
मास्टरशेयर-86	22129	20848	1281	5.79%
एमईपी-91	4281	4228	53	1.24%
एमईपी-92	22161	21743	418	1.89%
एमईपी-93	54619	54024	595	1.09%
एमईपी-94	62020	61701	319	0.51%
एमईपी-95	4695	4656	39	0.83%
एमईपी-96	1620	1602	18	1.11%
एमईपी-97	1384	1357	27	1.95%
एमईपी-98	3	2	1	33.33%

योजना का नाम	शिकायतों की संख्या			कुल प्राप्त में से निवारणाधीन शिकायतें
	प्राप्त शिकायतें	जिनका निवारण किया गया	निवारणाधीन	
एमआईपी-93	1454	1428	26	1.79%
एमआईपी-94(I)	2301	2219	82	3.56%
एमआईपी-94(II)	1725	1715	10	0.58%
एमआईपी-94(III)	5412	5373	39	0.72%
एमआईपी-95	4419	4373	46	1.04%
एमआईपी-95(II)	3635	3593	42	1.16%
एमआईपी-95(III)	3851	3821	30	0.78%
एमआईपी-96	3367	3334	33	0.98%
एमआईपी-96(II)	3132	3097	35	1.12%
एमआईपी-96(III)	3692	3643	49	1.33%
एमआईपी-96(IV)	17387	17156	231	1.33%
एमआईपी-97	10295	10091	204	1.98%
एमआईपी-97(II)	9124	8771	353	3.87%
एमआईपी -97(III)	3558	3466	92	2.59%
एमआईपी -97(IV)	720	630	90	12.50%
एमआईपी -97(V)	184	48	136	73.91%
एमआईपी -98	4	0	4	100.00%
एमआईएस-बी-93	3557	3483	74	2.08%
एमआईएसजी-90(I)	6754	6389	365	5.40%
एमआईएसजी-90(II)	4525	4167	358	7.91%
एमआईएसजी-91	1479	1451	28	1.89%
ओमनी-प्लान	92	82	10	10.87%
प्राइमरी इक्विटी फंड	1819	1755	64	3.52%
राजलक्ष्मी यूनिट प्लान	3359	3236	123	3.66%
सेवानिवृत्ति लाभ प्लान	2616	2538	78	2.98%
वरिष्ठ नागरिक यूनिट प्लान	1397	1368	29	2.08%
यूजीएस-2000	9147	8648	499	5.46%
यूजीएस-5000	3992	3818	174	4.36%
यूलिप	12652	11390	1262	9.97%
यूएस -64	74852	71523	3329	4.45%
यूएस -92	6150	6111	39	0.63%
यूएस-95	2	2	0	0.00%
कुल	**551929**	**539318**	**12611**	**2.28%**

शिकायतों के कारण :

(i) संग्रहणकर्ता बैंकों से आवेदन पत्र/निधियों का प्राप्त न होना।

(ii) आवेदन पत्र में निवेशक के पते, नाम और हस्ताक्षर सहित अपूर्ण विवरण

(iii) निवेशक के पते में हुए परिवर्तन को सूचित नहीं किया जाना/अद्यतन नहीं किया जाना।

(iv) मार्ग में ही खो जाना।

(v) डाक सेवा में विलंब

(vi) अंतरण/मृत्यु दावों/पुनर्खरीद के मामलों में अपेक्षित दस्तावेजों का उपलब्ध नहीं कराया जाना।

(vii) शिकायतें भेजते समय अपूर्ण ब्यौरा

(viii) कमीशन प्राप्त न होना/विलंब से प्राप्त होना

(ix) पत्रों/दस्तावेजों को गलत कार्यालय/रजिस्ट्रार को भेजा जाना।

XIX. जुर्माना, लंबित मुकदमा, निरीक्षणों/जांच-पड़तालों के महत्वपूर्ण निष्कर्ष

1. भारतीय यूनिट ट्रस्ट/न्यासी मंडल या न्यासियों या मुख्य कर्मी में से कोई (विशिष्टत: निधि प्रबंधक) के प्रति सेबी अधिनियम या उसकी कोई विनियमों या किसी स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत सेबी द्वारा जुर्माना लगाने को कोई मामला नहीं है।

2. न्यासी मंडल या न्यासियों या मुख्य कर्मी सहित भारतीय यूनिट ट्रस्ट के व्यापार से संबंधित कोई महत्वपूर्ण मुकदमें की कार्यवाही लंबित नहीं है।

3. भारतीय यूनिट ट्रस्ट, न्यासी मंडल/न्यासी या मुख्य कर्मी के प्रति सेबी अधिनियम और उसके अंतर्गत बने विनियमों के अधीन कोई पूछताछ/अधिनिर्णय की कार्यवाही नहीं है।

XX संक्षिप्त वित्तीय जानकारी

i) पूर्ववर्ती आंकड़े प्रति यूनिट

योजना (आबंटन की तिथि) *	आरयूपी (II)(01.07.94)				जीयूपी (06.08.94)				एमआईपी-94 (III) (01.01.95)			
	1994-95	1995-96	1996-97	31.12.97	1994-95	1995-96	1996-97	31.12.97	1994-95	1995-96	1996-97	31.12.97
1. वर्ष के आरंभ में एनएवी	10.00	9.86	11.10	12.35	10.00	10.16	10.70	10.05	10.00	9.47	9.61	9.69
2. शुद्ध आय प्रति यूनिट	-0.14	1.04	0.84	0.70	0.16	0.99	0.47	0.27	0.10	1.17	1.17	0.01
3. लाभांश : (%) प्र.व.	–	–	–	–	–	14.00	10.00	–	# 12.00	# 13.00	13.00	13.00
4. प्रारक्षितों (यदि कोई हो) में अंतरण	–	–	–	–	–	–	–	–	-0.53	0.13	0.09	–
5. वर्ष के अंत में एनएवी	9.86	11.10	12.35	12.28	10.16	10.70	10.05	10.33	9.47	9.61	9.69	9.76
6. वार्षिकीकृत आय (%)	-1.35	5.52	7.82	6.50	1.74	11.03	8.44	8.02	1.46	5.75	8.97	9.86
7. अवधि के अंत में शुद्ध आस्तियां (रु. करोड़ में	104.07	220.09	307.50	356.65	100.08	135.45	132.38	136.22	697.94	693.10	682.38	681.56
8. शुद्ध आस्तियों में आवर्ती व्यय का अनुपात	0.036	0.022	0.011	0.006	0.034	0.037	0.005	0.002	0.007	0.007	0.120	0.003

31.12.95 तक 12%, 01.01.96 - 31.03.98 तक 13%

योजना (आबंटन की तिथि) *	आरबीयूपी (26.12.94)				एमईपी - 95 (31.03.95)				यूएस-95 (02.01.95)			
	1994-95	1995-96	1996-97	31.12.97	1994-95	1995-96	1996-97	31.12.97	1994-95	1995-96	1996-97	31.12.97
1. वर्ष के आरंभ में एनएवी	10.00	9.71	11.63	13.90	10.00	9.61	11.57	11.34	10.00	99.96	102.75	98.70
2. शुद्ध आय प्रति यूनिट	-0.03	1.17	1.42	0.77	-0.39	0.68	0.14	-0.65	2.62	15.94	9.36	5.45
3. लाभांश : (%) प्र.व.	–	–	–	–	–	–	–	–	12.00	13.50	12.50	–
4. प्रारक्षितों (यदि कोई हो) में अंतरण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. वर्ष के अंत में एनएवी	9.71	11.63	13.90	14.81	9.61	11.57	11.34	9.77	99.66	102.75	98.70	102.54
6. वार्षिकीकृत आय (%)	-5.62	10.78	15.52	15.95	-15.64	12.51	5.97	-0.83	11.54	14.90	12.31	11.52
7. अवधि के अंत में शुद्ध आस्तियां (रु. करोड़ में	24.42	72.73	122.43	137.31	1114.09	1339.13	1312.78	1130.66	173.42	209.19	119.70	100.54
8. शुद्ध आस्तियों में आवर्ती व्यय का अनुपात	0.034	0.009	0.007	0.005	0.003	0.005	0.004	0.003	0.005	0.002	0.002	0.001

योजना (आबंटन की तिथि) *	पीईएफ-95 (01.08.95)				एमआईपी-95 (01.07.95)			
	1994-95	1995-96	1996-97	31.12.97	1994-95	1995-96	1996-97	31.12.97
1. वर्ष के आरंभ में एनएवी	10.00	9.95	12.28	12.45	10.00	10.05	10.35	10.74
2. शुद्ध आय प्रति यूनिट	-0.14	0.67	0.35	-0.20	0.05	1.33	1.12	0.53
3. लाभांश : (%) प्र.व.	--	--	--	--	--	13.00	14.00	14.00
4. प्रारक्षितों (यदि कोई हो) में अंतरण	--	--	--	--	0.05	0.24	0.11	--
5. वर्ष के अंत में एनएवी	9.95	12.28	12.45	10.54	10.05	10.35	10.74	10.43
6. वार्षिकीकृत आय (%)	—	24.87	12.79	2.25	—	16.54	17.18	15.29
7. अवधि के अंत में शुद्ध आस्तियां (रु. करोड़ में	174.23	223.40	227.61	168.87	539.45	577.74	574.73	551.93
8. शुद्ध आस्तियों में आवर्ती व्यय का अनुपात	0.028	0.012	0.004	0.006	0.001	0.007	0.008	0.003

योजना (आबंटन की तिथि)	एमआईपी-95 (II) (01.09.95)				आईआईएसएफयूएस (01.10.95)		डीआईपी-95 (01.10.95)		एमईपी - 96 (31.03.96)			
	1995-96	1996-97	31.12.97	1995-96	1996-97	31.12.97	1995-96	1996-97	31.12.97	1995-96	1996-97	31.12.97
1. वर्ष के आरंभ में एनएवी	10.00	10.89	11.42	10.00	11.00	10.59	10.00	12.06	13.70	10.00	12.00	12.59
2. शुद्ध आय प्रति यूनिट	1.22	1.30	0.66	1.42	1.58	0.76	1.24	1.43	0.84	0.13	0.14	0.06
3. लाभांश : (%) प्र.व.	# 13.50	# 14.00	14.00	15.00	15.00	15.00	--	—	26.00	—	—	--
4. प्रारक्षितों (यदि कोई हो) में अंतरण	0.35	0.31	--	—	--	—	1.24	1.43	—	—	--	—
5. वर्ष के अंत में एनएवी	10.89	11.42	11.29	11.00	10.59	11.30	12.06	13.70	14.08	12.00	12.59	11.10
6. वार्षिकीकृत आय (%)	24.27	21.53	19.34	28.40	18.38	20.76	27.48	21.16	23.87	80.20	20.70	6.29
7. अवधि के अंत में शुद्ध आस्तियां (रु. करोड़ में	365.24	366.14	357.71	195.45	182.60	196.42	120.82	134.87	137.58	235.94	247.35	217.98
8. शुद्ध आस्तियों में आवर्ती व्यय का अनुपात	0.008	0.011	0.005	0.005	0.006	0.002	0.009	0.008	0.004	0.006	0.007	0.004

31/08/96 तक 13.50%; 1/9/96 - 31/03/98 तक 14.00%

योजना (आबंटन की तिथि)	एमआईपी-95 (II) (01.01.96)			एमआईपी-96 (01.05.96)			एमआईपी-96 (II) (01.07.96)			ईओएफ (01.07.96)		
	1995-96	1996-97	31.12.97	1995-96	1996-97	31.12.97	1995-96	1996-97	31.12.97	1995-96	1996-97	31.12.97
1. वर्ष के आरंभ में एनएवी	10.00	10.98	11.80	10.00	10.29	11.05	10.00	9.96	11.23	10.00	9.98	10.66
2. शुद्ध आय प्रति यूनिट	0.79	1.44	0.89	0.24	1.35	0.64	0.02	1.24	0.78	-0.02	0.46	-1.40
3. लाभांश : (%) प्र.व.	14.00	14.00	14.00	14.50	14.50	14.50	15.00	15.00	15.00	--	—	—
4. प्रारक्षितों (यदि कोई हो) में अंतरण	0.16	0.43	—	-0.14	0.28	—	-0.11	0.13	—	—	—	—
5. वर्ष के अंत में एनएवी	10.98	11.8	11.38	10.29	11.05	11.12	9.96	11.23	11.21	9.98	10.66	9.21
6. वार्षिकीकृत आय (%)	33.81	26.09	20.90	32.37	23.49	21.22	--	27.34	23.03	--	6.62	-5.28
7. अवधि के अंत में शुद्ध आस्तियां (रु. करोड़ में)	443.59	458.39	436.40	238.24	250.67	249.15	385.61	417.80	416.65	23.34	26.10	21.10
8. शुद्ध आस्तियों में आवर्ती व्यय का अनुपात	0.006	0.010	0.005	0.004	0.011	0.005	0.003	0.010	0.004	0.003	0.016	0.009

योजना (आबंटन की तिथि) *	एमएमएमएफ (23.04.97)		एमआईपी-96(III) (01.10.96)		डीआईपी-91 (15.10.96)		आईआईएसएफयूएस-96 (01.01.97)		एमआईपी-96(IV) (01.01.97)		एमईपी-97 (31.03.97)	
	1996-97	31.12.97	1996-97	31.12.97	1996-97	31.12.97	1996-97	31.12.97	1996-97	31.12.97	1996-97	31.12.97
1. वर्ष के आरंभ में एनएवी	10.00	10.17	10.00	11.04	10.00	11.52	10.00	11.09	10.00	10.71	10.00	12.09
2. शुद्ध आय प्रति यूनिट	0.14	0.29	0.90	0.74	1.18	0.74	1.01	0.77	0.67	0.74	0.11	0.42
3. लाभांश : (%) प्र.व.	—	--	15.00	15.00	15.00	15.00	16.00	16.00	15.00	15.00	—	—
4. प्रारक्षितों (यदि कोई हो) में अंतरण	--	—	-0.08	—	0.75	—	0.05	--	0.02	—	--	—
5. वर्ष के अंत में एनएवी	10.17	10.67	11.04	10.78	11.52	11.78	11.09	10.79	10.71	10.52	12.09	10.52
6. वार्षिकीकृत आय (%)	9.17	9.75	29.06	21.23	36.57	29.66	38.25	23.95	29.61	20.27	83.99	6.96
7. अवधि के अंत में शुद्ध आस्तियां (रु. करोड़ में)	37.99	113.49	416.50	406.23	241.41	245.60	206.50	199.53	891.29	868.38	88.69	77.16
8. शुद्ध आस्तियों में आवर्ती व्यय का अनुपात	0.001	0.001	0.008	0.005	0.007	0.004	0.003	0.001	0.007	0.005	0.006	0.058

योजना (आबंटन की तिथि)	एमआईपी-97 (01.05.97)		एमआईपी-97(II) (01.07.97)		आईआईएसएफयूएस-97 (01.07.97)		आईईएफ (01.08.97)		एमआईपी-97(III) (01.09.97)	एमआईपी-97(IV) (01.11.97)
	1996-97	31.12.97	1996-97	31.12.97	1996-97	31.12.97	1996-97	31.12.97	31.12.97	31.12.97
1. वर्ष के आरंभ में एनएवी	10.00	10.32	10.00	10.09	10.00	10.14	10.00	10.00	10.00	10.00
2. शुद्ध आय प्रति यूनिट	0.25	0.60	0.11	0.47	0.12	0.47	0.00	-1.19	0.27	0.13
3. लाभांश : (%) प्र.व.	14.00	14.00	14.00	14.00	15.00	15.00	--	—	13.00	12.50
4. प्रारक्षितों (यदि कोई हो) में अंतरण	-0.06	—	0.03	--	--	—	--	--	—	—
5. वर्ष के अंत में एनएवी	10.32	10.20	10.09	10.04	10.14	10.39	10.00	8.81	9.81	9.85
6. वार्षिकीकृत आय (%)	33.44	16.89	—	14.71	—	22.76	—	28.67	7.26	3.45
7. अवधि के अंत में शुद्ध आस्तियां (रु. करोड़ में)	1195.73	1183.59	1462.16	1504.68	685.15	701.8	31.28	29.10	839.95	918.31
8. शुद्ध आस्तियों में आवर्ती व्यय का अनुपात	0.006	0.005	0.001	0.005	0.000	0.002	0.001	0.010	0.005	0.003

योजना (आबंटन की तिथि)	एमआईपी-97(V) (01.01.98)	एमईपी-98 (31.03.98)	आईआईएसएफयूएस-97 (II) (01.02.98)
	31.12.97	31.12.97	31.12.97
1. वर्ष के आरंभ में एनएवी	10.00	10.00	10.00
2. शुद्ध आय प्रति यूनिट	0.03	0.04	0.04
3. लाभांश : (%) प्र.व.	11.75	--	12.75
4. प्रारक्षितों (यदि कोई हो) का अंतरण	--	--	--
5. वर्ष के अंत में एनएवी	9.98	--	10.04
6. वार्षिकीकृत आय (%)	--	--	--
7. अवधि के अंत में शुद्ध आस्तियां (रु. करोड़ में	388.00	10.04	321.93
8. आवर्ती व्यय एवं शुद्ध आस्तियां का अनुपालन	0.000	0.000	0.000

* सतत खुली योजना के लिए शुभारंभ की तिथि दी गई है।

ii) ट्रस्ट की योजनाओं द्वारा उधार लिए जाने का कोई उदाहरण नही है।

XXI. देय अध्यवसाय

एमआईपी 98 (II) हेतु नियत तत्परता प्रमाणपत्र सेबी के पास जमा किया है

इस बात की पुष्टि की जाती है कि :

I. पेशकश दस्तावेज का ड्राफ्ट भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (म्युचूअल फंड) अधिनियम, 1996 एवं समय-समय पर सेबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों एवं निर्देशों के अनुसार है ;

II. इस योजना के प्रारंभ किए जाने संबंधित सभी विधिक आवश्यकताएं एवं साथ ही इस संबंध में सरकार या अन्य किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देश, निर्देश आदि का विधिवत् अनुपालन किया गया है।

III. पेशकश दस्तावेज में किए गए प्रकटीकरण सत्य, उचित एवं प्रस्तावित योजना में निवेश के लिए निवेशकों को सोच समझकर निर्णय लेने में सहायता देने के लिए पर्याप्त है ;

IV. पेशकश दस्तावेज में उल्लिखित सभी बिचौलिए सेबी के साथ पंजीकृत हैं और आज की तिथि के अनुसार ऐसा पंजीकरण वैध है।

दिनांक : 22/04/98

स्थान : मुंबई

हस्ताक्षर : ह/-
नाम : बी एस पंडित
अनुपालन अधिकारी

मुहर के साथ

XXII. योजनाओं का विवरण जिसमें आय की गारंटी डीआरएफ द्वारा दी गई है

	अवधि		शुद्ध आय	@ आय वितरण	31.03.98 को निवेश योग्य निधि	आश्वासित आय
	से	तक	रु. करोड़ में	रु. करोड़ में	रु. करोड़ में	(प्र.व.)
एमआईपी-97	1.7.96	30.06.97	28.95	35.37	1154.68	14%
	1.7.97	31.12.97	69.77	47.05		
एमआईपी-97 (II)	1.7.96	30.06.97	15.29	19.54	1376.46	14%
	1.7.97	31.12.97	69.75	65.16		
एमआईपी-97 (III)	1.7.96	30.06.97	0.00	0.21	708.65	13%
	1.7.97	31.12.97	23.54	39.64		
एमआईपी-97 (IV)	1.7.97	31.12.97	12.32	26.62	893.82	12.5%
एमआईपी-97 (V)	1.7.97	31.12.97	1.15	3.7	340.84	11.75%
आईआईएसएफयूएस-97	1.7.96	30.06.97	7.91	* 0.00	564.77	15%
	1.7.97	31.12.97	31.62	* 0.00		
आईआईएसएफयूएस-97(II)	1.7.97	31.12.97	1.43	* 0.00	308.77	12.75%
आईईएफ-97	1.7.96	30.06.97	-0.01	0.00	30.70	
	1.7.97	31.12.97	-3.94	0.00		
			कुल		5378.69	

@ मासिक आय विकल्पों के लिए आय वितरण आश्वासित दर पर माना गया है।

* इन योजनाओं के अंतर्गत आय वितरण अभी देय नहीं है।

कृते न्यासी मंडल, भारतीय यूनिट ट्रस्ट

ह/-

(अ.ना पालवणकर)

कार्यपालक निदेशक

व्यवसाय विकास एवं मार्केटिंग

मुंबई

20-04-98

भारतीय यूनिट ट्रस्ट
कार्पोरेट कार्यालय

13, सर विट्ठलदास ठाकरसी मार्ग (न्यू मरीन लाईन्स), मुंबई-400 020. दूरध्वनि : 206 8468.

आंचलिक कार्यालय

पश्चिमी अंचल : कामर्स सेंटर -1, 28 वीं मंज़िल, विश्व व्यापार केंद्र, कफ परेड, कोलाबा, मुंबई-400 005. दूरध्वनि : 218 1600. **पूर्वी अंचल :** 2, फेयरली प्लेस, दूसरी मंज़िल, कलकत्ता-700 001. दूरध्वनि :220 9391. **दक्षिणी अंचल :** यूटीआई हाउस 29, राजाजी सलई, चेन्नई-600 001. दूरध्वनि : 517 101. **उत्तरी अंचल :** जीवन भारती, 13वीं मंज़िल, टावर II, कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110 001. दूरध्वनि : 332 9860.

पश्चिमी अंचल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आनेवाले शाखा कार्यालय

अहमदाबाद : बी जे हाउस, दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380 009. दूरध्वनि : 642 3043. **बड़ौदा :** मेघधनुष, चौथी और पांचवीं मंजिल, ट्रान्स्पेक सर्कल, रेस कोर्स रोड, बड़ौदा-390 015. दूरध्वनि : 332 481. **भोपाल :** पहली मंजिल, गंगा जमुना कमर्शियल काम्प्लेक्स, प्लाट नं. 202, महाराणा प्रताप नगर, अंचल -1, स्कीम-13, हबीब गंज, भोपाल-462 001. दूरध्वनि : 558 308. **इन्दौर :** सिटी सेंटर, दूसरी मंजिल, 570, एम. जी. रोड, इन्दौर-452 001. दूरध्वनि : 22796, **मुंबई :(1)** यूनिट सं. 2, ब्लाक 'बी' गुलमोहर क्रॉस रोड नं. 9, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई - 400 049. दूरध्वनि : 620 1995. **(2)** पर्सेपोलिस बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, आंध्रा. बैंक के ऊपर, सेक्टर 17, वाशी, नवी मुंबई-400 703. दूरध्वनि : 767 2607. **(3)** लोटस कोर्ट बिल्डिंग, 196, जमशेदजी टाटा रोड, बैकबे रिक्लमेशन, मुंबई-400 020. दूरध्वनि : 285 0821. **(4)** श्रद्धा शॉपिंग आर्केड, पहली मंजिल, एस.वी. रोड, बोरिवली (पश्चिम), मुंबई-400 092. दूरध्वनि 802 0521. **(5)** सागर बोनांज़ा, पहली मंजिल, खोत लेन, घाटकोपर (पश्चिम), मुंबई- 400 086. दूरध्वनि : 516 2256. **कोल्हापुर :** अयोध्या टावर्स, सी एस नं. 511, केएच-1/2, 'ई' वार्ड, दाभोलकर कार्नर, स्टेशन रोड, कोल्हापुर-416 001. दूरध्वनि : 657 315. **नागपुर :** श्री मोहिनी काम्प्लेक्स, तीसरी मंजिल, 345, सरदार वल्लभभाई पटेल रोड, नागपुर-440 001. दूरध्वनि: 536893. **नासिक :** सारदा संकुल, दूसरी मंजिल, एम.जी. रोड, नासिक-422 001. दूरध्वनि: 572166. **पणजी :** ई.डी.सी. हाऊस, भूतल, डॉ. ए बी मार्ग, पणजी, गोवा-403 001. दूरध्वनि: 222472. **पुणे :** सदाशिव विलास, तीसरी मंजिल, 1183 फर्ग्युसन कालेज रोड, शिवाजी नगर, पुणे - 411 005. दूरध्वनि : 325954. **राजकोट :** लल्लूभाई सेन्टर, चौथी मंजिल, लखाजी राज रोड, राजकोट-360 001. दूरध्वनि : 35112. **सूरत:** सैफी बिल्डिंग, डच रोड, ननपुरा, सूरत-395 001. दूरध्वनि : 434 550. **ठाणे :** यूटीआई हाऊस, स्टेशन रोड, ठाणे (प.) -400 601. दूरध्वनि :540 0905.

पूर्वी अंचल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आनेवाले शाखा कार्यालय

भुवनेश्वर : ओसीएचसी बिल्डिंग, 1ली एवं 2री मंजिल 24, जनपथ, खारवेला नगर, राम मंदिर के समीप, भुवनेश्वर - 751 001. दूरध्वनि: 410 995. **कलकत्ता :** 2, फेयरली प्लेस, कलकत्ता 700 001. दूरध्वनि : 220 9391. **दुर्गापुर :** तीसरी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, दूसरी मंज़िल, आसनसोल, दुर्गापुर विकास प्राधिकरण, सिटी सेन्टर, दुर्गापुर 713 216. दूरध्वनि : 546 136. **गुवाहाटी :** हिन्दुस्तान बिल्डिंग, 1ली मंजिल, एम एल नेहरू रोड, पानबाजार, गुवाहाटी 781 001. दूरध्वनि : 543 131. **जमशेदपुर :** 1-ए, राम मंदिर परिसर, भूतल और दूसरी मंज़िल, बिस्तूपुर, जमशेदपुर 831 001. दूरध्वनि: 425508. **पटना :** जीवन दीप बिल्डिंग, भूतल और पांचवीं मंज़िल, एक्ज़िबिशन रोड, पटना 800 001. दूरध्वनि : 235 001. **सिलीगुड़ी :** जीवन दीप, भूतल, गुरु नानक सरणी, सिलीगुड़ी - 734 401. दूरध्वनि : 424671.

दक्षिणी अंचल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आनेवाले शाखा कार्यालय

बंगलोर : रहेजा टावर्स, 26-27, 12वीं मंजिल, पश्चिम विंग, एम.जी.रोड, बंगलोर 560 001. दूरध्वनि :559 5091. **कोचीन :** जीवन प्रकाश, पांचवीं मंजिल, एम जी रोड, एर्नाकुलम, कोचीन 682 011. दूरध्वनि : 362 354. **कोयम्बतूर :** चेरन टावर्स, तीसरी मंजिल, 6/25, आर्टस् कालेज रोड, कोयम्बतूर 641 018. दूरध्वनि : 214 973. **हुबली :** कालबुर्गी मैंशन, 4थीं मंजिल, लेमिंगटन रोड, हुबली 580 020. दूरध्वनि : 363 963. **हैदराबाद :** पहली मंजिल, सुरभि आर्केड, 5-1-664, 665, 669, बैंक स्ट्रीट, हैदराबाद 500 195. दूरध्वनि : 511 095 **चेन्नई :** यू.टी.आई. हाऊस, 29, राजाजी सलई, चेन्नई 600 001. दूरध्वनि : 517 101. **मदुराई :** तमिलनाडु सर्वोदय संघ बिल्डिंग, 108, तिरुप्परनकुन्द्रम रोड, मदुराई 625 001. दूरध्वनि : 38186. **मंगलोर :** सिद्धार्थ बिल्डिंग, पहली मंजिल, बाल-मत्ता रोड, मंगलोर-575 001. दूरध्वनि : 426 258. **तिरुअनंतपुरम :** स्वस्तिक सेन्टर, तीसरी मंजिल, एम.जी रोड तिरुअनंतपुरम 695 001. दूरध्वनि : 331 415. **त्रिची :** 104, सलई रोड, वोरेयूर, तिरुचिरापल्ली 620 003. दूरध्वनि : 760060. **त्रिचूर :** 28/876/77, वेस्ट पल्लिथामाम बिल्डिंग, करुणाकरण नंबियार रोड, राउंड नॉर्थ, त्रिचूर 680 020. दूरध्वनि : 331 259. **विजयवाड़ा :** 27-37-156, बन्दर रोड, मनोरमा होटल के आगे, विजयवाड़ा 520 002. दूरध्वनि: 74434. **विशाखापट्टनम् :** रत्ना आर्केड, तीसरी मंजिल, 47/15/6, स्टेशन रोड, द्वारका नगर, विशाखापट्टनम 530 016. दूरध्वनि : 548 121.

उत्तरी अंचल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आनेवाले शाखा कार्यालय

आगरा : भूतल, जीवन प्रकाश, संजय प्लेस, महात्मा गांधी रोड, आगरा - 282 002. दूरध्वनि : 54408. **इलाहाबाद :** यूनाइटेड टावर्स, तीसरी मंजिल, 53, लीडर रोड, इलाहाबाद . 211 003 दूरध्वनि: 400521. **अमृतसर :** श्री द्वारकाधीश काम्प्लेक्स, दूसरी मंजिल, क्वीन्स रोड, अमृतसर-143 001. दूरध्वनि : 210367. **चंडीगढ़ :** जीवन प्रकाश, .एलआईसी बिल्डिंग, सेक्टर 17-बी, चंडीगढ़-160 017. दूरध्वनि: 703 683. **देहरादून :** दूसरी मंजिल, 59/3, राजपुर रोड, देहरादून 248 001. दूरध्वनि: 746720. **फरीदाबाद :** बी-614-617, नेहरु ग्राउंड, एनआईटी, फरीदाबाद-121 001. दूरध्वनि : 219156. **गाजियाबाद :** 41, नवयुग मार्केट, सिंघानी गेट के समीप, गाजियाबाद-201 001. दूरध्वनि : 790366. **जयपुर :** आनंद भवन, तीसरी मंजिल, संसार चन्द्र रोड, जयपुर 302 001. दूरध्वनि: 365 212. **कानपुर :** 16/79इ, सिविल लाईन्स, कांनपुर 208 001. दूरध्वनि: 317 278. **लखनऊ :** रिजेन्सी प्लाजा बिल्डिंग, 5, पार्क रोड, लखनऊ 226 001. दूरध्वनि : 238599. **लुधियाना :** सोहन पैलेस, 455, दि माल, लुधियाना 141 001. दूरध्वनि: 441264. **नई दिल्ली :** गुलाब भवन, दूसरी मंजिल, 6, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110 002. दूरध्वनि: 331 8638. **शिमला :** फ्लैट नं.401,402, मुकेश एपार्टमेन्टस्, फिंगस्क एस्टेट, होटल शील के पास, शिमला 171 001. दूरध्वनि: 257803. **वाराणसी :** पहली मंजिल, डी-58/2ए-1, भवानी मार्केट रथयात्रा, वाराणसी 221 001. दूरध्वनि: 358606.

RESERVE BANK OF INDIA
INDUSTRIAL AND EXPORT CREDIT DEPARTMENT
CENTRAL OFFICE

Mumbai-400 001, Dated, the 17th June, 1998

Notification No. IECD. 21/08-15-01/97-98— Whereas, having considered it necessary for the development of the Government securities market, a system for enlistment of Satellite Dealers had been introduced by the Reserve Bank of India, vide Guidelines for registration of Satellite Dealers in Government securities market issued by it on December 31, 1996, with the objectives of (a) strenghtening the infrastructure in the Government securtiies market by including intermediaries that have good distribution channels and thereby increase the depth of secondary market trading and widen the investor base (b) enhancing liquidity and turn-over in government securities and (c) strengthening distribution channels and providing a retail outlet for government securities, thereby encouraging voluntary holding of Government Securities amongst a wider investor base. The said guidelines, as amended from time to time, prescribe the eligibility conditions, obligations, capital adequacy standards, procedure for registration, regulations and other norms for Satellite Dealers, so as to regulate their activities within the said objectives.

And whereas, having regard to the objectives to be pursued by the Satellite Dealers, it is considered desirable to allow them to raise finance by issue of commercial paper.

Now, therefore, the Reserve Bank of India, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby, in exercise of the powers conferred by Sections 45K and 45L of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), and all the powers enabling it in this behalf, gives the directions hereinafter specified.

P[illegible] Preliminary

1. Short Title an[illegible]nencement of the Directions

These Directio[illegible]l be known as the "Satellite Dealers (Accepta[illegible] Deposits through Commercial Paper) Directions, 1998". These shall come into force with effect from June 17, 1998 and any reference in these Directions to the date of commencement thereof shall be deemed to be a reference to that date.

Part II: Extent of the Directions

2. Applicability of the Directions to Commercial Paper

These Directions shall apply to every Satellite Dealer which raises deposits by issue of Commercial Paper.

3. Definitions

In these Directions, unless the context otherwise requires:-

(a) "Satellite Dealer" means a financial institution which holds a valid letter of authorisation as a Satellite Dealer issued by the Reserve Bank, in terms of the "Guidelines for Satellite Dealers in Government Securities Market" dated December 31, 1996, as amended from time to time;

(b) Words and expressions used but not defined herein and defined in the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), shall have the same meaning as assigned to them in that Act. Any other words or expression not defined herein or in the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), shall have the meaning as assigned to them in the Companies Act, 1956 (1 of 1956).

4. Eligibility for issuance of Commercial Paper

A Satellite Dealer, which satisfies the following requirement, shall be eligible to issue commercial paper subject to the terms and conditions contained in these Directions:

The Satellite Dealer obtains the specified minimum credit rating for issuance of commercial paper from a credit rating agency, ratings awarded by which have been approved by the Reserve Bank of India for the purpose of issue of commercial paper. The Satellite Dealer shall ensure that at the time of issue of commercial paper, the rating obtained is current and not more than two months old. The minimum specified credit rating shall be P-2 awarded by the Credit Rating Information Services of India Ltd. (CRISIL), or A-2 awarded by the Credit Rating Agency of India Ltd. (ICRA), or PR-2 awarded by the Credit Analysis and Research Limited (CARE), or Ind D-2 awarded by the Duff & Phelps Credit Rating India Pvt. Ltd. (DCR INDIA), or as may be specified from time to time by the Reserve Bank of India for this purpose.

5. Minimum and Maximum Period of Commercial Paper

(a) The commercial paper shall be issued for maturities between fifteen days and more, but less than one year from the date of issue.

(b) There shall be no grace period for payment of commercial paper. If the maturity date happens to be a holiday, the Satellite Dealer shall be liable to make payment on the immediate preceding working day.

(c) Every issue of commercial paper (including renewal) shall be treated as a fresh issue.

Explanation

Where as a result of compliance with the requirements stated in paragraph 6(b) below, the usance of commercial paper falls short of fifteen days, it shall be deemed to be a commercial paper for not less than fifteen days for the purpose of these Directions.

6. Denomination and Minimum Size of Commercial Paper

(a) The commercial paper may be issued in multiples of Rs. 5 lakh but the amount to be invested by any single investor shall not be less than Rs. 25 lakh (face value) provided that the secondary market transactions may be for amounts of Rs. 5 lakh or multiples thereof.

(b) The total amount of commercial paper proposed to be issued shall be raised within a period of two weeks from the date of approval by the Reserve Bank of India, as provided herein, and may be issued on a single day or in parts on different dates provided that in the latter case, such commercial paper shall have the same maturity date.

7. Ceiling on amount of issue of Commercial Paper

The aggregate amount to be raised through issue of commercial paper by a Satellite Dealer shall not exceed the amount fixed by the Reserve Bank of India for the issue.

8. Mode of issue and Discount Rate

The commercial paper shall be in the form of usance promissory note negotiable by endorsement and delivery as per the Form specified in Schedule I hereto and be issued at such discount to face value as may be determined by the Satellite Dealer issuing the commercial paper.

9. Issue Expenses

A Satellite Dealer issuing commercial paper shall bear the expenses of the issue including dealer's fee, rating agency fee, etc.

10. Investors in Commercial Paper and Endorsement

(a) Commercial paper may be issued to any person including individuals, banks, companies and other corporate bodies registered or incorporated in India and unincorporated bodies:

Provided that no commercial paper shall be issued to a non-resident Indian (NRI) except on non-repatriation basis and except subject to the condition that it shall not be transferable.

(b) The conditions regarding non-repatriability and non-endorsability shall be indicated on the commercial paper issued to NRI.

Explanation

The expression "Non-Resident Indian" shall have the same meaning assigned to it in the notification No. FERA. 85/89-RB dated October, 9, 1989, issued by the Reserve Bank of India under Section 9 of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973.

11. Procedure for Issue of Commercial Paper

(a) Every Satellite Dealer proposing to issue commercial paper shall submit a proposal to the Reserve Bank of India giving details in the Form annexed hereto as Schedule II, as modified from time to time by the Reserve Bank of India.

(b) On receipt of the proposal referred to in sub-paragraph (a) for issue of commercial paper, Reserve Bank of India, on being satisfied that the eligibility criteria and the terms and conditions stipulated herein for issue of commercial paper are complied with, shall fix the amount to be raised through commercial paper by a Satellite Dealer, and shall communicate it to the Satellite Dealer.

(c) Every Satellite Dealer shall thereafter make arrangements for privately placing the issue and ensure that the proposed issue of commercial paper is complete within a period of two weeks from the date of receipt of communication from the Reserve Bank.

(d) The initial investor in commercial paper shall pay the discounted value of the commercial paper by means of a crossed account payee cheque to the account of the issuing Satellite Dealer.

(e) Every Satellite Dealer issuing commercial paper shall advise the Reserve Bank of India (Industrial and Export Credit Department,

Central Office, Mumbai) the amount of commercial paper actually issued, within three days from the date of completion of issue.

12. Prohibition against underwriting or co-acceptance of issue of Commercial Paper

No Satellite Dealer shall have the issue of commercial paper under-written or co-accepted in any manner whatsoever.

13. Payment of Commercial Paper

On maturity of commercial paper, the holder of a commercial paper shall present the instrument for payment to the issuing Satellite Dealer.

14. Additional Documentation

Every Satellite Dealer issuing commercial paper shall execute such additional documents and take such precautions as may be required from time to time.

15. Nothing contained in the Non-Banking Financial Companies (Reserve Bank) Directions, 1998, and Non-Banking Companies (Acceptance of Deposits through Commercial Paper) Directions, 1989, shall apply to any Satellite Dealer in so far as it relates to acceptance of deposit by issue of commercial paper, in accordance with these Directions.

V. Subrahamanyam
Executive Director

SCHEDULE I

NEGOTIABLE COMMERCIAL PAPER

NAME OF THE ISSUING SATELLITE DEALER

Stamp Duty to be affixed in force in the State in which it is to be issued

SERIAL NO.

Issued at .... Date of Issue ....
(PLACE)

Date of Maturity................................without days of grace. (If such date happens to fall on a holiday, payment shall be made on the immediate preceding working day).

For value received ....
(NAME OF THE ISSUING SATELLITE DEALER)

hereby promises to pay..or order on
(NAME OF THE INVESTOR)

the maturity date as specified above the sum of Rs.....................................(in words) upon presentation and surrender of this Commercial Paper at..
(NAME OF THE ISSUING AND PAYING AGENT)

FOR and on behalf of

....
(NAME OF THE ISSUING SATELLITE DEALER)

AUTHORISED SIGNATORY AUTHORISED SIGNATORY

ALL ENDORSEMENTS UPON THIS COMMERCIAL PAPER MUST BE CLEAR AND DISTINCT.

EACH ENDORSEMENT SHOULD BE WRITTEN WITHIN THE SPACE ALLOTTED.

1. Pay to .... or Order the amount
(NAME OF TRANSFEREE)

within named
For and on behalf of..
(NAME OF THE TRANSFEROR)

....

2. ,,
3. ,,
4. ,,
5. ,,
6. ,,
7. ,,
8. ,,

SCHEDULE II

CONFIDENTIAL

Proforma of proposal to be submitted by the issuing Satellite Dealer for issue of commercial paper

To
The Chief General Manager
Reserve Bank of India,
Industrial and Export Credit Department
Central Office
MUMBAI-400001

Dear Sir,

Commercial Paper—Programme of Issue

In terms of the Directions issued by the Reserve Bank of India, vide Notification No. IECD /08-15-01/97-98 dated , as amended from time to time, we propose to issue commercial paper as per details furnished hereunder :

(1) Name of the issuer :
(2) Registered Office and Address :
(3) Business Activity :
(4) (a) Amount of commercial paper proposed to be issued (Face value) :
(b) Tenor (Period of issue) :
(5) Rating obtained from the credit rating agency approved by the Reserve Bank of India (A copy of the rating certificate should be enclosed)

For and on behalf of
(Name of Issuing Satellite Dealer)
Authorised Signatory

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 29th June, 1998

No. N-15/13/4/1/98-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st July, 1998 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Himachal Pradesh Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1977 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Himachal Pradesh namely:—

"The areas falling within the Revenue Village Kheri, Had Bast No. 137, Tehsil-Nahan, District Simour."

HARCHARAN LAL
Jt. Director (P&D)

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

(CENTRAL OFFICE)

New Delhi-110066, the 2nd July, 1998

No. C.P.F.C. 1(4)WB(1627)/98/1329—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely :—

S. No.	Code No.	Name & Address of the establishment	Date of Coverage
1	2	3	4
1.	WB/CA/33310	M/s. Space Tek Electronics (P) Ltd., P-5, C. I. T., Road, SCH-LV, 4th Floor, Calcutta-700014.	1-12-1995

1	2	3	4
2.	WB/CA/33454	M/s. Pontiac Leasing Ltd., 211 & 212, "Lords", 7/1, Lord Sinha Road,- Calcutta-700071.	1-3-1996
3.	WB/CA/33494	M/s. Shalimar Hatcheries (P) Ltd., 17 B & C, "Everest" 46/C. Chowringhee Road, Calcutta-700071.	1-6-1996
4.	WB/CA/33496	M/s. Sumit Sarees Pvt. Ltd., 113, Park Street, Poddar Point, Calcutta-700016.	1-8-1996
5.	WB/CA/33344	M/s. Allen's India Ltd., Arnika Plus Apartment, Sealdah 35, A. P. C. Road, Calcutta-700009.	1-4-1995
6.	WB/HLO/36036	M/s. The Buxarah Cooperative Credit Soceity Ltd., Buxarah Feeder Road, Howrah-711306, West Bengal.	1-3-1996
7.	WB/CA/33311	M/s. Anita Engineers (P) Ltd., 55, Biplabi Rash Behari Basu Road, "B" Block, 2nd Floor, Calcutta-700001.	1-1-1996
8.	WB/CA/33157	M/s. VIEN, 34 B, Shakespeare Sarani, Calcutta-17.	1-8-1995
9.	WB/CA/33388	M/s. Travel & Cargo Service (World) Pvt. Ltd., 23, Shakespeare Sarani, Calcutta-700017.	1-1-996
10.	WB/CA/33472	M/s. Jalan Carbons & Chemicals Ltd., 4, Circus Avenue, "Circus Plaza" Flat No. 2D, Calcutta-700017.	1-4-1996
11.	WB/33499	M/s. Gladstone Engineering Industries Ltd., 41, Sarat Bose Road, Calcutta-700020.	1-7-1995
12.	WB/CA/33406	M/s. Mohta Electro Systems Private Limited, "Swaika Centre', 4A, Pollock Street, Calcutta-700001.	1-4-1996
13.	WB/CA/33266	M/s. Rapid Forms (P) Ltd., 1, New Taratolla Road, Calcutta-700088.	1-5-1995
14.	WB/CA/33353	M/s. South Calcutta Diesels, 225-D, Acharya Jagadish Ch. Bose Road, Calcutta-700020.	1-7-1995
15.	WB/CA/29715	M/s. Gorkha Security and Investigations 'Satyam' 46D, Rafi Ahmed Kidwai Road, (Gr. Floor,), Calcutta-700016.	1-10-1994
16.	WB/HLO/36054	M/s. Uma Engineering Enterprise, 10/8, Sita Nath Bose Lane, Salkia, Howrah-711106.	1-6-1996
17	WB/CA/33165	M/s. Devine Medical Stores, 11A, Abinash Chandra Banerjee Lane, Beliaghata, Calcutta-700010.	1-1-1995

1	2	3	4
18.	WB/HLO/36020	M/s. M. C. Tubes (Pvt.) Ltd., 7 & 9, Mali Panchghara Lane, Lilluah, Howrah.	1-2-1995
19.	WB/CA/33095	M/s. Esskay Telecom Ltd., 49, Ganesh Chandra Avenue, 2nd Floor, Calcutta-700013.	1-4-1995
20.	WB/CA/33403	M/s. Temcon Instruments Private Limited, 198 A, Block 'J', New Alipore, Calcutta-700053.	28-2-1995
21.	WB/CA/29800	M/s. Capital Limited, 19, R. N. Mukherjee Road, Calcutta-700001.	1-3-1995
22.	WB/CA/33351	M/s. Saffron Agencies Limited 2, Waterloo Street, Calcutta-700069.	1-9-1995

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

R. C. Pandey,
Regional Provident Fund Commissioner

No. CPFC. I (4)/HR(1634)/98/133)—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely :—

S. No.	Code No.	Name & Address of the Establishments	Date of Coverage
1.	HR/6573	M/s. Metro Polymer Industries, 0—25, Old Industrial Area, Bahadurgarh.	01-04-1992
2.	HR/7565	M/s. Diamond Commercial Services (Regd.) Chand Place Mahavir Chowk, Near Bus Stand, Gurgaon-122001.	02-05-1994
3.	HR/10816	M/s Chaudhary Weld Arc Industries (P) Ltd., Delhi Road, Hissar.	01-09-1988
4.	HR/11695	M/s. Taj Services Limited, Vill. Mandarka P. O. Tauru, District Gurgaon (Haryana).	01-07-1987
5.	HR/12692	M/s. Madan Traders, House No. 198, Ram Sawarup Colony, Majesar, P. O. Sector 22, Faridabad.	01-06-1991

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

K.C. PANDEY
Regional Provident Fund Commissioner

No. C.P.F.C. 1(4)/R.J./(1636)/98/1331—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments, namely :—

S. No.	Code No.	Name & Address of the Establishments	Date of Coverage
1.	RJ/4332	M/s. Uni Patch Rubber Ltd., E-89, 90-A, Bhiwadi Industrial Area, Bhiwadi, Alwar-301019 (Rajasthan).	01-10-1986
2.	RJ/4564	M/s. Hi-Tech Gears Ltd., A-589, Industral Area, Bhiwadi, Alwar.	01-11-1987
3.	RJ/6192	M/s. Carewell Distributors Pvt. Ltd., 7 Km. S. Dewan Singh Commercial Complex, Kho-Nagoria, Goner Road, Jaipur.	01-07-1992
4.	RJ/6515	M/s. Climate Control India Ltd., SP-812-A, Industrial Area, Phase-II, Bhiwadi-301019 (Rajasthan).	01-04-1992
5.	RJ/8103	M/s. Jeewan Bima Nigam Karamchari Sakh Avam Bachat Sahakari Samiti, Jeevan Prakash LIC of India, Bhawani Singh Marg, Jaipur.	01-04-1996

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

K. C. PANDEY
Regional Provident Fund Commissioner

No. C.P.F.C. 1(4)/B R(1637)/98/1332—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely:—

S. No.	Code No.	Name & Address of the Establishments	Date of Coverage
1	2	3	4
1.	BR/3721	M/s. Sandhu Roadways, New Kalimati Road Sakchi, Jamshedpur.	01-10-1980
2.	BR/3722	M/s. Apex Enterprises, 14 Tata Nagar, Faundary Buramines, P. O. Jamshedpur.	01-10-1980

1	2	3	4
3.	BR/3754	M/s. Prem Electricals, Rasbehari Path, Uliyan Kadma, Jamshedpur-5.	01-11-1980
4.	BR/3757	M/s. Tee Dee Enterprises, 52, Adjai Road, Buramamines, Jamshedpur-531007	01-02-1981

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

K . C. PANDEY
Regional Provident Fund Commissioner

The 3rd July 1998

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt.I/1637.—WHEREAS the employer of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

AND WHEREAS, The Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Sub-Section 2 (A) of the Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishments in Schedule-I from the date mentioned against each from which date relaxation order under Para 28 (7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh from the operation of the said Scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE—I

Sl. No.	Name & Address of the Establishment	Code No.	Effective Date of Exemption	C. P. F. C's File No.
1.	M/s. Padmashree Hospital & Research Centre Pvt. Ltd., Kadri Hills, Post Kulashekar, Mangalore-575005.	KN/MN 12742	01-03-1994 to 28-02-1997	6/40/DLI/KN/97
2.	M/s. Jayalaxmi Cashew Industries, P. O. Kallbettu-574273, Karkala Taluk.	KN 20040	01-02-1997 to 31-01-2000	6/25/DLI/KN/97
3.	M/s. Flexon Suspension Products Pvt. Ltd., 122, Industrial Area, New Mangalore-575011.	KN 12355	01-10-1993 to 30-09-1996	6/26/DLI/KN/97
4.	M/s. ACE Foods Pvt. Ltd., C-30, Industrial Estate, Yeddadi, Mangalore-575008.	KN/MNG 12533	01-02-1997 to 31-01-2000	6/37/DLI/KN/97

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) sub-section 2(A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer accounts payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefit available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/Legal heir(s) of the Employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employee. The Regional Provident Fund Commissioner shall before given his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, of the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee (s)/Legal heir (s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

S. BHATTACHARJEE
Regional Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt.I/1347.—WHEREAS The employer of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS, The Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2B) of the Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt the above said establishments mentioned in Schedule I with retrospective effect from which date relaxation order under para (28)73 of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner Karnataka from the operation of the said Scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE—I

Sl. No.	Name & Address of the Establishments	Code No.	Effective Date Exemption	R. P. F. C's. File No.
1	2	3	4	5
01.	M/s. Microfinish Pumps Pvt. Ltd., Spl. Plot Industrial Estate, Gokul Road, Hubli-580030.	KN/ 14729	01-07-1993 to 30-06-1996	6/24/DLI/96

1	2	3	4	5
02.	M/s. New Mangalore Port Ship Watchmens Association, Post, Panambur, Mangalore-575010.	KN/MNG/ 12818	01-11-1993 to 31-10-1996	6/16/DLI/97
03.	M/s. Tulunadu Finance & Developments Ltd., Sri Vidyarathna Building, P. B. No. 68, Udupi-576101. (alongwith its branches)	KN/MNG/ 12330	01-12-1993 to 30-11-1996	6/17/DLI/97
04.	M/s. Kumar Enterprises Machattu, P. O. Amasebail-576227, Kundapura, D. K.	KN/MNG 12900	01-12-1996 to 30-11-99	6/18/DLI/97
05.	M/s. Dakshina Kannada Sahakari Sakkare Karkhane Ltd., P. O. Brahmavara-576213, Udupi Taluk, D. K. District.	KN/MNG 12183	01-05-1996 to 30-04-1999	6/19/DLI/97
06.	M/s. T. A. Pai Management Institute, P. O. Manipal, Udupi, Taluk-576119.	KN/MNG 12332	01-01-1997 to 31-12-1999	6/20/DLI/97
07.	M/s. J. M. J. Diagnova Research Centre & Super Speciality Hospital Church Road, Udupi-576101.	KN/MNG 12979	01-03-1996 to 28-02-1999	6/21/DLI/97
08.	M/s. Bola Raghavendra Kamath & Sons, P. O. Kukkundur, Karkala, Karnataka-576117.	KN/MNG 2055	01-03-1994 to 28-02-1997	6/22/DLI/97
09.	M/s. South Kanara Agricultural Development Co-op. Society Ltd., S. C. D. C. C. Bank Building, Mangalore-576003. (alongwith its branches).	KN/ 4624	01-03-1994 to 28-02-1997	6/24/DLI/97
10.	M/s. Hindustan Lever Ltd., Sultan Battery Road, Boloor, Mangalore-575003.	KN/ 12195	01-08-1993 to 31-07-1996	6/25/DLI/97
11.	M/s. Sri Ramakrishna High School, S. R. S. Home,, Mangalore-575003.	KN/ 12711	01-08-1993 to 31-07-1996	6/26/DLI/97
12.	M/s. Mataplast Engg. Works, Plot No. 152/B, Indutsrial Area, Baikampady, Mangalore-575011.	KN/ 20004	01-11-1996 to 31-10-1999	6/27/DLI/97

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of Accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary Premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employee. The Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of defaults, if any, made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of *claims complete in all respects.*

S. BHATTACHARJEE
Regional Provident Fund Commissioner

THE BAR COUNCIL OF INDIA

The Bar Council of India at its meeting held on 21st and 22nd March, 1998 amended Rule 18(i) in Section-A and 13(i) in Section-B (identical rule) relating to 5 year and 3 year law course vide Resolution No. 12/1998. The existing rule is given below:—

"If the Council is of the opinion that affiliation of a college be disapproved, it shall give notice of the proposed action to the Principal of the college and Registrar of the University to show cause within 30 days of the receipt of the notice and the Council shall take into consideration the reply received before making final orders."

The amended Rule will send as follows: -

"If the Council is of the opinion that affiliation of a college whose affiliation has already been approved be disapproved, the Council shall give notice of the proposed action to the Principal or the college and Registrar of the University to show cause within 30 days of the receipt of the notice and the Council shall take into consideration the reply received before making final orders."

The above amendment has come into effect from 22-3-1998.

C. M. Balaraman
Secretary.

Dated: 23-5-1998.

PUNJAB WAKF BOARD, AMBALA CANTT.
Corrigendum

No. Wakf/45/Gen/Pb/Corrigendum/504/97 :—The following corrigendum is to be published in respect of Wakf property. Which had been published in respect of wakf property. Which had been published in the Govt. of India Gazette Part-II, Section IV, dated 7-8-1971 in respect of old Distt.. Bhatinda, Tehsil Faridkot, Village Jeen Wala now the Village Jeenwala, Tehsil and Distt. Faridkot due to printing mistake.

S. No.	Sr.No. of Gazette	Page No. of Gazette	Sr. No. of the Gazette with date.	Distt./Tehsil	Village	Amendment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	354	1955	32/7-8-1971	Old Distt. Bhatinda Teh. Faridkot now Teh. & Distt. Faridkot,	Jeenwala	In column No. 5 may be read as 1341 2/3 sq. yds. instead of 13600 Sqy. ft. of Plot No. 89

Acting Secretary,
Punjab Wakf Board,
Ambala Cantt.

UNIT TRUST OF INDIA
The 29th June 1998

UT/DBDM/R-119/SPD-71U/97-98 :—The Offer Document of the Monthly Income Plan 1998 (II) formulated under Section 19 (1) (8) (c) of the Unit Trust of India Act, 1963, (52 of 1963) in relation to the unit scheme, the Monthly Income Scheme 1998 (II) made under section 21 of the said Act, approved in the Executive Committee Meeting held on 24-2-1998 is published herebelow.

A G JOSHI
Chief General Manager,
Bussiness Development and Marketing

UNIT TRUST OF INDIA

MONTHLY INCOME PLAN 1998(II)

Offer document

OFFER OPEN FROM MAY 12, 1998 TO JUNE 25, 1998

The Monthly Income Plan 1998 (II) has been formulated under section 19 (1) (8) (c) of the Unit Trust of India Act 1963 (52 of 1963), in relation to the unit scheme, the Monthly Income Scheme 1998 (II) made under section 21 of the said Act by the Board of Trustees of UTI. This offer document sets forth concisely the information about the scheme that a prospective investor ought to know before investing. The offer document should be retained for future reference.

The scheme particulars have been prepared in accordance with Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996, as amended till date, and filed with SEBI, and the units offered for public subscription have not been approved or disapproved by the SEBI, nor has the SEBI certified on the accuracy or adequacy of the Offer Document.

Objective of the scheme

This is an income oriented Plan. The Plan aims at meeting the needs of investors by providing regular income on a monthly/annual basis or cumulation of income over a period of 5 years.

Highlights

- A five year close ended income plan.
- The plan offers three options: 1) Monthly Income Option 2) Annual Income Option & 3) Cumulative Option.
- The face value of a unit is Rs.10/- and units will be sold at par.
- The Trust shall pay an assured income @ 12.5% p.a. payable monthly under monthly income option and @ 13.25% p.a. payable annually under annual income option, for all the five years of the plan.
- Under the Monthly Income Option, income distribution warrants for the period upto March 1999 will be sent alongwith the membership advice/unit certificate. Thereafter income warrants payable monthly will be sent in advance for every April-March period.
- Under the Annual Income Option, the first income distribution warrant for the period July, 1998 to June, 1999 (dated 1st July 1999) will be sent in the month of June 1999. Thereafter income distribution warrants for every July-June period will be sent in June. However, depending upon the date of investment, the investor will be compensated @ 12.5% p.a. upto 30th June 98 to the extent applicable to members under the monthly income option, by means of cheque which will be sent alongwith the membership advice/unit certificate.
- Under the Cumulative Option Rs.5,000/- will atleast become Rs. 9314/- on maturity (yield 13.25%). However, for income above Rs.10,000/- in a year, tax is deductible at source as per Income Tax Act, 1961.
- Repurchase allowed from 1st July 2001 at NAV based repurchase price under all the three options.
- Scheme shall be listed on the whole sale debt segment of the NSE within six months from the closure of subscription.
- **It is guaranteed that the capital invested in the scheme will be protected on maturity i.e. units will not be redeemed below par. The Development Reserve Fund (DRF) of the Trust will guarantee this capital protection. There is no such guarantee for premature repurchases and the repurchase price in such cases will be as per prevailing NAV. There is scope for capital appreciation as a part of investment will be in equities.**
- Income and Repurchase/Redemption proceeds for NRIs and OCBs are fully repatriable, where the investment is made by remittances from abroad or by debit to the NRE account or by cheque/draft issued from proceeds of FCNR deposits.
- Tax benefits under section 80L and sections 48 & 112 of Income Tax Act, 1961 on income distributed and capital gains from capital appreciation. Capital gains tax exemption under section 54EA of the Income Tax Act, 1961 subject to lock-in for three years from the date of acceptance.

CONTENTS

ItemNo.	Contents	Page No.
I.	Cover Page	1
II.	Definitions	3
III.	Risk factors	3
IV.	Units and Offer	4-6
V.	Expenses	6-8
VI.	Sale of units	8-10
VII.	Repurchase of units	10-11
VIII.	Income and distribution	11-14
IX.	Investment Objectives, Policies & Stock lending	14-15
X.	Interscheme Transfers	15
XI.	Associate transactions & borrowings	15
XII.	NAV Determination and valuation of assets	16
XIII.	Accounting Policies	16-18
XIV.	Tax treatment of investments	18-19
XV.	Investors' rights & services	19
XVI.	Constitution and Management of UTI	19-21
XVII.	Other service providers for the scheme	21-22
XVIII.	Investors' grievance redressal	22-23
XIX.	Penalties, pending litigations, material findings of inspections/investigations	23
XX.	Condensed financial information	24-25
XXI.	Due diligence	26
XXII.	Details regarding schemes wherein returns are guaranteed by DRF	27

II. DEFINITIONS

In this scheme and plan made thereunder unless the context otherwise requires:

(a) "Acceptance date" with reference to an application made by an applicant to the Trust for sale or repurchase of units by the Trust means the day on which the Trust, after being satisfied that such application is in order, accepts the same;

(b) The "Act" means the Unit Trust of India Act, 1963;(52 of 1963).

(c) "Alternate applicant" in case of minor means the parent other than the parent who has made the application on behalf of minor.

(d) "Applicant" means a person who is eligible to participate in the scheme and plan made thereunder who is not a minor and shall include the alternate applicant mentioned in the application form when units are sold for the benefit of a mentally handicapped person and makes an application under Clause IV of the Plan.

(e) "Eligible institution" means an eligible trust as defined in the Unit Trust of India General Regulations 1964.

(f) "firm", "partner" and "partnership" have the meanings assigned to them in the Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932), but the expression partner shall also include any person who being a minor is admitted to the benefits of the partnership.

(g) "Listed" means the listing of units for the purpose of trading on the wholesale debt segment of the National Stock Exchange.

(h) "Member" used as an expression under the Scheme and Plan made thereunder shall mean and include the applicant who has been allotted units under the Scheme.

(i) "Mentally handicapped person" means any individual who suffers from mental disability of such a nature which prevents him from carrying out normal activities of life.

(j) "Non Resident Indian (NRI) ", means Non Residents of Indian nationality/origin. A person shall be deemed to be "person of Indian origin" if he/she or either of his parents or any of the grandparents, howsoever high in degree or ascent, whether of paternal side or maternal side, was born in India, as defined in the Government of India Act, 1935, as originally enacted.

(k) "Number of units deemed to be in issue" means the aggregate of the number of units sold and remaining outstanding.

(l) "Overseas Corporate Bodies" (OCBs), include overseas companies, partnership firms, societies and other corporate bodies which are owned, directly or indirectly, to the extent of atleast 60% by individuals of Indian nationality or origin resident outside India as also overseas trust in which atleast 60% of the beneficial interest is irrevocably held by such persons.

(m) "Person" shall include an eligible institution as defined above.

(n) "Registrars" means a person whose services may be retained by the Trust to act as the Registrars under the Scheme from time to time.

(o) "Regulations" means Unit Trust of India General Regulations, 1964 made under Section 43 (1) of the Act.

(p) "SEBI" means the Securities and Exchange Board of India set up under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992)

(q) "Society" means a society established under the Societies Registration Act of 1860 or any other society established under any State or Central law for the time being in force.

(r) "Trading" means the dealing in by buying or selling units through the stock exchange after the first allotment of units.

(s) "Unit" means one undivided share of the face value of Rupees ten in the unit capital.

(t) "Unit Capital" means the aggregate of the face value of units sold under the scheme and outstanding for the time being.

(u) "Unit Trust" or "Trust" means the Unit Trust of India established under Section 3 of the Act.

(v) All other expressions not defined herein but defined in the Act/ Regulations shall have the respective meanings assigned to them by the Act/ Regulations

(w) Words importing singular shall include the plural and all reference to masculine gender shall include the feminine and vice versa.

III. RISK FACTORS

- Mutual Funds and securities investments are subject to market risks. The guarantee of capital protection I [illegible] to repurchase prematurely before the maturity of the scheme and repurchase price in such cases will depend on the NAV.
- As with any investment in securities, the NAV of the units issued under the scheme can go up or down depending on the factors and forces affecting the capital markets.
- Performance of previous schemes is not necessarily an indication of future results.
- Monthly Income Plan 1998 (II) is only the name of the Plan and does not in any manner indicate the quality of the Plan.
- Like in all close ended schemes there is a risk of infrequent trading and possibility of market price of units being at a discount to NAV.
- The assurance of returns under this scheme is given on the basis of the guarantee provided by the Development Reserve Fund (DRF) of the Trust. The size of the DRF as on 31-12-97 was Rs 574.41 crores as against investible funds of Rs.5378.69 crores under 8 schemes that have assured returns with the guarantee of DRF. About 62% of the assets of DRF are in equities while 26% of the assets are in Money Market instruments and the balance is in debt instruments.

IV. UNITS & OFFER

1. This Scheme shall be called the Monthly Income Scheme 1998 (II) [MIS'98 (II)] and the plan formulated under this scheme shall be called Monthly Income Plan 1998 (II).

2. The Scheme shall be for a period of five years i.e. from 1st July 1998 to 30th June 2003.

3. Units will be on sale from 12th May 1998 to 25th June, 1998 for 45 days. Provided, however the Executive Committee of the Board of Trustees of the Unit Trust / Chairman may suspend the sale of units under the Scheme at any time in circumstances like war, disruption of trading in Stock Exchanges and other socio-economic factors after giving 7 days notice in newspapers or in such other manner as may be decided by the Unit Trust.

4. The face value of each unit issued under the scheme shall be ten rupees.

5. **Application for units :**

Application for units may be made by residents and also non residents.

Residents

(i) Individuals either singly or jointly with another or upto two other individuals.

(ii) a parent, step-parent or other lawful guardian on behalf of a resident minor. An application cannot be made by an adult and minor jointly.

(iii) an eligible institution as defined under the scheme including Private Trust being irrevocable trust and created by an instrument in writing.

(iv) an individual for the benefit of another individual who is a mentally handicapped person.

(v) Society as defined under the scheme.

(vi) Registered co-operative society.

(vii) Other bodies corporate including companies formed under the Companies Act, 1956 and Banks.

(viii) Hindu Undivided Family.

(ix) Army/Navy/Air Force/Paramilitary Funds.

(x) Partnership firm*.

***Non-Residents** on fully repatriable basis by*

(i) Non resident adult individuals either singly or jointly with another or upto two other individuals.

(ii) Father/Mother/Step-parent/Lawful Guardian on behalf of Non-resident minor.

(iii) Non-Resident HUF

(iv) Non-resident Company/ Overseas Corporate Bodies owned by NRIs to the extent of atleast 60%.

* An application by a partnership firm shall be made by not more than three members of the firm and the first named person shall be recognised by the Trust for all practical purposes as the member.

6. **Minimum amount of investment**

Application shall be made for a minimum of Rs.10,000/- under the monthly and annual income options and for a minimum of Rs.5000/- under the cumulative option. There will be no maximum limit. For investments not in multiple of Rs.10/-, units will be allotted in fractions upto three places after the decimal. In case of investment of Rs.50,000/- and above, the investor is advised to furnish Income Tax P.A.N./ G.I.R. number and I T Circle address if he/ she is having so.

7. **Minimum target amount to be raised**

Amount of Rs.100 crores is targeted to be raised under the scheme. The maximum amount to be raised is Rs. 1000 crores. Oversubscription, above Rs.1000 crores will be refunded in terms of regulation 35 of SEBI (Mutual Funds) Regulation 1996.

The Trust shall by A/C payee cheque/refund order refund not later than six weeks from the date of closure of the sale of units under the scheme the entire amount collected under the scheme, if the said targeted amount of Rs.100 crores is not subscribed.

In the event of failure to refund the amounts within the period stipulated above, the Trust shall be liable to pay interest to the applicants @ 15% per annum on the expiry of six weeks from the date of closure of the sale of units.

8. **Listing**

The units issued under the scheme shall be listed on the whole-sale debt segment of the National Stock Exchange within six months from the date of closure of subscription. An application for listing shall be made to the stock exchange immediately on receipt of the approval of the scheme from SEBI as per Regulation 32 of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996.

9. Membership Advice/Unit Certificate

The Trust shall send the Membership Advice/Unit Certificate not later than 6 weeks from the date of closure of sale of units under the Plan. The Trust shall issue Membership Advice/Unit Certificate at the option of the member.

A unit certificate is transferable while a membership advice is not. Both are however equally valid evidence of admission of the investor into the plan. Investors may choose to receive either a membership advice or a unit certificate by ticking at the appropriate place in the application form. Generally investors who may wish to transact in the stock exchange on listing the scheme may opt for unit certificate. However, if no preference is indicated in the application form the investor will be sent a membership advice.

The non resident Indian may choose any one of the following modes of despatch of Membership Advice/Unit Certificate:

(i) At the applicant's Indian/Foreign address

OR

(ii) At the applicant's relative's address in India

10. Transfer/Pledge/Assignment of Units :

Units issued under the Scheme are Transferable/Pledgeable/Assignable subject to the following terms:

(i) The unit certificate (and not membership advice) issued in accordance with the provisions of the scheme is negotiable and can be transferred to the individuals, expressed and such other categories as are mentioned under item 5 of "Units and Offer".

(ii) Transfers may be effected only by and between transferors and transferees who are capable of holding units. The Trust shall not be bound to recognise any other transfer.

(iii) Transfer instruments with the relative unit certificate and unencashed warrants subsequent to and inclusive of the month of transfer (in case of monthly income option) and accompanied by such fee as may be prescribed from time to time by the Trust shall be lodged with any of the offices of the Registrars appointed for the purpose.

(iv) Any transfer deed lodged with or accepted by any of the offices of the Trust shall be forwarded to the nearest office of the Registrars.

(v) Every instrument of transfer shall be signed by the transferor and the transferee and the transferor shall be deemed to hold units until the name of the transferee is entered in the register of members by the Registrars.

(vi) The Registrars may require such evidence as they may consider necessary in support of the title of the transferor or his right to transfer units.

(vii) The Registrars may subject to compliance with such requirements as they deem necessary dispense with the production of the original unit certificate, should it be lost, stolen or destroyed.

(viii) Upon registration of a transfer of units all instruments of transfer and the unit certificate may be retained by the Registrars.

(ix) The Registrars recognising and registering a transfer may issue the original or fresh unit certificate and income distribution warrants, if any, (in case of monthly income option) to the transferee upon payment and realisation of such charges as are payable in connection with the transfer and issue a certificate and warrants.

(x) If a transferee becomes a holder of units in an official capacity, by operation of law or a scheduled bank upon enforcement of a pledge then the Registrars shall subject to the production of such evidence which in their opinion is sufficient, proceed to effect the transfer, if the intended transferee is otherwise eligible to hold units.

(xi) Subject to the provisions contained hereinabove the Trust shall register the transfer and return the Unit Certificate alongwith income warrants, if any, to the transferee within 30 days from the date of lodgement of Unit Certificate together with the relevant instrument of transfer.

11. Termination of the Scheme and Plan made thereunder

(i) The scheme shall stand finally terminated on 30.06.2003, the outstanding units of the members shall be repurchased and the members shall be paid the value of their units at the repurchase price fixed for the final repurchase during the above period. Besides receiving the repurchase price determined, no further benefit of any kind either by way of increase in the repurchase value or by way of income for any subsequent period shall accrue. However, the Trust reserves with the prior approval of SEBI the right to extend the scheme beyond 5 years. In such an event the member shall be given an option to either sell back the units to the Trust or to continue in the scheme. The Trust could also give the investor the option to convert the repurchase proceeds into any other scheme launched or in operation at that time.

The extension of the period of the scheme beyond 5 years shall be in conformity with sub regulation 4 of regulation 33. The provisions of the sub regulation are.

A closed ended scheme shall be fully redeemed at the end of the maturity period.

Provided that a close ended scheme may be allowed to be rolled over if the purpose, period and other terms of the roll over and other material details of the scheme including the likely composition of assets immediately before the roll over, the net assets and net asset value of the scheme, are disclosed to the unitholders and a copy of the same has been filed with SEBI.

Provided further, that such roll over will be permitted only in case of those unitholders who express their consent in writing and the unitholders who do not opt for the roll over or have not given written consent shall be allowed to redeem their holdings in full at net asset value based price.

(ii) The Trust may wind up the Scheme and the Plan made thereunder under the following circumstances:

(a) on the expiry of five years of the scheme i.e. on 30th June, 2003 or on the expiry of such date beyond five years as may be decided by the Trust.

(b) on the happening of any event which in the opinion of the Trust requires the Scheme and the Plan made thereunder to be wound up, or

(c) if 75% of the Members pass a resolution that the scheme be wound up; or

(d) if the SEBI so directs in the interest of the Members.

(iii) Where the scheme is wound up in pursuance of sub clause (ii) above, the Trust shall give notice of the circumstances leading to the winding up of the Scheme to SEBI and in two daily newspapers having circulation all over India and also in a vernacular newspaper circulating in Mumbai at least before a week the termination is effected.

(iv) On and from the date of advertisement of the termination, the Trust shall -

(a) cease to carry on any business activities in respect of the scheme.

(b) cease to create and cancel units in the scheme.

(c) cease to issue and redeem units in the scheme.

(v) The Board of Trustees shall call a meeting of the members to consider and pass necessary resolution by simple majority of the members present and voting at the meeting for authorising the Trustees or any other person to take steps for winding up of the scheme.

Provided that a meeting shall not be necessary if the scheme is wound up at the end of the maturity period of the scheme.

(vi) (a) The Board of Trustees or the person authorised under sub clause (v) shall dispose of the assets of the scheme in the best interest of the members of the scheme.

(b) The proceeds of sale made in pursuance of sub clause (vi) (a) above, shall, in the first instance be utilised towards discharge of such liabilities as are properly due under the scheme and after making appropriate provision for meeting the expenses connected with such winding up, the balance shall be paid to the members in proportion to their respective interest in the assets of the scheme as on the date when the decision for winding up was taken.

(vii) On completion of the winding up, the Trust shall forward to the SEBI and the members a report on the winding-up containing particulars such as circumstances leading to the winding up, the steps taken for disposal of assets of the scheme before winding up, expenses of the scheme for winding up, net assets available for distribution to the members and a certificate from the auditors of the scheme.

(viii) Notwithstanding anything contained hereinabove, the application of the provisions of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 in respect of disclosures of half yearly reports and annual report shall continue until winding up is completed or the scheme ceases to exist.

(ix) After the receipt of the report referred to in item (vii) above, if the SEBI is satisfied that all measures for winding up of the scheme have been completed, the scheme shall cease to exist

(x) The Trust shall pay the repurchase value as early as possible after the Membership Advice along with the request letter for repurchase/ Unit Certificate duly discharged has been received by it and other procedural and operational formalities are complied with. The Membership Advice/Unit Certificate, the request letter for repurchase and other forms, if any, shall be retained by the Trust for cancellation.

(xi) **In case of non-resident investors, repurchase/ maturity proceeds will be remitted depending upon the source of investment as given below:**

a. When units have been purchased from remittance in foreign exchange from abroad or from the proceeds of the member's FCNR deposits or from funds held in member's Non-Resident (External) Account kept in India, the proceeds can be remitted to the member in foreign currency.

b When units have been purchased from funds held in member's Non-Resident (Ordinary) Account, the maturity cheque will be despatched to the relative of the investor in India to be credited to the member's NRO account.

V. EXPENSES

a) Units will be sold at par during the period of offer.

For repurchases there will be a load not exceeding 5% of the NAV

b) (i) Initial issue expenses shall not exceed 6% of the funds raised under the scheme. Initial issue expenses of the Scheme is estimated to be as under:

Expenses	%
Printing & Postage	1.50
Publicity & Marketing	1.75
Commission to agents	1.50
Registrars Charges	0.50
Bank Charges	0.25
Stamp fees	0.50
Total	**6.00**

Thus for every Rupee invested by an investor not less than 94 paise will be invested in the Scheme.

(ii) Initial issue expenses for the schemes launched during the last fiscal year are as follows:

Scheme	Expenses (% of funds collected)
MMMF	
MIP-96 (II)	2.51
MIP-96 (III)	2.93
MIP-96 (IV)	2.61
MIP-97	2.57
DIP-91	3 00
EOF	3.76
MEP-97	5.56
IISFUS-96	0.31

The expenses borne by the Trust (by charge to DRF) in respect of schemes launched during the last fiscal year are:

Scheme	Expenses (% of funds collected)
MMMF	0.002
EOF	6.33
MEP-97	3.13

c) In addition to the initial issue expenses, the following expenses will be charged to the scheme on a recurring basis. Estimated recurring expenses are as under:

Expenses	%
Administrative Expenses	0.90
Custodial Fees	0 50
Development Reserve Fund	0.25
Staff Welfare Trust	0.10
Registrars Fees	0.50
Total	**2.25**

The above expenses are estimates and are subject to change inter se as per actual expenses incurred. However the total expenses would be within the limit of 6% of the funds collected for initial issue expenses, in accordance with SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996.

The total annual recurring expenses of the scheme excluding initial issue expenses and redemption expenses but including administrative expenses, contribution to Development Reserve Fund and Staff Welfare Trust shall be subject to the following limits :

(i) On the first Rs.100 crores of the average monthly net assets - 2.25%

(ii) On the next Rs.300 crores of the average monthly net assets - 2.00%

(iii) On the next Rs 300 crores of the average monthly net assets - 1.75%

(iv) On the balance of the assets - 1.50%

Administrative expenses, contribution to Development Reserve Fund and contribution to Staff Welfare Trust will not exceed the limits specified under clause 2 of regulation 52 of SEBI (MFs) Regulations, 1996, namely:

(i) One and quarter of one percent of the monthly average net assets outstanding in each accounting year for the scheme as long as the net assets do not exceed Rs.100 crores, and

(ii) One percent of the excess amount over Rs.100 crores, where net assets so calculated exceed Rs. 100 crores.

UTI does not charge any investment management and advisory fees as provided in the SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996. However, UTI will ensure that the initial issue expenses and the annual recurring expenses shall remain within the limits specified under regulation 52 of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996.

d) **Development Reserve Fund (DRF) contribution**

0.25% of the monthly average Net Asset Value shall be set aside as contribution towards the DRF of the Trust every year. DRF contribution will be part of recurring expenses.

The quantum of Development Reserve Fund as on 31st December 1997 is Rs.574.41 crores as against the investible funds of Rs.5378.69 crores under 8 schemes launched with the assured returns with the guarantee of DRF. The performance of these schemes are satisfactory. The size of DRF is considered adequate to meet shortfall of MIP-98(II) and other such assured return schemes. The number and corpus of other assured return schemes is given on page no. 27.

The Trust instituted this fund in the year 1983-84 as a common fund to enable the Trust to meet the expenditure in respect of research & developmental work in connection with the introduction of new Schemes, innovation of new systems and procedures at the conceptual stage and also various other productional & developmental work not related to or linked with any particular Scheme itself. Fund is also utilised for Economic and Capital Market Research, Management & Professional Training, Surveys and Market Research for the Trust, Marketing and Corporate image building efforts that are not connected to any specific Scheme, Human Resource Development efforts with long term effects and which may relate to the Trust's future activities and for meeting the shortfall, if any, in the assured rate of return of any of the schemes of the Trust as well as the issue expenses for no-load schemes.

e) **Staff Welfare Trust Contribution**

0.10% of monthly average Net Asset Value shall be set aside every year as contribution to the Staff Welfare Trust. The Trust has instituted the Staff Welfare Trust for the welfare of its employees which shall include relief in distress, medical relief, health relief or for similar other purposes.

VI. SALE OF UNITS

1. The sale price of units during the period of offer shall be at par. The contract for sale of units by the Trust shall be deemed to have been concluded on the acceptance date. On such conclusion of the contract for sale, the Trust shall as soon thereafter as possible, issue to the applicant Membership Advice/Unit Certificate at his option. A Membership Advice/Unit Certificate issued by the Trust to the eligible institution, firm or body corporate shall be made out in the name of the eligible institution/firm/body corporate. The Trust shall not incur any liability for loss, damage, misdelivery or non-delivery of the Membership Advice/Unit Certificate so sent.

   The Trust shall send the Membership Advice/Unit Certificate not later than 6 weeks from the date of closure of sale of units under the Plan.

2. **Mode of Payment**

   (i) The payment for units by an applicant shall be made by him alongwith the application in cash, cheque or draft. Where applications are submitted at UTI branch offices, cheques or drafts should be drawn on branches of banks within the city where the UTI branch office at which the application is tendered is situated.

   Provided, however, that the applicant who applies from a place other than where the Trust has its branch office/collection centre/franchise office may do so by sending the application to the branch office of the Trust along with the bank draft after deducting therefrom charges payable for bank draft as per guidelines of Indian Banks Association. The collection centres/franchise offices are authorised to accept applications alongwith cheque payable locally or demand draft payable at places upto which the scheme is decentralised in which case the applicant may deduct charges as per the guidelines of Indian Banks Association. e.g. if the application amount is Rs.10,000/- the bank draft charges for this amount is Rs.20/-. Thus the draft can be prepared for Rs.9,980/-(i.e. Rs.10,000 less Rs.20/-). The draft commission charges will form a part of the initial issue expenses of the Plan.

   However, in case of applications received along with local bank draft where the Trust has its branch office/collection centre/franchise office bank draft commission will have to be borne by the investor.

   (ii) If the payment is made by cheque, the acceptance date will, subject to such cheque being realised, be the date on which the application is received by the branch office of the Trust or authorised collection centre.

   If payment is made by draft, the acceptance date will, subject to such draft being realised, be the date of issue of such draft, provided, the application is received by the branch office of the Trust or authorised collection centre within 7 days from the date of issue of draft. If the application amount is less than the minimum investment under the plan, the entire amount shall be refunded to the applicant at his cost in such manner as the Trust may deem fit.

(iii) ***Mode of Investment with repatriation benefits***

The investments by NRIs/OCBs shall carry the right of repatriation of capital invested and income earned thereon and capital appreciation (if applicable), as long as the investor continues to be resident outside India. Investment in these cases can be made through one of the following modes:

(a) Draft in foreign currency

(b) Draft in rupees issued in favour of UTI by foreign banks/Exchange House drawn on their Indian correspondent banks.

(c) By cheque drawn on investor's NRE account maintained with a Bank in India.

(d) By cheque/draft issued from the proceeds of FCNR deposits.

Further, payment in Nepalese and Bhutanese currencies are not accepted. Investment in units is made in rupees, all foreign currency drafts are converted into Indian rupees at the rate of exchange ruling at the time of such conversion.

Shortfall, if any, will have to be remitted by NRI investors.

In view of the above it is advisable that NRI/OCB investors make payment by instruments mentioned at (b) & (c) above.

iv) ***Mode of Investment without repatriation benefits***

Where funds held in NRO accounts are utilised for purchase of units, the funds so invested and capital appreciation (if applicable), will not qualify for repatriation out of India.

However as per RBI circular A.D.(M.A.Series) No.18 dated August 19, 1994 the entire income earned thereon during the financial year 1996-97 and onwards will qualify for full repatriation.

While in such cases UTI will make payment in Rupees for credit to NRO A/C, investors are advised to contact their banks/ Tax consultants if they desire remittance of income on units.

3. **Application by and registration of eligible institutions, minors, an applicant for the benefit of a mentally handicapped person etc.:**

(i) Eligible institutions, body corporate, and societies (including co-operative societies) may be registered as members.

(ii) An adult, being a parent, step-parent or other lawful guardian of a minor may hold units and deal with them in accordance with and to the extent provided, in sub-section (2A) of Section 21 of the Act. Such adult if so required shall furnish to the Trust, in such manner as may be specified, proof of the age of the minor and the capacity to hold and deal with units on behalf of the minor. The Trust shall be entitled to act on the statements made by such adult in the application form without any further proof.

(iii) Where an application is made by an individual for the benefit of another individual who is a mentally handicapped person, the Trust shall act on the statements furnished and in doing so the Trust shall be deemed to be acting in good faith. The Trust shall be entitled to deal only with the applicant and in the event of his death, the alternate applicant for all practical purposes and any payment in respect of the units by the Trust to the said applicant or the alternate applicant shall be a good discharge to the Trust.

(iv) Eligible institutions, bodies corporate or societies shall whenever required submit to the Trust all the relevant documents showing the applicants' competence to invest in units, such as Memorandum and articles of association, Bye-laws etc. an authorised copy of the resolution by the managing body etc. authorising investment in units and a copy of the requisite Power of Attorney.

(v) A firm shall be registered as a member and the membership advice/unit certificate shall be made in the name of the firm.

4. **Right of the Trust to accept or reject application:**

The Trust shall have the right at its sole discretion to accept and/or reject application for issue of units under the Scheme and the Plan made thereunder. The Trust shall reject an application for issue of units in the following circumstances:

(i) the application is received with less than the minimum investment of Rs.10,000/- or Rs.5,000/- as the case may be.

(ii) the application has not been signed by the first applicant and

(iii) the applicant is not eligible to invest in the scheme. Any decision of the Trust about the eligibility or otherwise of a person to make an application under the Scheme and the Plan made thereunder shall be final.

In case the application is found to be incomplete, the same will be liable for rejection and refund of such application money will be made by the Trust as soon as possible without incurring any liability whatsoever for interest or other sum.

Refund will be made after compliance of requisite operational and procedural formalities.

5. **Applicant to comply with requirements under the Scheme before being issued units**

Persons applying for units under the scheme and plan made thereunder on behalf of a minor/mentally handicapped person shall satisfy the Trust about their eligibility to make an application and comply with all requirements of the Trust such as Birth Certificate in case of minor/Oculist or Psychiatrist Certificate in case of Mentally Handicapped.

Applications for units on behalf of bodies like Partnerships/Trusts/Co-operative Societies/Bodies Corporate/Companies shall be accompanied by certified copy of Partnership Deed of the Partnership/Trust Deed of the Trust/Bye-Law of the Society/Statute governing the Body Corporate/ Memorandum and Articles of Association of the Company together with Resolution of the governing Body authorising investment in the

scheme. At the time of repurchase of the units, resolution of the governing body authorising repurchase and authorisation of the concerned official(s) of the Body to comply with the formalities and collect the repurchase cheque will have to be submitted.

Person who holds units under a false declaration shall be liable to have the membership cancelled and the name deleted from the register of members.

The Trust shall have the right in such an event to repurchase the units at par after deduction of 25% as penalty or at such price as may be decided by the Trust, and recover the Income Distribution wrongly paid from out of the repurchase proceeds and return the balance.

The amount shall not carry any interest irrespective of the period it takes the Trust to effect the repurchase and to remit the repurchase proceeds to the applicant.

6. **Nomination by members**

(i) Nomination facility is available only for individuals applying on their own behalf i.e. singly or jointly upto two. Applicants can nominate one person. Minors and Non-Resident Indians can also be nominated. Non-Resident Indians can be nominated as per the guidelines issued by the RBI from time to time. Applicants can change the nomination at any time during the currency of the plan.

(ii) Members being either parent or lawful guardian on behalf of a minor and an eligible institution, societies, bodies corporate, HUF, partnership firms and an applicant who has applied for units for the benefit of a mentally handicapped person shall have no right to make any nomination.

Other provisions will be to the extent provided in the regulations.

VII. REPURCHASE OF UNITS

1. Repurchases under the plan will commence after three years from the date of commencement of the plan i.e. from 1st July, 2001 under all the three options. There shall be no repurchase during the first three years of the Scheme and Plan made thereunder except for settlement of death claim cases. The repurchase price will be based on the NAV of units (on historic basis) and shall be issued to the press for publication six months from the date of commencement of the plan i.e. on 01.01.1999 and on a quarterly basis thereafter till 30.06.2001. From 01-07-2001 the repurchase price will be announced at intervals of not more than one month. The repurchase price valid for a month is based on the NAV determined on the last valuation day of the preceding month. While calculating the repurchase price the Trust shall be at liberty to deduct administrative cost and other charges not exceeding 5% of the NAV per unit.

Further, since a portion of the investments will be made in equities, there is scope for capital appreciation.

2. **Monthly Income Option**

The Trust will offer to repurchase the units after three years from the date of commencement of the Scheme and the Plan made thereunder. Repurchase price will be based on historic NAV and shall be issued to the press for publication after six months from the date of commencement of the plan i.e. on 01.01.99 and on a quarterly basis thereafter till 30.06.2001. From 01.07.2001 the repurchase price will be announced at intervals of not more than one month. Repurchase will be effected on receipt of the Membership Advice alongwith a request letter on plain paper duly signed by all the holders and duly witnessed by another person giving his name, occupation and address/ Unit Certificate duly discharged. Partial repurchase shall be permitted subject to the member maintaining a minimum balance of Rs.10000/- (face value). The member while making an application for repurchase shall be bound to surrender all the unencashed Income Distribution Warrants remaining outstanding subsequent to and inclusive of the month of repurchase to the Trust.

In the event of repurchase in full the Trust shall not on accepting the Membership Advice along with the request letter for repurchase/Unit Certificate duly discharged be bound to pay any Income Distribution on the units for the month of acceptance or future months nor shall any interest be payable on the repurchase proceeds.

All the documents and the unencashed Income Distribution Warrants if any, received shall be retained by the Trust for cancellation.

In the event of partial repurchase, depending on the number of units retained by him, the member shall be issued a fresh membership advice/unit certificate and a fresh set of income distribution warrants for the remaining period including the month of acceptance. No interest shall be payable on the repurchase proceeds.

(i) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-clauses, the Trust shall be at liberty while repurchasing the units, in the event of failure of the member to surrender the Income Distribution Warrants which are then outstanding to deduct from the repurchase proceeds such amount representing the amount of the Income Distribution Warrant payable in future as have not been surrendered and pay the balance to the member. On acceptance of the Membership Advice and the request letter for repurchase/Unit Certificate duly discharged by the Trust, and in the event of full repurchase, the members' right to receive future Income Distribution including the Income Distribution for the month of acceptance will cease and the Trust shall have a claim on the amount represented by such outstanding Income Distribution.

(ii) A member to be entitled to a full year's Income Distribution paid out on a monthly basis should have held the units for a full year. A member who holds units for a part of the year shall be entitled to receive proportionate Income Distribution for the period of holding which shall always be full English Calendar months of holding, part of a month of whatever length being always ignored.

(iii) In the event of the death of the member/s and on surrender to the Trust by the legal representative or nominee of the Membership Advice/Unit Certificate, the request letter for repurchase and the unencashed Income Distribution Warrants outstanding to the deceased

member, the Trust shall on compliance with the requirements laid down in connection with the recognition of claim, repurchase the units in the manner prescribed in sub clause (i) and (ii) hereinabove in accordance with such rules and guidelines as may be formulated by the Trust and pay the outstanding proportionate monthly income distribution upto the date of settlement of the claim.

3. **Annual & Cumulative Options**

The Trust shall in case of units issued under Annual and Cumulative Options offer to repurchase the units after three years from the date of commencement of the scheme and the plan made thereunder i.e. from 1st July 2001. Repurchase prices will be based on historic NAVs and shall be issued to the press for publication after six months from the date of commencement of the plan i.e. on 01.01.99 and on a quarterly basis thereafter till 30.06.2001. From 01.07.2001 the repurchase price will be announced at intervals of not more than one month. While calculating the repurchase price the Trust shall be at liberty to deduct administrative cost and other charges not exceeding 5% of the NAV per unit.

Partial repurchase will be permitted subject to the member maintaining a minimum balance of Rs.10,000/- (face value) under the annual income option and Rs.5000/- (face value) under the cumulative option.

4. Payment for units repurchased by the Trust after the deductions, if any, shall be made within 10 working days (provided the application is in order) from the date of receipt of the membership advice alongwith the request letter for repurchase/ unit certificate duly discharged and income distribution warrants if any at the centre where the repurchase requests are processed.

No interest shall, on any account, be payable on the amount due to the applicant and the cost of remittance (including postage) or of realisation of cheque or draft sent by the Trust shall be borne by the applicant.

5. In case of non-resident investors, repurchase proceeds will be remitted depending upon the source of investment as follows:

(i) When units have been purchased from remittance in foreign exchange from abroad/by cheque/draft issued from proceeds of member's FCNR deposit or from funds held in member's Non-Resident (External) Account kept in India, the proceeds can be remitted to the member in foreign currency (any exchange rate fluctuation will be borne by the member) or can be sent to the member's relative in India for crediting the member's Non-Resident (External) Account provided he continues to be resident abroad. It can also be sent for crediting to his Non-Resident (Ordinary) Account if desired by the member.

(ii) When units have been purchased from funds held in member's Non-Resident (Ordinary) Account, the proceeds will be sent to the member's relative in India for crediting to the member's Non-Resident (Ordinary) Account.

6. **Restrictions on repurchase of units :**

Notwithstanding anything contained in any provision of the Scheme and the Plan made thereunder, the Trust shall not be under any obligation to repurchase units :

(i) on such days as are not working days; and

(ii) during the period (as notified by the Trust) when the register of members is closed for any purpose as notified by the Trust.

Explanation: For the purpose of this Scheme and the Plan made thereunder the term "working day" shall mean a day which has not been either

(i) notified under the Negotiable Instruments Act, 1881, to be a public holiday in the State of Maharashtra or such other States where the Trust has its offices; or

(ii) notified by the Trust in the Gazette of India as a day on which the office of the Trust will be closed.

VIII. INCOME & DISTRIBUTION

The member shall have the right to exercise an option to participate in :

1) Monthly Income Option

2) Annual Income Option OR

3) Cumulative Option.

This shall be done at the time of investment in the scheme and the option once exercised will be final. In case no option is exercised for investment of Rs.10,000/- and more, it will be deemed to be under Monthly Income Option and processed accordingly.

The returns assured under the plan and the protection of capital invested on maturity is guaranteed by the Development Reserve Fund of the Trust. The Trust has been following the practice of paying returns out of unit capital and members who exit the plan before maturity may get a lower NAV on account of this practice.

The provisions of the scheme and the plan made thereunder will be applied to all the three options and where the provisions vary the relative details are given accordingly.

1. **Monthly Income Option**

(i) Under this option the Trust shall pay assured income @ 12.5% p.a. for all the five years of the plan by means of post dated monthly warrants.

Based on the investment objectives and policies of the Plan as also prevailing and likely yields from the instruments in which funds of the scheme will be invested, the scheme would be able to generate sufficient returns to pay assured income @ 12.5% p.a. payable monthly under the plan.

(ii) The income distribution for each month shall be made payable at the beginning of the following month and will be paid by the Trust under such prepayment arrangements by means of Income Distribution Warrants or any instrument encashable at par at the branches of such bank as the Trust may specify.

Such of those units which have been sold under an application accepted by the Trust on or before the 15th day of a month shall be eligible for income distribution for the whole month and the units sold after the 15th day of the month shall be eligible for income distribution for that half month.

The entitlement of income will be as follows:

12.05.1998 to 15.05.1998	Full month's income
16.05.1998 to 31.05.1998	Half month's income
01.06.1998 to 15.06.1998	Full month's income
16.06.1998 to 25.06.1998	Half month's income

(iii) Depending upon the date of investment one Income Distribution Warrant for the period 1st July 1998 to 30th September, 1998 (dated 1st August '98) and 6 postdated warrants for the period October '98 to March '99 will be sent alongwith the Membership advice/unit certificate.

The Income Distribution Warrants for the subsequent years will be issued in the month of March/April every year depending upon changes in tax laws and sent in advance. The despatch of warrants for the subsequent years will be as per the following schedule:

Period	Despatch of warrants by
01.04.1999 to 31.03.2000	March-April 1999
01.04.2000 to 31.03.2001	March-April 2000
01.04.2001 to 31.03.2002	March-April 2001
01.04.2002 to 30.06.2003	March-April 2002

The Income Distribution Warrant for the month of March will be dated 31st March every year.

(iv) Subject to the provisions of sub-clause (iii), the warrants for payment of income distribution on a monthly basis will be sent to the member in advance.

The warrants will be so dated that the member shall encash each one of the warrants on becoming mature for payment. Every warrant shall have validity for three months. The Trust shall not be bound to pay interest in the event of any of the warrants not reaching the members before the expiry of the validity period or in the event of their becoming stale.

(v) In the event of a repurchase, the member upon non-surrender of unencashed warrants shall be entitled to encash these warrants which are due for the subsequent months and remaining in the custody of the members on the dates of maturity of warrants and the amount represented by such Income Distribution Warrants shall be deducted from the repurchase proceeds.

(vi) In the event of the death of the member if the nominee/legal heir is eligible to hold units and desires to continue to hold the units, then the nominee/legal heir shall be bound to return all the unencashed warrants for the future months for necessary rectification.

However, such a nominee/legal heir desiring to continue to hold the units shall not be entitled to any interest or any compensation during the period it takes the Trust to rectify the warrants already issued in favour of the deceased member to those in favour of the newly admitted member.

(vii) In the event of death of an applicant where the application is made by an individual for the benefit of another individual who is a mentally handicapped person, the alternate applicant shall be bound to return all the unencashed Income Distribution Warrants for future months for necessary rectification. However, such alternate applicant shall not be entitled to any interest or any compensation during the period it takes the Trust to rectify the warrants already issued in favour of the deceased applicant to those in favour of the newly admitted applicant.

Annual Income Option

(i) Under this option, the Trust shall pay assured income @ 13.25% p.a. payable annually for all the five years.

(ii) The first income distribution warrant for the period July, 1998 to June, 1999 (dated 1st July 1999) will be sent in the month of June 1999. Subsequently, income distribution warrants shall be sent for the period July - June every year as per the schedule given below. However, depending upon the date of investment, the investor will be compensated @ 12.50% p.a. for the period upto 30th, June and

1998 to the extent applicable to members under the monthly income option by means of cheque which will be sent alongwith the Membership advice/Unit Certificate.

Period	Despatch of warrants by
01.07.1999 to 30.06.2000	June 2000
01.07.2000 to 30.06.2001	June 2001
01.07.2001 to 30.06.2002	June 2002
01.07.2002 to 30.06.2003	June 2003

3. **Cumulative Option**

No income will be distributed under this option. Income will be cumulated at the rate of 13.25% p.a. such that Rs.5,000/- invested under the option will become atleast Rs. 9,314/- at the time of redemption after five years. However, depending upon the date of investment, the investor will be compensated @ 12.50% p.a. upto 30th June, 1998 to the extent applicable to members under the monthly income option by means of cheque which will be sent alongwith the unit certificate/membership advice.

Justification of the return of 12.50% p.a. under the plan

Assume the scheme collects Rs.100 crores. The initial expenses are 3% and are written off over a period of 3 years (this is because repurchase opens after 3 years). The investible funds available in the first year would be Rs.97 crores.

The fund will invest 75% in debt instruments and 25% in equity.

The scheme will invest in debentures/bonds with risk profile low to medium. The YTM on these instruments are in the range of 14.50% to 16.50%. This means the weighted average yield on debt instruments would be 15.30%.

The annualised return on equity by way of dividend yield, appreciation/depreciation and profits booked would be around 15%.

Instruments	% of Portfolio	Investible Funds	Yield (%)
Debentures	75	72.75	15.30
Equity	25	24.25	15.00

Weighted Avg. Yield on Portfolio $= \frac{72.75 * 15.30 + 24.25 * 15}{100} = 14.77\%$

Taking annual expenses and provisions as 1.5%, the income available for distribution would be 13.27%. This would be sufficient to pay income @ 12.50% p.a. payable monthly.

The above is illustrative and based on market conditions at the time of launch of the plan.

4. **Bank particulars of investors**:

Electronic Clearing Service:

Reserve Bank of India has introduced the concept of Electronic Clearing Services (ECS) through the clearing house to obviate the need for issuing and handling paper instruments and thereby facilitate improved customer service. This is being introduced by the Trust mainly to help the small investors of Calcutta/Chennai/ Mumbai/New Delhi whose income is less than Rs.1,00,000/- vide one single instrument.

As per guidelines issued by RBI in this regard, the investor is required to give his mandate for ECS as per the format given in the application form with all the details completed therein. This will help the Trust to credit the income amount to investor's account with the concerned bank at the earliest and eliminate the work of printing and despatch of income warrants and serve him better. The bank branch will credit the member's account and indicate the credit entry with "ECS" in the passbook/statement of account. The applicant who desires to avail of this facility may fill up the particulars of name and address of his bank, nature and number of account, 9 digit Bank and branch code no. etc. in the application form.

It is however not compulsory to avail of this facility.

In case the response to this facility is not sufficient enough to handle or for any other reasons, instead of paying income under "ECS", the Trust may pay the income by issue of income warrant as mentioned above.

As a matter of precaution against possible fraudulent encashment of Income Distribution Warrants due to loss/ misplacement, applicants in the four metros who do not avail of the above facility as also those residing outside the cities viz. Calcutta, Chennai, Mumbai & New Delhi are requested to give the full particulars of their bank account (i.e. nature of account, account number and name of bank) at the appropriate space in the application form as well as on the acknowledgment receipt portion for record. Income Distribution Warrants will then be made out in favour of the bank for crediting their account so specified and sent to them. Members may deposit the Income Distribution Warrants every month in the said bank for credit of their account. In case complete the complete bank particulars are not given, Income Distribution Warrants will be issued in the name of the member.

In order to avoid fraudulent encashment of Income Distribution Warrants/Repurchase cheques/ Maturity cheques investors are advised, in their own interest to give bank particulars at the appropriate place in the application form.

Income Distribution to Non Resident Indian Investor

Income under the Plan shall be paid as per the Exchange Control Regulations. The present position regarding payment of income is as follows:

i) The warrant can be issued in the name of the member and sent to a relative who is resident in India for crediting the NRE/NRO account of the member.

OR

ii) The warrant can be issued in the name of a relative who is resident in India and sent to him for crediting his account.

IX. INVESTMENT OBJECTIVES , POLICIES & STOCK LENDING

1. **Investment Objective :**

Investment objectives of the Scheme is to primarily provide regular income to subscribers and also to endeavour providing capital appreciation to the subscriber on maturity of the Scheme.

Funds collected under the scheme shall after providing for all initial preoperative and operational expenses generally be invested as follows:

(i) Not less than 70% of the funds will be invested in debt instruments. The risk profile of investment will be low to medium.

(ii) Not more than 30% of the funds will be invested in equities and equity related instruments. The risk profile of equity investments could be high.

Minimum and maximum asset allocation:

Debt - Minimum 70% Maximum 100%

Equity - Maximum 30%

No fixed allocation will normally be made for money market instruments.

Investment in money market instruments will be kept to the minimum so as to be able to meet the liquidity needs of the plan.

The Trust retains the option to alter the asset allocation for a short term period on defensive consideration.

Pending deployment of funds of the scheme in securities in terms of the investment objective stated above the Trust may invest the funds of the scheme in short term deposits of scheduled commercial banks.

2. **Fundamental Attributes**

"Fundamental attributes" mean the following.

a) Type of scheme	:	Monthly Income Plan 1998 (II) is a closed-end income fund.
b) Investment objective	:	as provided under clause IX of this offer document.
c) Terms of issue	:	provisions in this offer document in respect of listing, repurchase/ redemption of units, expenses and guarantee provided.

Any change in the fundamental attributes of the scheme will be carried out only with the consent of not less than three-fourths of the unitholders. Further in the event of a change in the fundamental attributes those who do not give their consent will be allowed to redeem their unitholdings in the scheme.

The Board may from time to time add to or otherwise amend this Scheme and the Plan made thereunder and any amendment/addition thereof will be notified in the Official Gazette. In case of any amendments prior approval of SEBI shall be obtained.

3. **Investment Policies**

(i) All debt instruments in which investments are made by the scheme should have been rated as investment grade by a credit rating agency which may be recognised from time to time: Provided that if the debt instrument is not rated, the specific approval of the Board of Trustees of the Trust shall be taken for investment.

(ii) No term loans will be advanced by this scheme.

(iii) The Trust shall buy and sell securities on the basis of deliveries and shall in all cases of purchases, take delivery of relative securities and in all cases of sale, deliver the securities and shall in no case put itself in a position whereby it has to make short sale or carry forward transaction or engage in badla finance.

(iv) The Trust shall, get the securities purchased or transferred in the name of the Trust .

(v) The scheme may consider to lend securities in accordance with the stock lending scheme of SEBI.

(vi) The scheme shall not make any investment in;

a) any unlisted security of an associate or group company of the Trust; or

b) any security issued by way of private placement by an associate or group company of the Trust; or

c) the listed securities of group companies of the Trust which is in excess of 25% of the net assets of all the schemes of the Trust.

(vii) The services of UTI Securities Exchange Limited (UTI SEL) a stock-broking firm and subsidiary of UTI may be utilised for securities transactions of the plan as per the policies and subject to the limits laid down by the Board of Trustees of the Trust. UTI SEL was set up in 1994. It is a high technology company offering fair transparent and efficient services to suit investors requirements. Its registered office is at Mumbai.

(viii) Investment in non publicly offered debt: Depending upon the available yield the scheme would be investing in non-publicly offered debt securities.

(ix) There is no restriction on the extent to which the scheme can invest in government securities. Based upon the liquidity needs, the scheme may invest in Government of India/State Government Securities.

4. However, notwithstanding anything contained in respect of clauses IX (3), XII (1) and XII (2), the valuation of assets, computation of NAV, repurchase price and their frequency of disclosure would be in accordance with the provisions of SEBI (MF) Regulations/Guidelines/ Directives issued by SEBI from time to time.

X. INTER-SCHEME TRANSFERS

Transfer of investments from this scheme to another Scheme/Plan of the Trust shall be done only if-

a) such transfers are done at the prevailing market price for quoted instruments on spot basis.

Explanation : "spot basis" shall have the same meaning as specified by stock exchange for spot transactions.

b) the securities so transferred shall be in conformity with the investment objective of the Scheme/ Plan to which such transfer has been made.

c) Transfer of unlisted or unquoted investments from the Plan to another Scheme/Plan of the Trust shall be done as per the policies laid down by the Board of Trustees of the Trust.

XI. ASSOCIATE TRANSACTIONS & BORROWINGS

1. The scheme may invest in another Scheme/Plan of the Trust or any other mutual fund without charging any fees, provided that aggregate interscheme investment made by all schemes of the Trust or in schemes under the management of any other asset management company shall not exceed 5% of the net asset value of the Trust .

2. The scheme shall not borrow except to meet temporary liquidity needs of the scheme for the purpose of repurchase, redemption of units or payment of interest or income to the members

Provided that the scheme shall not borrow more than 20% of the net asset of the scheme and the duration of such a borrowing shall not exceed a period of six months

3. As per Section 20 of the Unit Trust of India Act 1963 the Trust has the following borrowing powers:

(i) The Trust may borrow, whether in India or outside India from any authority or person, not being Government or the Reserve Bank, against such security and on such terms and conditions as may be agreed upon.

(ii) The Trust.may borrow money from the Reserve Bank-

(a) repayable on demand or on the expiry of a fixed period not exceeding ninety days from the date on which the money is so borrowed, against stocks, funds and securities (other than immovable property) in which a trustee is authorised to invest trust money by any law for the time being in force in India;

(b) repayable on demand or within a period of eighteen months from the date on which the money is so borrowed, against the security of the bonds which the Trust may issue with the approval of the Central Government;

(c) on such terms and conditions and against the security of such other property of the Trust as may be specified in this behalf by the Reserve Bank for the purposes of any scheme other than the first unit scheme:

Provided that any amount borrowed under this clause and outstanding at any one time shall not exceed-

(a) five crores of rupees in respect of each such scheme; and

(b) ten crores of rupees in respect of all such schemes in the aggregate

(iii) The bonds issued by the Trust under sub-section (ii) shall be guaranteed by the Central Government as to the repayment of principal and the payment of interest at such rate as may be fixed by the Central Government at the time the bonds are issued.

XII. NAV DETERMINATION & VALUATION OF ASSETS

1. **Computation and disclosure of Net Asset Value (NAV):**

The Net Asset Value of the units issued under the scheme shall be calculated by determining the value of the scheme's assets and subtracting the liabilities of the scheme taking into consideration the accruals and provisions. The Net Asset Value per unit shall be calculated by dividing the NAV of the scheme by the total number of units issued and outstanding on that date. The NAV of the Scheme shall be determined separately for the Monthly Income Option, Annual Income Option and for the Cumulative Option. The NAVs (on historic basis) shall be issued to the press for publication within six months from the closure of subscription and on a monthly basis thereafter.

2. **Valuation of assets pertaining to this Scheme**

(i) Quoted investments including those under lock-in-period are valued at the closing market rates on the valuation date or the latest available quote within a period of sixty days prior to the valuation date. If no quotes are available for a period of sixty days prior to the valuation date, the same is treated as unquoted investment.

(ii) In case of quoted debentures and bonds, the market rate, being cum-interest, the same is adjusted for the interest element, if any.

(iii) Unquoted/non-traded equity shares are valued at the average of capitalisation of earning and the book-value (break-up value) minus 10%.

(iv) Unquoted debentures, bonds and transferable notes are valued at yield to maturity, based on the rating of the instrument as determined by the Board of Trustees of the Trust.

(v) Unquoted warrants are valued at the market rate of the underlying shares discounted for dividend element, if any, and reduced by the exercise price payable. In cases where the exercise price payable is higher than the value so derived, the value of warrants is taken as nil.

(vi) Convertible debentures and bonds where composite market quotations are not available, the convertible portion is valued at the market rate relevant to equity shares, discounted for dividend element, if any. The non-convertible portion if any, of such debentures and bonds are valued at yield to maturity, as determined by the Board of Trustees of the Trust. Where terms of conversion are not specified in respect of the convertible portion, the same is valued at cost.

(vii) Investments in call money, bills purchased under rediscounting scheme and short term deposits with banks shall be valued at cost plus accrual; other money market instruments shall be valued at the yield at which they are currently traded. For this purpose, non-traded instruments that is instruments not traded for a period of seven days will be valued at cost plus interest accrued till the beginning of the day plus the difference between the redemption value and the cost spread uniformly over the remaining maturity period of instruments.

(viii) The following policy is adopted for valuation/inter-scheme transfer of government securities:

(a) The Government securities quoted in NSE, are valued at their closing prices on the date of valuation. If the security is not quoted on that day, quotations within a period of 7 days prior to the valuation date is considered. If the security is not quoted for a period of 7 days, then the same is treated as unquoted.

(b) The unquoted government securities are valued at yield to maturity (YTM) taken from the yield curve.

(ix) The aggregate value of investments as computed in accordance with (i) to (viii) above is compared to the aggregate cost of such investments and the resultant depreciation, if any, is charged to revenue account.

XIII. ACCOUNTING POLICIES

1. **Income recognition**

(i) Dividend Income on listed equity shares is accrued on the ex-dividend date. Dividend income on unlisted equity shares and preference shares is accounted on receipt basis.

(ii) Interest on investments in accounted for on accrual basis.

(iii) Profit or loss on sale of investments is recognised on the trade dates on the basis of weighted average cost.

(iv) Commitment charges are accounted for on accrual basis.

(v) Underwriting commission is recognised as revenue on cash basis when there is no devolvement. In case of devolvement, the full underwriting commission is reduced from the cost of such investments.

(vi) Front-end fee received on investments in shares and debentures is reduced from the cost of such investments. Front-end fee received on loans is recognised as income in the first year of disbursement.

(vii) Premium/profit on redemption of debentures/bonds and other miscellaneous income are accounted for on receipt basis.

(viii) Provision is made in respect of interest income remaining past due for two quarters or more. Dividend outstanding for more than one accounting year is provided for in full.

2. **Expenses**

(i) Expenses are accounted for on accrual basis.

(ii) Certain common expenses incurred under Unit Scheme 1964, are allocated to the other schemes on a basis determined by the Board of Trustees under the power vested as per the provisions of Section 25(4) of the Unit Trust of India Act, 1963.

(iii) Unit Scheme 1964 which owns the fixed assets, recovers lease rent as decided by the Board of Trustees from other schemes for their usage of the said assets.

3. **Deferred revenue expenditure**

In accordance with the powers vested under the provisions of Section 25 (3) of the Unit Trust of India Act, 1963, certain expenses are deferred as decided by the Board of Trustees as under -

Close ended schemes:

(i) The initial/rights issue expenses and commission to agents, incurred by the close ended schemes are written off equally over the tenure of the respective schemes.

(ii) When units are repurchased/bought-back, the deferred revenue expenses to be charged in that year, as also for the unexpired period, is suitably adjusted

4. **Investments**

(i) Investments are stated at cost or written down cost.

(ii) In case of secondary market transactions investments are recognised on trade dates.

(iii) Subscription to primary market issues is accounted as investments, on allotment.

(iv) Bonus/right entitlements are recognised on ex-bonus/ex-right dates.

(v) The cost of investments include brokerage and service tax but does not include stamp fees which is charged to revenue.

5. **Depreciation in the value of Investments**

(i) Where, in the opinion of the Board of Trustees, there is substantial impairment in the value of unquoted equity or preference shares, the cost of such shares is written off against Unit Premium/General reserve/Revenue Account as the case may be.

In cases, where in the opinion of the Board of Trustees, there is a substantial improvement in the quality of an investment written off in earlier years, the same is written back to its original book value.

(ii) Provisions are made by charging Revenue Account in respect of all other investments viz. debentures and bonds, secured/unsecured transferable notes, term loans and deposits classified as non-performing, if interest payment thereon is past due for 180 days or more These provisions are made for each non-performing asset individually and not for other performing assets of the same company.

(iii) Provisions for non performing assets are made on the basis of period for which the assets remain non-performing as under:

Period for which asset remains non-performing	Percentage of Provision	
	Secured Asset	Unsecured Asset
Upto two years	10%	10%
Exceeding two years but upto three years	20%	100%
Exceeding three years but upto five years	30%	100%
Exceeding five years	50%	100%

(iv) Where principal repayment remains past due in respect of (i) Term loans for two instalments & (ii) other debt investments/deposits for one instalment, provision is made for such outstanding instalments. The overall provision for such asset is limited to the percentage mentioned in the above table or the amount in default (upto 100% for unsecured and 50% for secured assets) whichever is higher.

(v) In case of funding of interest, by way of capitalisation of outstanding interest dues, the funded interest is provided in full irrespective of the period of default

(vi) Provisions for non-performing assets in respect of (iii), (iv) and (v) above, are made by charging to Unit Premium/General Reserve/ Revenue Accounts as the case may be.

6. **Fixed assets:**

(i) Fixed Assets are stated at historical cost less accumulated depreciation.

(ii) Depreciation is provided on the written down value method at the under mentioned rates except those assets held for less than six months in the accounting year, where depreciation is provided at half the said rates:

(a)	Building and premises	5%
(b)	Furniture and Fixtures	10%
(c)	Office equipments, Building improvements, Computers and Motor Vehicles	33.33%
(d)	Leasehold land is amortised equally over the period of lease.	
(e)	Building improvements in premises taken on lease for a period not more than 8 years are amortised equally over the unexpired period of lease and in other cases depreciated at	33.33 %

Fixed assets, which are installed and put to use, pending final settlement of liabilities are stated on an estimated basis. On final settlement depreciation is adjusted, from the date the asset is put to use.

7. **Buy-back of units:**

The units of schemes, listed on Stock Exchanges which are bought back for redemption through open market operations are accounted for on trade dates. The difference between the acquisition cost and the face value is charged to the Revenue Appropriation Account. The face value of units redeemed is reduced from Unit Capital on receipt of advices from Registrars.

8. **Income distribution:**

Provisions for income distribution is made as determined by the Board of Trustees.

Provision for Income Distribution is also made on application money pending capitalisation under all schemes, except in respect of schemes where units are sold at a premium or discount to its face value. The income distribution on these schemes is charged to the Revenue Appropriation A/c in the year of capitalisation.

XIV. TAX TREATMENT OF INVESTMENTS

1. **Tax Concessions**

Taxation of income and capital appreciation under the plan will be subject to prevalent tax laws. As per the present taxation laws income from units to all residents and non-residents (if units are bought through payment from non-resident ordinary account, income of individuals and HUF) by way of income under all schemes of the Trust including "MIP '98 (II)" will enjoy deduction from income upto an overall limit of Rs. 15,000/- under section 80L of Income Tax Act, 1961.

Any long term capital gains arising out of the plan will be subject to treatment indicated under sections 48 and 112 of the Income Tax Act, 1961.

Value of investment in units under the plan is exempted from wealth tax.

2. **Capital Gains Tax Exemption under Section 54EA**

Investment of entire or part of net consideration arising out of transfer of long term capital assets in MIP-98 (II) will be eligible for capital gains tax exemption under Section 54EA of the Income Tax Act, 1961 subject to availability of repurchase/transfer/pledge only after three years from the date of acceptance of the application.

3. **For Eligible Trusts**

Units are approved securities under section 11 (2) (b) of the Income Tax Act 1961, Eligible Trusts investing in units will, therefore qualify for tax exemption in respect of income and corpus under sections 11 and 13 of the Income Tax Act, 1961.

4. **Deduction of Tax at source**

Residents

As per the present taxation laws the Trust is required under section 194K to deduct income tax at source @ 15% from the income payable to individual members, HUFs, Partnership Firms and other investors not being companies, under all the three options of the plan, if such income exceeds Rs.10,000/- during the financial year.

Similarly, tax will be deducted at source @20% from income payable to companies if such income exceeds Rs.10,000/- during the financial year.

Non-Residents

Section 196A of the Income Tax Act, 1961 has been substituted to provide for deduction of tax at source at the rate of 20% on income received by NRIs in respect of units of any Schemes of UTI acquired by them through payment from Non-Resident (Ordinary) Account.

As per circular No.734 F no. 500/4/96- FTD, dated 24th January, 1996 issued by the Govt of India, Ministry of Finance, Dept. of Revenue in order to avoid double taxation for Non-Resident members residing in UAE the tax will be deducted at source at a concessional rate of 15% where source of fund is NRO account.

5. **No deduction of tax**

Residents

Member (not being a company or a firm), desiring receipt of income without deduction of tax at source should furnish to the Trust a declaration in writing, in duplicate, in the prescribed form No. 15H and verified in the prescribed manner to the effect that the tax on his/its estimated total income of the assessment year will be nil, in accordance with the income tax rules. The prescribed form No.15H for non deduction of tax at source should be submitted alongwith the application and for subsequent years atleast three months before the despatch of income distribution warrants, failing which tax will be deducted at source as per the prevalent tax laws.

No deduction of tax will be made for Trusts which are covered under Sections 11 or 12 or 10(22) or 10(22A) or 10(23) or 10 (23AA) or 10(23C) of the Income Tax Act, 1961 on the basis of a declaration in the format provided in the application form.

Non Residents

In case of Non-Residents, if units are bought directly through remittance in foreign exchange or through payment from Non-Resident (External) account kept in India or from proceeds of FCNR deposits, income from such units is totally exempt from income tax.

In the above case UTI shall not deduct income tax at source irrespective of the amount of income.

Disclosures regarding income tax/wealth tax/gift tax/capital gains tax, investments by NRIs/OCBs/FIIs are in conformity with the prevalent Income Tax Act, FERA and RBI's directions and permissions.

XV. INVESTORS' RIGHTS & SERVICES

1. Members under the Plan have a proportionate right in the beneficial ownership of the assets of and to the income declared by the Plan.
2. The Members have a right to ask the Trustees about any information which may have an adverse bearing on their investments and the Trustees shall be bound to disclose such information to the Members.
3. The Members have the right to have the unit certificates/membership advices issued to them not later than 6 weeks from the date of closure of sale of units.
4. The Members have the right to have the repurchase/redemption proceeds despatched to them within 10 working days (provided the application is in order) from the date of receipt of the application at the office where the repurchase requests are processed.
5. The members have the right to inspect the following documents at the Central Investors Relations Cell, Unit Trust of India, SNDT Women's University Basement, Door No.1, Sir Vithaldas Thackersey Marg, Mumbai 400020.
   * The UTI Act
   * The General Regulations
   * The agreements with the custodians, registrars and collecting banks.
   * Copy of Offer Document of MIP98 (II).

XVI. CONSTITUTION & MANAGEMENT OF UNIT TRUST OF INDIA

Constitution of UTI

Unit Trust of India was set up as a statutory body under Unit Trust of India Act, 1963, with a view to encouraging saving and investment and participation in the income, profits and gains accruing to the Trust from the acquisition, holding, management and disposal of securities. It started functioning with effect from 1st July, 1964.

Management of UTI

The Management of the affairs and business of the Trust are vested in the Board of Trustees with a full time Chairman appointed by the Government of India.

Besides the Board, there is a statutory Executive Committee comprising the Chairman, the Executive Trustee and two other Trustees nominated by the Industrial Development Bank of India This Committee is competent to deal with any matter within the competence of the Board.

Board of Trustees *

1.	Shri G P Gupta	Chairman, Unit Trust of India
2.	Dr. P J Nayak	Executive Trustee, Unit Trust of India
3.	Shri S Gurumurthy	Executive Director, RBI
4.	Shri S.H. Khan	Chairman, Industrial Development Bank of India
5.	Shri N.S. Sekhsaria	Managing Director, Gujarat Ambuja Cements Ltd.
6.	Shri P R Khanna	Chartered Accountant
7.	Shri G Krishnamurthy	Chairman, L.I.C.
8.	Shri M S Verma	Chairman & Managing Director, S.B.I.
9.	Shri N Vaghul	Chairman, ICICI Ltd.
10.	Shri Rashid Jilani	Chairman & Managing Director, Punjab National Bank

*** The other current directorships of the Trustees are as follows:**

1. **Shri G P Gupta** - (i) Chairman Governing Council - UTI-Institute of Capital Markets (ii) Chairman & Director - Unit Trust of India Investment Advisory Services Limited,Unit Trust of India Investor Services Ltd, The India Fund, India Growth Fund Inc., India Access Ltd., Over-The-Counter (OTC) Exchange of India & The India Public Sector Fund Ltd. (iii) Director - UTI Bank Ltd, The Industrial Credit & Investment Corporation of India & Discount and Finance House of India Ltd. (iv) Chairman - UTI Securities Exchange Ltd. & Collumbus India Fund (iv) Council Member - Indian Institute of Bankers (v) Member - Life Insurance Corporation of India

2. **Dr. P J Nayak** - (i) Member Governing Council - UTI- Institute of Capital Markets (ii) Director - Unit Trust of India Investor Services Ltd., Unit Trust of India Investment Advisory Services Ltd., Association of Mutual Funds of India & National Securities Depository Ltd.

3. **Shri S H Khan** - Director - Industrial Finance Corporation of India, IDBI Bank Ltd. & Board of Infrastructure Development Finance Company Ltd.

4. **Shri N S Sekhsaria** - Director - Shri Arbuda Mills Ltd., Gujarat Venture Finance Ltd., Radha Madhav Investments Ltd. & Gruh Finance Ltd.

5. **Shri P R Khanna** - Director - SBI Capital Markets Ltd., Modi Rubber Ltd., Telemecanique & Controls (India) Ltd., DCM Shriram Industries Ltd., Godfrey Phillips India Ltd., Indag Rubber Ltd., Toyo Mirrors Pvt. Ltd., Marketing Research Group Pvt. Ltd. & Sita Holidays Resorts Ltd.

6. **Shri G Krishnamurthy** - (i) Chairman - LIC (International) EC, LIC Housing Finance Ltd. & Jeevan Bima Sahayog Asset Management Company. (ii) Director - General Insurance Corporation of India, Kenindia Assurance Co. Ltd., Discount & Finance House of India, Indian Railway Finance Corporation, Industrial Credit and Investment Corporation of India & National Housing Bank.

7. **Shri M S Verma** - (i) Chairman - SBI Capital Markets Ltd., SBI Fund Management (P) Ltd., SBI Gilts Ltd., SBI Securities Ltd., SBI European Bank Ltd., SBI Factors and Commercial Services Pvt. Ltd , State Bank of Indore, State Bank of Saurashtra, State Bank of Patiala, State Bank of Bikaner & Jaipur, State Bank of Hyderabad, State Bank of Mysore, State Bank of Travancore, State Bank of India (California) & State Bank of India (Canada) (ii) Vice-President - Indian Institute of Bankers (Governing Council) (iii) Director - National Bank for Agriculture and Rural Development, Industrial Investment Bank of India & General Insurance Corporation (iii) Member - National Institute of Bank Management (Member of the Governing Board & Chairman of Campus Committee & Finance Committee), Institute of Banking Personnel Selection (Member of the Governing Board, Chairman of the Finance Committee) & Indian Bank's Association (Member of the Managing Committee).

8. **Shri N Vaghul** - (i) Chairman - Technology Development Information Company of India Ltd., Bangalore, Credit Rating Information Services of India Ltd., Indian Institute For Foreign Training, Kansbahal & 20th Century Venture Capital Corporation (ii) Director - Industrial Development Bank of India, Industrial Reconstruction Bank of India, Calcutta, Housing Development Finance Corpn. & Discount and Finance House of India Ltd.

9. **Shri Rashid Jilani** - (i) Director - Industrial Finance Corporation of India Ltd., Deposit Insurance & Credit Guarantee Corporation of India, Exim Bank of India, Agricultural Finance Corporation of India Ltd., Punjab State Industrial Development Corporation Ltd., Oriental Insurance Co. Ltd., Small Industries Development Bank of India, Indian Institute of Foreign Trade, New Delhi, National Institute of Bank Management, Pune, Indian Institute of Bankers & Indian Investment Centre, New Delhi (ii) Chairman - Indian Banks' Association (iii) Chairperson - Swift User Group-India (iv) Member - Swift-Asia Pacific Advisory Council.

Management of the fund - Smt. Prema Madhu Prasad, General Manager will be the fund manager.

Qualifications: Chartered Accountant - B.Sc, A C.A.

Experience and Background Presently working in the Department of Funds Management, looking after the Fund Management of domestic Income Oriented Schemes. Also looks after the Treasury Management of the Trust.

Designation/Department/Period	Responsibilities
Deputy General Manager/ Dept. of Accounts / Jan '96 to Sept '97.	Incharge of Investment Accounts of Equity Investments of all Domestic Schemes, Safe Custody Operations, Back Office Functions of Market Operations and Money Market Operations.
Deputy General Manager/Dept. of International Finance/ Jan '93 to Dec '95	Had exposure in managing the offshore funds viz India Fund, India Growth Fund, Columbus Fund etc.
Deputy General Manager/ Dept. of Market Operations	Chief Dealer for Equity Investment of Domestic Funds Had exposure in managing equity oriented funds.
Joined the Trust as Manager (Finance) in 1984	Looked after the primary market investments like placement of debentures and other loans to corporates
Financial Analyst with one of the leading Public Sector Banks from 1979-1984	

XVII. OTHER SERVICE PROVIDERS FOR THE SCHEME

1. **Custodians**

Stock Holding Corporation of India situated at Mittal Court, B-Wing, Nariman Point, Mumbai 400 021, have been functioning as custodian for all our Schemes and Plans as per the agreement entered into with them on January 17, 1994.

The custodians are required to take delivery of all securities belonging to Schemes/Funds/Plans of the Trust and hold them in custody. The custodians will deliver the securities only as per instructions from the Trust and on receipt of the consideration. The custodian shall be generally authorised to attend to all non-discretionary and procedural details for discharge of normal custodial functions in connection with the sale, purchase, transfer and other dealings with the securities, other assets held by them as an agent except as may otherwise be directed by the Trust.

Custodians shall provide all information, reports or any explanation sought by the Trust or the auditors of the Trust for the purpose of audit and for physical verification and reconciliation of Securities belonging to the Schemes/ Funds / Plans of the Trust.

The SHCIL has applied for registration number.

The custody charges are as under:

Market operations at the rate of Rs.100/- per transaction (sales, purchase and primary markets)

The slabs for custody fees are as under:

Value of assets held	Basis point
upto Rs.2000 crs	12
between Rs.2000 crs to Rs. 3000 crs.	11
between Rs.3000 crs. to Rs 4000 crs.	10
between Rs.4000 crs to Rs 5000 crs.	9
Above Rs. 5000 crs.	8

The effective rate for UTI since its holding falls above Rs.5000 crores is @ 8 basis points per annum. The total service charges payable on account of the transaction and custody with a ceiling of Rs.35 crores.

2. **Auditors**

M/s S.K. Kapoor & Co ,16/98 LIC Bldg., The Mall, Kanpur 208 001 and M/s. Chaturvedi & Company, Chartered Accountants, 60, Bentik Street, Calcutta 700 069. The auditors of the Scheme are appointed by the IDBI and they are subject to change from year to year.

3. **Registrar and transfer agent**

UTI Investors' Services Limited - SEBI Registration no INR000001211 - have been appointed as the Registrar and transfer agent.

It has been ascertained that the Registrars have adequate capacity to discharge its responsibilities with regard to processing of applications, transfer forms and repurchase requests, despatch of Membership Advice/Unit Certificates and Income distribution warrants within the prescribed time frame and also handle investor complaints.

Processing of applications and after sales services will be handled from the following branches of the Registrars:

West Zone: Plot No.369, Marol Maroshi Road, Near Marol - Maroshi Bus Depot, Vijay Nagar, Andheri (E), Mumbai 400 059.

East Zone: 2, Fairlie Place, 1st Floor, P B No.60, Calcutta 700 001.

South Zone: Justice Basheer Ahmed Syed Building, 45, Second Line Beach, Chennai 600 001

North Zone (excluding Uttar Pradesh) : Kanchanjanga Bldg., Upper Ground Floor, 18, Bara Khamba Road, New Delhi.

Lucknow (For the State of Uttar Pradesh only) : Shop No.8& 9, 2nd Floor, Saran Chambers No.5, Park Road, Lucknow 226 001.

4. **Collecting and Paying Bankers**

State Bank of India will act as collecting and paying bankers on all India basis as also UTI Bank Ltd for Collection and local payments. Canara Bank will also act as a collecting and paying banker for the state of Kerala and Karnataka in the Southern Zone. Applications will also be accepted by UTI Branch Offices, CR Collection Centres and Franchise Offices. Addresses of UTI branch offices is given on the last page. Addresses of CR Collection Centres and Franchise Offices are given in the application form.

Selected branches of Oman International Bank in the Sultanate of Oman and Abu Dhabi Commercial Bank in UAE, are appointed for collection of applications from Non-Residents.

PRINCIPAL BUSINESS ADDRESSES OF THE BANKS:

State Bank of India
(Development & Personal Banking),
Local Head Office , Madam Cama Road,
P B No. 10003, Mumbai 400 021

Canara Bank
Tambuchetty Street,
Chennai - 600 001

UTI-Bank Ltd.
Central Office,
Maker Tower- F,
13th,Floor, Cuffe Parade,
Colaba, Mumbai 400 005.

Oman International Bank S.A.O.G.,
1-A, Mittal Court,
Nariman Point,
Mumbai 400 021

Abu Dhabi Commercial Bank Ltd.,
75B, Veer Nariman Road,
Post Box 11248,
Mumbai 400 020

XVIII. INVESTOR GRIEVANCES REDRESSAL

1. All investors could refer their grievances giving full particulars of investment to concerned Investors' Relation Cell at the following addresses

WESTERN ZONE:
Ms. Tanvi Upadhye/
Shri Mridul Mukhopadhyay
Unit Trust of India
Investors' Relation Cell
Commerce Centre I, 28th Floor,
World Trade Centre, G D Somani Marg,
Cuffe Parade, Mumbai 400 005
Tel: 2180172/2153846

EASTERN ZONE:
Shri S L Chakrabarti
Unit Trust of India
Investors' Relation Cell
2, Fairlie Place, 2nd Floor,
Calcutta 700 001
Tel: 2434575/81

SOUTHERN ZONE
Ms. Shirin Ramprasad/Ms.Hari Priya S.
Unit Trust of India
Investors' Relation Cell
UTI-House, 29, Rajaji Salai,
Chennai 600 001
Tel: 5260146

NORTHERN ZONE
Ms. Anju Krishnan
Unit Trust of India
Investors' Relation Cell
Herald House, IInd floor,
5A, Bahadur Shah Zafar Marg,
New Delhi 110 002.
Tel,. 332 9860/3311225

2. **Investor Complaints redressal record**

Complaints received, redressed and pending for the last three years are:

Period	No of Complaints			Pending to Total Received
	Received	Redressed	Pending	
01-7-95 to 30-04-96	685997	651813	34184	4.98%
01-04-96 to 31-03-97	470169	447495	22675	4.82%
01-04-97 to 31-03-98	551929	539318	12611	2.28%

Schemewise details of complaints received, redressed and pending for the period 01.04.97 to 31.03.98 are given below .

Scheme Name	No. of Complaints			Pending to Total Received
	Received	Redressed	Pending	
CCCF	874	812	62	7 09%
CGGF	6391	6138	253	3 96%
CGS-83	351	275	76	21.65%
CGUS-91	2471	2449	22	0.89%
CRTS	239	225	14	5.86%
DIP-91	3111	3094	17	0.55%
DIUP-93	521	510	11	2 11%
DIUP-95	1396	1388	8	0 57%
DIUS-90	1656	1637	19	1 15%
DIUS-91	1599	1565	34	2.13%
DIUS-92	2080	2028	52	2 50%
E.O F	527	518	9	1.71%
GCGI	20747	20699	48	0 23%
GMIS-91	6104	5987	117	1.92%
GMIS-92	7966	7776	190	2 39%
GMIS-92(II)	1506	1157	349	23.17%
GMIS-B-92	1891	1706	185	9.78%
GMIS-B-92(II)	2079	1989	90	4 33%
GRANDMASTER-93	1348	1337	11	0.82%
GRIHALAXMI UNIT PLAN	1756	1661	95	5.41%
HOUSING UNIT SCHEME	308	278	30	9 74%
IISFUS-95,96,97	7	6	1	14.29%
IEF-97	107	87	20	18.69%
MASTERGAIN-92	106189	105573	616	0.58%
MASTERGROWTH-93	8829	8783	46	0 52%
MASTERPLUS-91	13079	12704	375	2.87%
MASTERSHARE-86	22129	20848	1281	5.79%
MEP-91	4281	4228	53	1.24%
MEP-92	22161	21743	418	1.89%
MEP-93	54619	54024	595	1.09%
MEP-94	62020	61701	319	0.51%
MEP-95	4695	4656	39	0.83%
MEP-96	1620	1602	18	1.11%
MEP-97	1384	1357	27	1 95%
MEP-98	3	[illegible]	1	33.33%

Scheme Name	No. of Complaints			Pending to Total Received
	Received	Redressed	Pending	
MIP-93	1454	1428	26	1 79%
MIP 94(I)	2301	2219	82	3 56%
MIP-94(II)	1725	1715	10	0.58%
MIP-94(III)	5412	5373	39	0.72%
MIP-95	4419	4373	46	1 04%
MIP-95(II)	3635	3593	42	1.16%
MIP-95(III)	3851	3821	30	0 78%
MIP-96	3367	3334	33	0.98%
MIP-96(II)	3132	3097	35	1.12%
MIP-96(III)	3692	3643	49	1.33%
MIP-96(IV)	17387	17156	231	1.33%
MIP-97	10295	10091	204	1.98%
MIP-97(II)	9124	8771	353	3.87%
MIP-97(III)	3558	3466	92	2.59%
MIP-97(IV)	720	630	90	12 50%
MIP-97(V)	184	48	136	73.91%
MIP-98	4	0	4	100.00%
MIS-B-93	3557	3483	74	2 08%
MISG-90(I)	6754	6389	365	5.40%
MISG-90(II)	4525	4167	358	7.91%
MISG-91	1479	1451	28	1.89%
OMNI-PLAN	92	82	10	10.87%
PRIMARY EQUITY FUND	1819	1755	64	3.52%
RAJLAKSHMI U. P.	3359	3236	123	3 66%
RETIREMENT BENEFIT PLAN	2616	2538	78	2.98%
SENIOR CITIZEN U. P.	1397	1368	29	2.08%
UGS-2000	9147	8648	499	5 46%
UGS-5000	3992	3818	174	4.36%
ULIP	12652	11390	1262	9.97%
US-64	74852	71523	3329	4.45%
US-92	6150	6111	39	0.63%
US-95	2	2	0	0.00%
TOTAL	**551929**	**539318**	**12611**	**2.28%**

Reasons for complaints are :

(i) Non-receipt of application/funds from the collecting banks.

(ii) Incomplete details of the investor in the application including address, name and signature of the investor

(iii) Change of address of investor not informed/not updated

(iv) Loss in transit

(v) Postal delay.

(vi) Non compliance of required documents in case of transfer/death claims/Repurchase

(vii) Incomplete details while forwarding the complaints

(viii) Non-receipt/ Delayed receipt of commission

(ix) Letters/Documents sent to the wrong office/Registrars

XIX. PENALTIES, PENDING LITIGATIONS, MATERIAL FINDINGS OF INSPECTIONS/ INVESTIGATIONS

1. There are no cases relating to penalties awarded by SEBI under the SEBI Act or any of its regulations or by any Stock Exchanges (where the units of the schemes of UTI are listed) against the Unit Trust of India/Board of Trustees, or any of the Trustees or key personnel (specifically the fund managers)
2. There are no pending material litigation proceedings incidental to the business of the Unit Trust of India including the Board of Trustees or any of the trustees or key personnel
3. There are no enquiry/adjudication proceedings under the SEBI Act and the Regulations made thereunder against Unit Trust of India, Board of Trustees/Trustee or key personnel

XX. CONDENSED FINANCIAL INFORMATION

i) HISTORICAL PER UNIT STATISTICS

Scheme (Date of Allotment)*	RUP(II) (01.07.94)				GUP (06.08.94)				MIP-94(III) (01.01.95)			
	1994-95	1995-96	1996-97	31.12.97	1994-95	1995-96	1996-97	31.12.97	1994-95	1995-96	1996-97	31.12.97
1 NAV At The Beginning Of The Year	10.00	9.86	11 10	12.35	10.00	10.16	10.70	10.05	10.00	9.47	9.61	9 69
2 Net Income Per Unit	-0.14	1.04	0 84	0 70	0 16	0.99	0 47	0.27	0.10	1.17	1.17	0.01
3 Dividends. (%) p.a.	-	-	-	-	-	14.00	10 00	-	# 12.00	# 13.00	13.00	13.00
4. Transfer to Reserves (if any)	-	-	-	-	-	-	-	-	-0 53	0.13	0.09	-
5. NAV At The End Of The Year	9.86	11 10	12.35	12.28	10 16	10.70	10.05	10 33	9 47	9 61	9.69	9.76
6. Annualised Return (%)	-1 35	5.52	7 82	6 50	1.74	11 03	8.44	8 02	1 46	5 75	8 97	9.86
7. Net Assets End Of The Period (Rs Crs.)	104.07	220.09	307 50	356.65	100 08	135.45	132.38	136 22	697.94	693.10	682 38	681.56
8 Ratio Of Recurring Exp To Net Assets	0.036	0.022	0.011	0.006	0.034	0.037	0.005	0.002	0.007	0.007	0.120	0 003

12% upto 31 12.95, 13% 01 01 96 - 31.03.98

Scheme (Date of Allotment)*	RBUP (26 12.94)				MEP-95 (31.03.95)				US-95 (02.01.95)			
	1994-95	1995-96	1996-97	31.12 97	1994-95	1995-96	1996-97	31.12.97	1994-95	1995-96	1996-97	31.12.97
1 NAV At The Beginning Of The Year	10.00	9.71	11.63	13 90	10.00	9.61	11.57	11 34	10.00	99 96	102.75	98.70
2 Net Income Per Unit	-0.03	1.17	1.42	0 77	-0 39	0 68	0.14	-0.65	2.62	15 94	9.36	5.45
3 Dividends: (%) p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-	12 00	13.50	12.50	-
4. Transfer to Reserves (if any)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 NAV At The End Of The Year	9.71	11.63	13.90	14.81	9.61	11 57	11.34	9.77	99.66	102.75	98.70	102.54
6. Annualised Return (%)	-5 62	10.78	15.52	15.95	-15.64	12.51	5.97	-0.83	11.54	14 90	12 31	11.52
7. Net Assets End Of The Period (Rs.Crs.)	24.42	72.73	122.43	137.31	1114.09	1339.13	1312.78	1130 66	173.42	209.19	119.70	100 54
8. Ratio Of Recurring Exp. To Net Assets	0.034	0.009	0.007	0.005	0 003	0.005	0 004	0.003	0.005	0.002	0.002	0 001

Scheme (Date of Allotment)*	PEF-95 (01.08.95)				MIP-95 (01.07.95)			
	1994-95	1995-96	1996-97	31.12.97	1994-95	1995-96	1996-97	31.12.97
1. NAV At The Beginning Of The Year	10.00	9.95	12.28	12.45	10.00	10.05	10 35	10.74
2 Net Income Per Unit	-0.14	0.67	0.35	-0.20	0.05	1.33	1.12	0.53
3. Dividends: (%) p.a.	-	-	-	-	-	13.00	14.00	14 00
4. Transfer to Reserves (if any)	-	-	-	-	0.05	0.24	0 11	-
5. NAV At The End Of The Year	9.95	12.28	12.45	10.54	10.05	10 35	10.74	10.43
6. Annualised Return (%)	-	24.87	12.79	2.25	-	16.54	17.18	15.29
7. Net Assets End Of The Period (Rs Crs.)	174.23	223.40	227.61	168.87	539.45	577.74	574.73	551.93
8. Ratio Of Recurring Exp. To Net Assets	0.028	0.012	0 004	0.006	0.001	0.007	0.008	0.003

Scheme (Date of Allotment)	MIP-95 (II) (01.09.95)			ISFUS-95 (01.10.95)			DIP-95 (01.10.95)			MEP-96 (31.03.96)		
	1995-96	1996-97	31.12.97	1995-96	1996-97	31.12.97	1995-96	1996-97	31.12.97	1995-96	1996-97	31.12.97
1. NAV At The Beginning Of The Year	10.00	10.89	11.42	10.00	11.00	10.59	10.00	12.06	13 70	10 00	12.00	12.59
2 Net Income Per Unit	1.22	1.30	0 66	1.42	1 58	0 76	1.24	1.43	0.84	0 13	0.14	0.06
3. Dividends: (%) p.a.	# 13.50	# 14.00	14.00	15.00	15.00	15 00	-	-	26.00	-	-	-
4. Transfer to Reserves (if any)	0.35	0.31	-	-	-	-	1.24	1.43	-	-	-	-
5. NAV At The End Of The Year	10.89	11.42	11.29	11.00	10.59	11.30	12.06	13.70	14.08	12.00	12.59	11.10
6. Annualised Return (%)	24.27	21.53	19 34	28.40	18 38	20.76	27.48	21.16	23.87	80.20	20.70	6.29
7. Net Assets End Of The Period (Rs.Crs.)	365.24	366.14	357.71	195.45	182 60	196.42	120.82	134.87	137 58	235.94	247.35	217.98
8. Ratio Of Recurring Exp. To Net Assets	0.008	0.011	0.005	0.005	0.006	0.002	0.009	0.008	0.004	0.006	0.007	0.004

13 50% upto 31 08.96; 14.00% 01.09.96 - 31 03.98.

Scheme (Date of Allotment)	MIP-95(III) (01.01.96)			MIP-96 (01-05-96)			MIP-96(II) (01.07.96)			EOF (01.07.96)		
	1995-96	1996-97	31.12.97	1995-96	1996-97	31.12.97	1995-96	1996-97	31.12.97	1995-96	1996-97	31.12.97
1. NAV At The Beginning Of The Year	10.00	10.98	11.80	10.00	10.29	11.05	10.00	9.96	11.23	10.00	9.98	10.66
2. Net Income Per Unit	0.79	1.44	0.89	0.24	1.35	0.64	0.02	1.24	0.78	-0.02	0.46	-1.40
3 Dividends. (%) p.a.	14.00	14.00	14.00	14.50	14.50	14.50	15.00	15.00	15.00	-	-	-
4 Transfer to Reserves (if any)	0.16	0.43	-	-0.14	0.28	-	-0.11	0.13	-	-	-	-
5. NAV At The End Of The Year	10.98	11.80	11.38	10.29	11.05	11.12	9.96	11.23	11.21	9.98	10.66	9.21
6. Annualised Return (%)	33.81	26.09	20.90	32.37	23.49	21.22	-	27.34	23.03	-	6.62	-5.28
7. Net Assets End Of The Period (Rs.Crs.)	443.59	458.39	436.40	238.24	250.67	249.15	385.61	417.80	416.65	23.34	26.10	21.10
8. Ratio Of Recurring Exp. To Net Assets	0.006	0.010	0.005	0.004	0.011	0.005	0.003	0.010	0.004	0.003	0.016	0.009

Scheme (Date of Allotment)*	MMMF (23.04.97)		MIP-96(III) (01.10.96)		DIP-91 (15.10.96)		USFUS-96 (01.01.97)		MIP-96(IV) (01.01.97)		MEP-97 (31.03.97)	
	1996-97	31.12.97	1996-97	31.12.97	1996-97	31.12.97	1996-97	31.12.97	1996-97	31.12.97	1996-97	31.12.97
1. NAV At The Beginning Of The Year	10.00	10.17	10.00	11.04	10.00	11.52	10.00	11.09	10.00	10.71	10.00	12.09
2. Net Income Per Unit	0.14	0.29	0.90	0.74	1.18	0.74	1.01	0.77	0.67	0.74	0.11	0.42
3. Dividends: (%) p.a.	-	-	15.00	15.00	15.00	15.00	16.00	16.00	15.00	15.00	-	-
4. Transfer to Reserves (if any)	-	-	-0.08	-	0.75	-	0.05	-	0.02	-	-	-
5. NAV At The End Of The Year	10.17	10.67	11.04	10.78	11.52	11.78	11.09	10.79	10.71	10.52	12.09	10.52
6. Annualised Return (%)	9.17	9.75	29.06	21.23	36.57	29.66	38.25	23.95	29.61	20.27	83.99	6.96
7. Net Assets End Of The Period (Rs.Crs.)	37.99	113.49	416.50	406.23	241.41	245.60	206.50	199.53	891.29	868.38	88.69	77.16
8 Ratio Of Recurring Exp. To Net Assets	0.001	0.001	0.008	0.005	0.007	0.004	0.003	0.001	0.007	0.005	0.006	0.058

Scheme (Date of Allotment)	MIP-97 (01.05.97)		MIP-97(II) (01.07.97)		USFUS-97 (01.07.97)		IEF (01.08.97)		MIP-97(III) (01.09.97)	MIP-97 IV) (01.11.97)
	1996-97	31.12.97	1996-97	31.12.97	1996-97	31.12.97	1996-97	31.12.97	31.12.97	31.12.97
1. NAV At The Beginning Of The Year	10.00	10.32	10.00	10.09	10.00	10.14	10.00	10.00	10.00	10.00
2. Net Income Per Unit	0.25	0.60	0.11	0.47	0.12	0.47	0.00	-1.19	0.27	0.13
3. Dividends: (%) p.a.	14.00	14.00	14.00	14.00	15.00	15.00	-	-	13.00	12.50
4. Transfer to Reserves (if any)	-0.06	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-
5. NAV At The End Of The Year	10.32	10.20	10.09	10.04	10.14	10.39	10.00	8.81	9.81	9.65
6. Annualised Return (%)	33.44	16.89	-	14.71	-	22.76	-	-28.67	7.26	3.45
7. Net Assets End Of The Period (Rs.Crs.)	1195.73	1183.59	1462.16	1504.68	685.15	701.80	31.28	29.10	839.95	918.31
8. Ratio Of Recurring Exp. To Net Assets	0.006	0.005	0.001	0.005	0.000	0.002	0.001	0.010	0.005	0.003

Scheme (Date of Allotment)	MIP-97 (V) (01.01.98)	MEP-98 (31.03.98)	USFUS-97(II) (01.02.98)
	31.12.97	31.12.97	31.12.97
1. NAV At The Beginning Of The Year	10.00	10.00	10.00
2. Net Income Per Unit	0.03	0.04	0.04
3. Dividends: (%) p.a.	11.75	-	12.75
4. Transfer to Reserves (if any)	-	-	-
5. NAV At The End Of The Year	9.98	-	10.04
6. Annualised Return (%)	-	-	-
7. Net Assets End Of The Period (Rs.Crs.)	388.00	10.04	321.93
8. Ratio Of Recurring Exp. To Net Assets	0.000	0.000	0.000

* For open ended schemes date of launch is given.

ii) There are no instances of borrowing by schemes of the Trust.

XXI. DUE DILIGENCE

Due Diligence Certificate submitted to SEBI for MIP98(II)

It is confirmed that:

I. the draft offer document forwarded to Securities and Exchange Board of India is in accordance with the SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 and the guidelines and directives issued by SEBI from time to time;

II. all legal requirements connected with the launching of the scheme as also the guidelines, instructions, etc. issued by the Government and any other competent authority in this behalf, have been duly complied with.

III. the disclosures made in the offer document are true, fair and adequate to enable the investors to make a well informed decision regarding investment in the proposed scheme;

IV. all the intermediaries named in the offer document are registered with SEBI and till date such registration is valid.

Date: 22/04/98
Place : Mumbai

Signature: Sd/-
Name : B.S. PANDIT
Compliance Officer

With Seal

XXII. Details regarding Schemes wherein returns are guaranteed by DRF

	Period		Net Income	@ Income Distribution	Investible Fund as on 31.03.98	Returns Assured
	From	To	Rs. in Crs.	Rs. in Crs.	Rs. in Crs.	(p.a.)
MIP-97	1.7.96	30.06.97	28.95	35.37	1154.68	14%
	1.7.97	31.12.97	69.77	47.05		
MIP-97(II)	1.7.96	30.06.97	15.29	19.54	1376.46	14%
	1.7.97	31.12.97	69.75	65.16		
MIP-97(III)	1.7.96	30.06.97	0.00	0.21	708.65	13%
	1.7.97	31.12.97	23.54	39.64		
MIP-97(IV)	1.7.97	31.12.97	12.32	26.62	893.82	12.5%
MIP-97(V)	1.7.97	31.12.97	1.15	3.70	340.84	11.75%
IISFUS-97	1.7.96	30.06.97	7.91	* 0.00	564.77	15%
	1.7.97	31.12.97	31.62	* 0.00		
IISFUS-97(II)	1.7.97	31.12.97	1.43	* 0.00	308.77	12.75%
IEF-97	1.7.96	30.06.97	-0.01	0.00	30.70	
	1.7.97	31.12.97	-3.94	0.00		
			TOTAL		5378.69	

@ Income distribution is considered at assured rate for monthly income optees.
Income Distribution under these Schemes is not yet due.

For and on behalf of the Board of Trustees of
the Unit Trust of India

Sd/-
(A.N.Palwankar)
Executive Director
Business Development & Mktg.

Mumbai
20-04-98

UNIT TRUST OF INDIA

CORPORATE OFFICE

13, Sir Vithaldas Thackersey Marg, Mumbai - 400 020. Tel 206 8468

ZONAL OFFICES

● **Western Zone** : Commerce Centre-1, 28th Flr., World Trade Centre, Cuffe Parade, Colaba, Mumbai - 400 005. Tel. : 218 1600. ● **Eastern Zone** : 2, Fairlie Place, 2nd Flr., Calcutta - 700 001. Tel. : 220 9391. ● **Southern Zone** : UTI-House, 29, Rajaji Salai, Chennai - 600 001. Tel. : 517 101. ● **Northern Zone** : Jeevan Bharati, 13th Flr., Tower II, Connought Circus, New Delhi - 110 001. Tel. : 332 9860.

BRANCH OFFICES UNDER WESTERN ZONE JURISDICTION

● **Ahemedabad** : B.J. House, 2nd, 3rd & 4th Flr., Ashram Marg, Ahemedabad - 380 009. Tel. : 658 3043. ● **Baroda** : 'Meghdhanush', 4th & 5th Flr., Transpek Circle, Race Course Marg, Baroda - 390 015. Tel. : 332 481. ● **Bhopal** : 1st Flr., Ganga Jamuna Commercial Complex, Plot No. 202, Maharana Pratap Nagar, Zone - 1, Scheme - 13, Habeeb Ganj, Bhopal - 462 001. Tel. : 558 308. ● **Indore** : City Centre, 2nd Flr., 570, M.G. Marg, Indore - 452 001. Tel. : 22796. ● **Mumbai** : (1) Unit No.2, Block 'B', Gulmohor Cross Marg No. 9, Andheri (W), Mumbai - 400 049. Tel. : 6201995, ● **Mumbai** : (2) Persepolis Bldg., 3rd Flr., Above Andhra Bank, Sector - 17, Vashi, Navi Mumbai - 400 703. Tel. : 7672607, ● **Mumbai** : (3) Lotus Court Bldg., 196, Jamashedji Tata Marg, Backbay Reclamation, Mumbai - 400 020. Tel. : 285 0821, ● **Mumbai** : (4) Shraddha Shopping Arcade, 1st Flr., S.V. Marg, Borivili (W), Mumbai - 400 092. Tel. : 898 0521, ● **Mumbai** : (5) Sagar Bonanza, 1st Flr., Khot Lane, Ghatkopar (W), Mumbai - 400 086. Tel. : 516 2256. ● **Kolhapur** : Ayodhya Towers, C. S. No. 511, KH-1/2 'E' Ward, Dabholkar Corner, Station Marg, Kolhapur - 416 001. Tel. : 657 315. ● **Nagpur** : Shree Mohini Complex, 3rd Flr., 345, Sardar Vallabhbhai Patel Marg, Nagpur - 440 001. Tel. : 536 893. ● **Nasik** : Sarda Sankul, 2nd Flr., M.G. Marg, Nasik - 422 001. Tel : 572166. ● **Panaji** : E.D.C. House, Ground Flr., Dr. A. B. Marg, Panaji, Goa - 403 001. Tel. : 222 472. ● **Pune** : Sadashiv Vilas, 3rd Flr., 1183, Fergusson College Marg, Shivaji Nagar, Pune - 411 005. Tel. : 325 954. ● **Rajkot** : Lallubhai Centre, 4th Flr., Lakhaji Raj Marg, Rajkot - 360 001. Tel. : 35112. ● **Surat** : Saifee Bldg., Dutch Marg, Nanpura, Surat - 395 001. Tel. : 434 550. ● **Thane** : UTI House, Station Marg, Thane (W) - 400 601. Tel. : 540 0905.

BRANCH OFFICES UNDER EASTERN ZONE JURISDICTION

● **Bhubaneshwar** : OCHC Bldg., 1st & 2nd Flr., 24, Janpath, Kharvela Nagar, Nr. Ram Mandir, Bhubaneshwar - 751 001. Tel.: 410 995. ● **Calcutta** : 2, Fairlie Place, Calcutta - 700 001. Tel. : 220 9391. ● **Durgapur** : 3rd Administrative Bldg., 2nd Flr., Asansol Durgapur Dev. Authority, City Centre, Durgapur - 713 216. Tel. : 546136. ● **Guwahati** : Hindustan Bldg., 1st Flr., M.L. Nehru Marg, Panbazar, Guwahati - 781 001. Tel. : 543131. ● **Jamshedpur** : 1-A, Ram Mandir Area, Gr. & 2nd Flr., Bistupur, Jamshedpur - 831 001. Tel. : 425 508. ● **Patna** : Jeevan Deep Bldg., Gr. & 5th Flr., Exhibition Marg, Patna - 800 001. Tel. : 235 001. ● **Siliguri** : Jeevan Deep, Ground Flr., Gurunanak Sarani, Siliguri - 734 401. Tel. : 424671.

BRANCH OFFICES UNDER SOUTHERN ZONE JURISDICTION

● **Bangalore** : Raheja Towers, 26-27, 12th Flr., West Wing, M.G. Marg, Bangalore - 560 001. Tel : 5595091. ● **Cochin** : Jeevan Prakash, 5th Flr., M.G. Marg, Ernakulam - 682 011. Tel. : 362 354. ● **Coimbatore** : Cheran Towers, 3rd Flr., 6/25 Arts College Marg, Coimbatore - 641 018. Tel. : 214 973. ● **Hubli** : Kalburgi Mansion, 4th Flr., Lamington Marg, Hubli - 580 020. Tel. : 363 963. ● **Hyderabad** : 1st Flr., Surabhi Arcade, 5-1-664, 665, 669, Bank Street, Hyderabad - 500 195. Tel. : 4611 095. ● **Chennai** : UTI House, 29, Rajaji Salai, Chennai - 600 001. Tel. : 517 101. ● **Madurai** : Tamil Nadu Sarvodaya Sangh Bldg., 108, Thirupparakundram Marg, Madurai - 625 001. Tel. : 38186. ● **Mangalore** : Siddhartha Bldg., 1st Flr., Bal-Matta Marg, Mangalore - 575 001. Tel. : 426 258. ● **Thiruvananthapuram** : Swastik Centre, 3rd Flr., M.G. Marg, Thiruvananthapuram - 695 001. Tel. : 331415. ● **Trichy** : 104, Salai Marg, Woraiyur, Tiruchirapalli - 620 003. Tel. : 760060 ● **Trichur** : 28/700 West Pallithamam Bldg., Karunakaran Nambiar Marg, Round North, Trichur - 680 020. Tel. : 331259. ● **Vijaywada** : 27-37-156, Bunder Marg, Next to Hotel Manorama, Vijaywada - 520 002. Tel. : 571134 ● **Vishakhapatnam** : Ratna Arcade, 3rd Flr., 47/15/6, Station Marg, Dwarkanagar, Vishakhapatnam - 530 016. Tel. : 548121.

BRANCH OFFICES UNDER NORTHERN ZONE JURISDICTION

● **Agra** : Ground Flr., Jeevan Prakash, Sanjay Place, Mahatma Gandhi Marg, Agra - 282 002. Tel. : 54408. ● **Allahabad** : United Towers, 3rd Flr., 53, Leader Marg, Allahabad - 211 003. Tel. : 400521. ● **Amritsar** : Shri Dwarkadhish Complex, 2nd Flr., Queen's Marg, Amritsar - 143 001. Tel. : 210367. ● **Chandigarh** : Jeevan Prakash, LIC Bldg., Sector 17-B, Chandigarh - 160 017. Tel. : 703683. ● **Dehradun** : 2nd Flr., 59/3, Raipur Marg, Dehradun - 248 001. Tel. : 746720. ● **Faridabad** : B-614-617, Nehru Ground, NIT, Faridabad - 121 001. Tel. : 219156. ● **Ghaziabad** : 41, Navyug Market, Near Singhani Gate, Ghaziabad - 201 001. Tel. : 790366. ● **Jaipur** : Anand Bhavan, 3rd Flr., Sansar Chandra Marg, Jaipur - 302 001. Tel. : 365 212. ● **Kanpur** : 16/79-E, Civil Lines, Kanpur - 208 001. Tel. : 317 278. ● **Lucknow** : Regency Plaza Building, 5, Park Marg, Lucknow - 226 001. Tel : 238591. ● **Ludhiana** : Surya Kiran Phase II, 92,The Mall, Ludhiana - 141 001. Tel. : 441264. ● **New Delhi** : Daily Tej, 3rd & 4th Flr., 8/B, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110 002. Tel.: 3318638. ● **Shimla** : Flat No. 401, 402, 403, 405 Mukesh Apts, Fingask Estate, Near Hotel Sheel, Shimla - 171 002. Tel. : 257803. ● **Varanasi** : 1st Flr., D-58/2A-1, Bhawani Market Hathyatra, Varanasi - 221 001. Tel. : 358606.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1998

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1998